

ISSN 0972-5636

भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष 40

अंक 2

अक्तूबर 2019



पत्रिका के बारे में

भारतीय आधुनिक शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की एक त्रैमासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य, शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थी-शिक्षकों को एक मंच प्रदान करना है। शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के विभिन्न आयामों, जैसे — बाल्यावस्था में विकास, समकालीन भारत एवं शिक्षा, शिक्षा में दार्शनिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ज्ञान के आधार एवं पाठ्यचर्या, अधिगम का आकलन, अधिगम एवं शिक्षण, समाज एवं विद्यालय के संदर्भ में जेंडर, समावेशी शिक्षा, शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा हेतु आई.सी.टी. में नवीन विकास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा का स्वरूप, विभिन्न राज्यों में शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा की स्थिति पर मौलिक एवं आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विकास को बढ़ावा देना। लेखकों द्वारा भेजे गए सभी लेख, शोध पत्र आदि का प्रकाशन करने से पूर्व संबंधित लेख, शोध पत्र आदि का समकक्ष विद्वानों द्वारा पूर्ण निष्पक्षतापूर्वक पुनरीक्षण किया जाता है। लेखकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। अतः ये किसी भी प्रकार से परिषद् की नीतियों को प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए इस संबंध में परिषद् का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

© 2020. पत्रिका में प्रकाशित लेखों का रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित है, परिषद् की पूर्व अनुमति के बिना, लेखों का पुनर्मुद्रण किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा।

सलाहकार समिति

निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प. : हृषिकेश सेनापति
अध्यक्ष, अ.शि.वि. : राजरानी
अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : अनूप कुमार राजपूत

संपादकीय समिति

अकादमिक संपादक : जितेन्द्र कुमार पाटीदार
मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल

अन्य सदस्य

राजरानी रंजना अरोड़ा
उषा शर्मा मधूलिका एस. पटेल
बी.पी. भारद्वाज

प्रकाशन मंडल*

मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा
मुख्य व्यापार प्रबंधक : विपिन दीवान
(प्रभारी)
उत्पादन सहायक : राजेश पिप्पल

आवरण

अमित श्रीवास्तव

हमारे कार्यालय

प्रकाशन प्रभाग
एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फ़ीट रोड
होस्केरे हल्ली एक्सटेंशन
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फ़ोन : 079-27541446

सी. डब्ल्यू. सी. कैंपस
धनकल बस स्टॉप के सामने
पनिहटी
कोलकाता 700 114 फ़ोन : 033-25530454

सी. डब्ल्यू. सी. कॉम्प्लेक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021 फ़ोन : 0361-2674869

मूल्य

एक प्रति : ₹ 50

वार्षिक : ₹ 200

लेखकों के लिए दिशानिर्देश

लेखक अपने मौलिक लेख/शोध पत्र सॉफ़्ट कॉपी (जहाँ तक संभव हो यूनीकोड में) के साथ निम्न पते या ई-मेल journals.ncert.dte@gmail.com पर भेजें –

अकादमिक संपादक

भारतीय आधुनिक शिक्षा

अध्यापक शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

लेखक ध्यान रखें कि लेख/शोध पत्र —

- सरल एवं व्यावहारिक भाषा में हो, जहाँ तक संभव हो लेख/शोध पत्र में व्यावहारिक चर्चा एवं दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों का समावेश करें।
- विषय-वस्तु लगभग 2500 से 3000 शब्दों या अधिक में हिंदी फ़ॉन्ट में टंकित हो।
- विषय-वस्तु के साथ ही तालिका एवं ग्राफ़ हो तथा व्याख्या में तालिका में दिए गए तथ्यों एवं ग्राफ़ का उल्लेख हो।
- ग्राफ़ अलग से Excel File में भी भेजें।
- विषय-वस्तु में यदि चित्र हो, तो उनके स्थान पर खाली बॉक्स बनाकर चित्र संख्या लिखें एवं चित्र अलग से JPEG फ़ॉर्मेट में भेजें, जिसका आकार कम-से-कम 300 dots per inch (dpi) हो।
- लेखक/शोधक अपना संक्षिप्त विवरण भी दें।
- संदर्भ वही लिखें जो लेख/शोध पत्र में आए हैं अर्थात् जिनका वर्णन लेख/शोध पत्र में किया गया है। संदर्भ लिखने का प्रारूप एन.सी.ई.आर.टी. के अनुसार हो, जैसे—
पाल, हंसराज. 2006. *प्रगत शिक्षा मनोविज्ञान*. हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.

लेख —

- लेख की वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित सार्थक प्रस्तावना लिखें, जो आपके लेख के शीर्षक से संबंधित हो अर्थात् वर्तमान में शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो नीतिगत परिवर्तन आए हैं, उनका समावेश करने का प्रयास करें।
- निष्कर्ष या समापन विशिष्ट होना चाहिए।

शोध पत्र —

- शोध पत्र की वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित सार्थक प्रस्तावना एवं औचित्य लिखें, जो आपके शोध पत्र के शीर्षक से संबंधित हो अर्थात् वर्तमान में शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो नीतिगत परिवर्तन आए हैं एवं जो शोध कार्य हुए हों, उनका समावेश करने का प्रयास करें।
- न्यादर्श की पूरी जानकारी लिखें अर्थात् न्यादर्श की प्रकृति, न्यादर्श चयन का तरीका आदि।
- प्रदत्त संकलन के लिए उपयोग किए गए उपकरणों की संक्षिप्त जानकारी दें।
- प्रदत्त विश्लेषण में तथ्यों का गुणात्मक आधार बताते हुए विश्लेषण करें।
- उद्देश्यानुसार निष्कर्ष लिखें तथा समापन विशिष्ट होना चाहिए।
- शोध पत्र के शैक्षिक निहितार्थ भी लिखें अर्थात् आपके शोध निष्कर्षों से किन्हें लाभ हो सकता है।



भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष 40

अंक 2

अक्टूबर 2019

इस अंक में

संपादकीय		3
बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन दर का विश्लेषणात्मक अध्ययन	उमेश गुप्ता मधु कुशवाहा	5
भारतीय समाज में तृतीय जेंडर एवं समावेशी शिक्षा	वंदना शर्मा हरीश पाण्डेय	14
शिक्षा एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी	आराधना गोस्वामी	22
विज्ञान कक्षाओं में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयाँ	सौरभ कुमार सुहासिनी बाजपेयी शुक्ल	28
शिक्षा के बदलते स्वरूप में कला एवं तकनीकी की भूमिका	आनन्द कुमार सिंह	45
बहुसांस्कृतिक शिक्षण एक समावेशी दृष्टिकोण	गुरुप्रीत कौर एन.पी.एस. चन्देल	52
माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सहकारी अधिगम विधि की प्रभावशीलता	पद्मा प्रधान शिरीष पाल सिंह	59
एकीकृत शिक्षा दर्शन पर आधारित भारतीय शिक्षा प्रणाली एक दृष्टिकोण	राजीव दुबे अमित कुमार	70
समावेशी शिक्षा में अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प की उपयोगिता	शालिनी वर्मा एन.पी.एस. चन्देल	84

वैकल्पिक विद्यालय में शिक्षा एक अनुभव	ऋषभ कुमार मिश्र समरजीत यादव	96
सर्वकालिक प्रासंगिक श्रीमद्भगवद्गीता का शिक्षा दर्शन	भारती दशोरा	101
श्रीराम शर्मा आचार्य का शैक्षिक चिंतन एवं उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता	विवेक नाथ त्रिपाठी	108

© NCERT
not to be republished

संपादकीय

प्रिय पाठको! यह अंक हमारे महापुरुषों के योगदान एवं उनकी मानवता के लिए शिक्षा को समर्पित है। क्योंकि इस माह में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाते हैं। इस वर्ष हमने राष्ट्रपिता की जयंती को 'स्वच्छ भारत दिवस' तथा लौह पुरुष की जयंती को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाया। इन महापुरुषों के द्वारा राष्ट्र को समृद्ध एवं कल्याणकारी बनाने के लिए दिए गए मानवता के संदेश, जैसे— शांति, सत्य, अहिंसा, एकता एवं अखंडता आदि हमारी शिक्षा प्रणाली के मूल मंत्र हैं, ताकि हम सब लोग साथ मिलकर रहें एवं विकास कर सकें। इसके लिए हमें सार्थक शिक्षा की नितांत आवश्यकता है।

सभी को प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के उचित अवसर प्राप्त होने चाहिए। लेकिन जब विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन स्तर गिरने लगेगा तो वे अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाएँगे। अतः नामांकन स्तर पर आधारित लेख 'बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन दर का विश्लेषणात्मक अध्ययन' में इस चुनौती से निपटने के लिए स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख किया गया है।

शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब समावेशी शिक्षा की बात की जाएगी। समावेशी शिक्षा पर आधारित लेख 'भारतीय समाज में तृतीय जेंडर एवं समावेशी शिक्षा' उन समस्याओं

पर प्रकाश डालता है, जो भारतीय समाज में तृतीय जेंडर की शिक्षा में समावेशीकरण के दौरान दिखाई देती हैं और साथ ही इस लेख में उन समस्याओं के उचित समाधान भी दिए गए हैं। वर्तमान युग डिजिटल प्रौद्योगिकी का युग है और अब शिक्षा में भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने लगा है। शिक्षा को नई दिशा देने में प्रौद्योगिकी एक विशिष्ट माध्यम है। इस पर आधारित लेख 'शिक्षा एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी' में, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है और अधिगमकर्ताओं को इससे कितनी सुविधा मिलती है, पर प्रकाश डाला गया है।

ऐसे विद्यार्थी जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से सामान्य विद्यार्थियों से भिन्न हैं, उनके लिए शिक्षा हेतु विशेष सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए। इन्हीं प्रयासों पर आधारित शोध पत्र 'विज्ञान कक्षाओं में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयाँ' दिया गया है, क्योंकि विज्ञान सीखने में प्रयोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके लिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को प्रयोगशाला में अनुकूल उपकरण मिलने चाहिए। वर्तमान समय में शिक्षा का प्रारूप भी बदला है। इंटरनेट और तकनीकी उन्नति ने शिक्षा के प्रसार का तरीका बदल दिया है। शिक्षा में कला का भी प्रमुख योगदान रहा है। कला एवं तकनीक पर आधारित पठन-पाठन के प्रति समाज का नज़रिया भी बदला है। इसी बदलाव पर आधारित लेख 'शिक्षा के बदलते स्वरूप में कला एवं तकनीकी की भूमिका' में, शिक्षा के निरंतर बदलते प्रारूप और

उसमें कला एवं तकनीक की भूमिका का अध्ययन तथा विश्लेषण किया गया है। 'बहुसांस्कृतिक शिक्षण— एक समावेशी दृष्टिकोण' नामक लेख में यह बताया गया है कि बहुसांस्कृतिक विविधता संबंधी मूल्य के अधिकतम संपोषण के लिए बहुसांस्कृतिक शिक्षा की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसमें अंतर्निहित दर्शन, बहुसांस्कृतिक शिक्षण का औचित्य, रणनीतियाँ, शिक्षक-विद्यार्थी व्यवहार आदि पर विस्तृत चर्चा की गई है।

'माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सहकारी अधिगम विधि की प्रभावशीलता' नामक शोध पत्र में बताया गया है कि इस विधि में विद्यार्थी स्वेच्छानुसार अधिगम करते हैं। माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में सहकारी अधिगम विधि जैसी नवाचारी विधियों का उपयोग न केवल विद्यार्थियों, बल्कि शिक्षकों के लिए भी लाभकारी है। वहीं एक अन्य लेख 'एकीकृत शिक्षा दर्शन पर आधारित भारतीय शिक्षा प्रणाली — एक दृष्टिकोण' में, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु एकीकृत शिक्षा दर्शन पर जोर दिया गया है। इस लेख में स्वतंत्र विचार, रचनात्मकता, मानवतावादी सोच, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्परता की बात की गई है। यदि विद्यार्थी सीखने में विफल होते हैं, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों को विद्यार्थियों के अनुकूल लचीला बनाया जाए, इसलिए 'समावेशी शिक्षा में अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प की उपयोगिता' नामक लेख में, इस पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। शिक्षा के संदर्भ में औपचारिक शिक्षा को कुछ लोग उचित नहीं समझते। वे मानते हैं कि

जिज्ञासा उत्पन्न करना, खोजी प्रवृत्ति के माध्यम से गणित, भाषा तथा विज्ञान को सीखना ही शिक्षा है। इस पर आधारित लेख 'वैकल्पिक विद्यालय में शिक्षा— एक अनुभव' दिया गया है। इस लेख में, समय का बंधन, पाठ्यपुस्तकें तथा परीक्षा से दबावमुक्त तथा अनौपचारिक रूप से व्यावहारिक अनुभवपरक शिक्षा देने पर जोर दिया गया है।

व्यक्ति में नैतिकता और उत्तम चरित्र के विकास के लिए नैतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता में मानव के नैतिक विकास व कल्याण हेतु शिक्षा दी गई है। इसी पर आधारित लेख 'सार्वकालिक प्रासंगिक— श्रीमद्भगवद्गीता का शिक्षा दर्शन' दिया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा द्वारा आध्यात्मिकता एवं राष्ट्र निर्माण पर जोर देना प्रासंगिक लगता है। इसी पर आधारित लेख 'श्रीराम शर्मा आचार्य का शैक्षिक चिंतन एवं उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता' में आचार्य श्रीराम शर्मा के शिक्षा संबंधी विचार, शिक्षकों के लिए संदेश, शिष्य एवं उनका कर्तव्य, व्यक्ति एवं समाज का निर्माण इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए हैं।

आप सभी की प्रतिक्रियाओं की हमें सदैव प्रतीक्षा रहती है। आप हमें लिखें कि यह अंक आपको कैसा लगा, साथ ही, आशा करते हैं कि आप हमें अपने मौलिक तथा प्रभावी लेख, शोध पत्र, शैक्षिक समीक्षाएँ, श्रेष्ठ अभ्यास, पुस्तक समीक्षाएँ, नवाचार एवं प्रयोग, विद्यालयों के अनुभव आदि प्रकाशन हेतु आगे दिए गए पते पर प्रेषित करेंगे।

बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन दर का विश्लेषणात्मक अध्ययन

उमेश गुप्ता*
मधु कुशवाहा**

शिक्षा देश में उच्च स्तर पर संधारणीय विकास प्राप्त करने का एक विश्वस्त साधन है। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा में सहभागिता, उसकी बुनियादी अभावों से मुक्ति तथा उनसे पार पाने के मूल कारक के रूप में कार्य करती है, जबकि माध्यमिक शिक्षा आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की स्थापना को सुविधाजनक बनाती है। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा में होने वाले नामांकन में गिरावट की प्रवृत्ति शिक्षा के क्षेत्र में एक गंभीर चुनौती है। इस लेख में अंतर्राज्यीय स्तर पर बिहार में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में अंतर की सापेक्षिक प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है, साथ-ही-साथ राज्य स्तर पर बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में गिरावट की प्रवृत्ति का विश्लेषण तथा इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया गया है।

किसी भी देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा व्यक्ति को सक्षम बनाती है जिसके द्वारा वे एक सफल जीवनयापन कर सकता है। अतः वास्तविक शिक्षा सफल जीवन की तैयारी है। योग्य एवं कुशल मानव संसाधन द्वारा ही विकास की वर्तमान एवं भविष्य की दिशा निर्धारित होती है। अनेक सामाजिक वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध किया है कि देश तब तक अविकसित रहता है, जब तक उसके नागरिक शिक्षा से वंचित हैं। विभिन्न विकसित देशों ने अपने विकास के लिए सर्वप्रथम शिक्षा को ही बढ़ावा दिया है। शिक्षा का सामाजिक विकास में

महत्वपूर्ण योगदान होता है, इस तथ्य को भारतीय नीति-निर्माताओं ने भी भली-भाँति स्वीकार किया है।

देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण शिक्षा प्रणाली से अपेक्षाएँ बढ़ गई हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार द्वारा शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आज शिक्षा को अत्यधिक सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में 'निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार' को मूल अधिकार (अनुच्छेद 21A) बनाया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का मुख्य उद्देश्य 6-14 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक 'निःशुल्क एवं

*शोधार्थी, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221005

**प्रोफ़ेसर, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221005

अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा' प्रदान करना है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, जैसे— शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, समग्र शिक्षा एवं मध्याह्न भोजन योजना से भारत में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में वृद्धि हुई है।

इस प्रकार 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, समग्र शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना आदि अधिनियम तथा योजनाएँ कारगर साबित हुई हैं। इससे प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में वृद्धि के साथ-साथ विद्यालय छोड़ने की दर भी कम हुई है, लेकिन आठ वर्ष (कक्षा 1 से 8) की प्रारंभिक शिक्षा अब पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह शिक्षा न तो बच्चों को पेशेवर ज्ञान और कौशल प्रदान करती है और न ही यह शिक्षा बच्चों को भूमंडलीकृत हो रही अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बना रही है। प्रारंभिक स्तर के पेशेवर सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स के लिए पात्रता की शर्तें पूरी करने के लिए भी कम से कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा आवश्यक है। यदि हम माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त बच्चे, वर्तमान समय से सार्थक संबंध जोड़ने या जीविकोपार्जन के लिए कोई भी पेशा अपनाने के अवसरों से वंचित रह सकते हैं।

लोकतांत्रिक नागरिकता एवं सामाजिक एकजुटता के लिए माध्यमिक शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के बिना उच्च शिक्षा में विस्तार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा के मध्य

मुख्य कड़ी है। माध्यमिक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो विद्यार्थियों को देश के लिए सुयोग्य नागरिक के रूप में नए राष्ट्र की संरचना करने में योगदान देने लायक बना सकती है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, प्रत्येक 10 भारतीयों में से एक भारतीय 14–18 वर्ष आयु वर्ग का है। अतः इस आयु वर्ग की शिक्षा व्यवस्था तक पहुँच का मुद्दा महत्वपूर्ण शैक्षिक नीतियों से संबंधित है, क्योंकि यह आयु वर्ग एक ऊर्जावान कार्यबल है और उनके विकास में हमारा निवेश ही यह निर्धारित करेगा कि हम इस मानव शक्ति का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं।

भारत में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात की प्रवृत्ति

स्वतंत्रता के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा को गतिशील बनाने एवं देश की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने हेतु अनेक आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया। समय-समय पर विभिन्न शिक्षा नीतियाँ, योजनाएँ एवं कार्यक्रम बनाए गए, जिसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53), शिक्षा आयोग (1964–66) तथा नई शिक्षा नीति (1986) प्रमुख हैं।

तालिका 1— भारत में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (प्रतिशत में)

शिक्षा का स्तर	2014–15	2015–16	2016–17
प्रारंभिक शिक्षा स्तर (1–8)	96.39	96.42	93.55
माध्यमिक शिक्षा स्तर (9–10)	76.91	79.30	79.35
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर (11–12)	52.54	55.73	55.40

स्रोत— यू-डायस डाटा. स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (2014–15 से 2016–17)

तालिका 1 से स्पष्ट है कि भारत में प्रत्येक वर्ष (2014-15 से 2016-17 के बीच) प्रारंभिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में तीव्र गिरावट हुई है और सकल नामांकन अनुपात में यह गिरावट माध्यमिक शिक्षा की अपेक्षा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में तेजी से हुई है। प्रत्येक वर्ष प्रारंभिक एवं माध्यमिक तथा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात के बीच ज्यादा अंतर है और यह यथावत बना रहा है। सकल नामांकन अनुपात में यह अंतर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बीच और अधिक है।

माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए भारत सरकार के प्रयास

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा की पहुँच के लिए प्रयासरत रही है तथा धीरे-धीरे विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि हुई। शिक्षा आयोग (1964-66) ने भी यह संस्तुति की थी कि, “कुल जनसंख्या के लगभग 60 प्रतिशत लोगों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और लगभग 40 प्रतिशत लोगों को ही, जो विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हों, उच्च शिक्षा में जाना चाहिए।” ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) व उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11-12) पर सकल नामांकन अनुपात (प्रोस इनरोलमेंटरेट—जी.ई.आर.) क्रमशः 75 प्रतिशत व 65 प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में वर्ष 2017 तक माध्यमिक शिक्षा स्तर

(कक्षा 9-10) पर लगभग सार्वभौमिक नामांकन दर प्राप्त करने के साथ-ही-साथ सकल नामांकन अनुपात 90 प्रतिशत से अधिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11-12) पर सकल नामांकन अनुपात क्रमशः 65 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। 14-18 वर्ष की लड़कियों के नामांकन में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार ने मई, 2018 में ‘माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना’ (सिर्फ अनुसूचित जाति/जनजाति की लड़कियों हेतु) की शुरुआत की थी। मार्च, 2009 में प्रारंभ किए गए ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ (आर.एम.एस.ए.) में विद्यार्थियों की माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने की पहल की गई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना भारत सरकार की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के प्रति महत्वाकांक्षा को दर्शाती है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर 90 प्रतिशत, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 75 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में वर्ष 2017 तक सभी को माध्यमिक शिक्षा की सुलभता (100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात) करना था।

बिहार में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात की प्रवृत्ति

बिहार, भारत के उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वाँ व जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना, 2011 के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 9.9 करोड़ है; जिसमें 52 प्रतिशत पुरुष व 48 प्रतिशत महिलाओं की जनसंख्या शामिल है। जनगणना, 2011

के अनुसार, कुल जनसंख्या के लगभग 58 प्रतिशत लोग 25 वर्ष की आयु से कम हैं जो भारत में उच्चतम युवा जनसंख्या अनुपात है। बिहार एक निम्नतम साक्षरता वाला राज्य है। जनगणना, 2011 के अनुसार, बिहार की कुल साक्षरता दर 63.82 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 73.39 प्रतिशत व महिला साक्षरता दर 53.33 प्रतिशत है। प्राचीन समय में बिहार शिक्षा के सर्वप्रमुख केंद्रों में गिना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत के प्रमुख गौरवशाली अध्ययन केंद्र थे। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक कारणों की वजह से बिहार के शैक्षिक निष्पादन में काफ़ी गिरावट आई है।


आरेख 1 से स्पष्ट है कि बिहार में प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक सकल नामांकन अनुपात में उतरोत्तर वृद्धि हुई है, जबकि

वर्ष 2016-17 में पिछले वर्ष की तुलना में सकल नामांकन अनुपात में अचानक से गिरावट आई है। यद्यपि, बिहार में प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में औसतन उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात के मध्य खाई लगातार बनी हुई है। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात, प्रारंभिक शिक्षा स्तर के सकल नामांकन अनुपात का औसतन एक तिहाई है। उसी तरह माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात के बीच का अंतर प्रत्येक वर्ष आधा होता जा रहा है।

बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में गिरावट की प्रवृत्ति

बिहार राज्य के बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लागू होने के बाद, बिहार में प्रारंभिक शिक्षा

आरेख 1— बिहार में विभिन्न शिक्षा स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात




शिक्षा स्तर	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
प्रारंभिक शिक्षा (1-8)	94.56	98.54	106.02	99.87
माध्यमिक शिक्षा (9-10)	60.8	67.92	77.42	76.71
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (11-12)	23.7	31.21	35.65	28.82

में नामांकन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। यू-डायस आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2012-13 में कक्षा 8 में कुल नामांकन 14,56,188 रहा, जिसमें 7,23,318 बालक एवं 7,32,870 बालिकाएँ थीं। कक्षा 8 में नामांकन का यह क्रम उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है और वर्ष 2015-16 में कक्षा 8 में कुल नामांकन 23,04,150 रहा, जिसमें 11,33,766 बालक एवं 11,70,344 बालिकाएँ थीं। हालाँकि, यू-डायस डाटा 2016-17 के अनुसार, कक्षा 8 के नामांकन में गिरावट आई है। वर्ष 2016-17 में कक्षा 8 में कुल नामांकन घटकर 22,20,132 हो गया, जिसमें 10,89,539 बालक एवं 11,30,593 बालिकाएँ थीं। यद्यपि बिहार में, कक्षा 8 में प्रतिवर्ष नामांकन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, परंतु वैसी वृद्धि कक्षा 9 एवं कक्षा 11 में होने वाले नामांकन में नहीं दिखाई देती है। इन कक्षाओं में होने वाले नामांकन में अपेक्षाकृत काफी धीमी गति से वृद्धि हुई है। इस प्रकार बिहार में प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 8) के पश्चात्

माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 एवं कक्षा 11) में होने वाले नामांकन में तीव्र गिरावट आई है। वर्ष 2016-17 में यह गिरावट और भी अधिक रही है।

आरेख 2 से स्पष्ट है कि कक्षा 8 के बाद कक्षा 9 में होने वाले नामांकन में होने वाली गिरावट में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2013-14 में, बालकों में कक्षा 8 के पश्चात् कक्षा 9 में नामांकन में गिरावट 0.24 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 25.5 प्रतिशत हो गई है। बालिकाओं में यह गिरावट बालकों की अपेक्षा 58.4 प्रतिशत अधिक है। जेंडर के आधार पर नामांकन में उत्तरोत्तर तीव्र गिरावट राज्य में बालिका शिक्षा की औसत से भी नीचे की पहुँच को दर्शाती है। माध्यमिक कक्षाओं में नामांकन में गिरावट सापेक्षित है, चूँकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद प्रारंभिक कक्षाओं में नामांकन बढ़ा, परंतु उसी अनुपात में माध्यमिक कक्षाओं में नामांकन नहीं बढ़ा और साथ ही आठवीं के बाद विद्यालयी शिक्षा

आरेख 2— कक्षा 8 के पश्चात् कक्षा 9 में नामांकन में गिरावट की प्रवृत्ति




को जारी न रखने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है, इसीलिए यह गिरावट अधिक तीव्र प्रतीत हो रही है।

आरेख 3 से स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा स्तर (कक्षा 9) के पश्चात् उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर (कक्षा 11) में होने वाले नामांकन में गिरावट,


वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की तुलना में, वर्ष 2016-17 में अधिक रही है और यह गिरावट बालिकाओं में और भी अधिक रही है। वर्ष 2016-17 में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के नामांकन में गिरावट 6.91 प्रतिशत अधिक रही है।

आरेख 3—कक्षा 9 के पश्चात् कक्षा 11 में नामांकन में गिरावट की प्रवृत्ति



स्रोत—यू-डायस डाटा. स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (वर्ष 2014-15 से 2016-17)

आरेख 4—प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में गिरावट की प्रवृत्ति



स्रोत—यू-डायस डाटा. स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (वर्ष 2013-14 से 2016-17)

आरेख 4 से स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 8) के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9) एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 11) में नामांकन में तीव्र गिरावट हो रही है। प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 8) के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9) के अपेक्षाकृत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 11) में यह गिरावट अधिक तेजी से हो रही है। कक्षा 8 (17,68,836) के पश्चात् कक्षा 9 (16,16,397) में कुल गिरावट 8.6 प्रतिशत रही है। वहीं बालकों में यह गिरावट 7.31 प्रतिशत रही, जबकि बालिकाओं में यह गिरावट 9.91 प्रतिशत रही है। इसी प्रकार कक्षा 9 (16,16,397) के पश्चात् कक्षा 11 (4,19,463) में नामांकन में गिरावट 74.04 प्रतिशत रही है। वहीं बालकों में यह गिरावट 70.6 प्रतिशत रही, जबकि बालिकाओं में यह गिरावट 77.28 प्रतिशत रही है।

माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के प्रयास

बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार सतत प्रयत्नशील है। बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन एवं शिक्षा में गुणवत्ता संप्राप्ति हेतु सरकार द्वारा गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के लिए 'मिशन गुणवत्ता' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जो राज्य में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में कारगर साबित हो रहा है। राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में, उच्चतर माध्यमिक

विद्यालय की स्थापना की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में वृद्धि करने हेतु राज्य में अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जैसे—

- बिहार राज्य की बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में कक्षा 9-12 तक की बालिकाओं को पोशाक क्रय हेतु प्रति बालिका ₹1,000 दिए जाने वाली 'बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना'।
- वर्ष 2008-09 से संचालित कक्षा 9 में नामांकित विद्यार्थियों के लिए साइकिल के लिए ₹2,500 की दर से साइकिल उपलब्ध कराने की 'मुख्यमंत्री साइकिल योजना'।
- बिहार राज्य के विद्यालयों से 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सामान्य/पिछड़ा वर्ग 2 की छात्राओं को ₹10,000 प्रोत्साहन वाली 'मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना'।
- कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत (1400+1400 = 2800) मेधावी छात्र एवं छात्राओं को क्रमशः ₹400 एवं ₹500 प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए दी जाने वाली 'राज्य मेधा छात्रवृत्ति'।
- केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत इंडकशन प्रोग्राम, स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, किशोरी मंच, योग प्रशिक्षण, लाइफ़ स्किल ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग, बालक-बालिका छात्रावास, व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण आदि कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

निष्कर्ष

भारत में अब तक आर्थिक विकास एवं रोजगार में जो भी वृद्धि हुई है, चाहे वह दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन या कौशल-निर्माण हो, उसकी न्यूनतम योग्यता माध्यमिक शिक्षा ही रही है। यद्यपि प्रारंभिक शिक्षा वास्तव में सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन यह आर्थिक विकास में उतनी सहायक नहीं हो सकती, बल्कि एक कुशल कार्यबल जनसंख्या के लिए कम से कम माध्यमिक शिक्षा आवश्यक है। 'बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011' के लागू होने के बाद प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर की भाँति उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर भी सकल नामांकन अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात तीन गुना हो गया है। यद्यपि बिहार में प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में औसतन उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात के मध्य अंतर लगातार बना रहा है और यह अंतर यथावत बना हुआ है।

शैक्षणिक वर्ष 2016-17 में, बिहार में प्रारंभिक शिक्षा स्तर (कक्षा 1-8) पर सकल नामांकन अनुपात (99.87 प्रतिशत) भारत के सकल नामांकन अनुपात (93.55 प्रतिशत) से 6.32 प्रतिशत ज्यादा रहा है, परंतु बिहार में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

स्तर (कक्षा 11-12) पर सकल नामांकन अनुपात (28.82 प्रतिशत) भारत के सकल नामांकन अनुपात (55.54 प्रतिशत) से 26.72 प्रतिशत कम रहा है।

बिहार में प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1-8) के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा स्तर (कक्षा 9) पर नामांकन में उत्तरोत्तर गिरावट हो रही है और यह गिरावट वर्ष 2016-17 में और अधिक (25.49 प्रतिशत) रही है। प्रारंभिक स्तर की तुलना में माध्यमिक स्तर पर नामांकन में गिरावट दर में वृद्धि की एक वजह यह हो सकती है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने के बाद प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों की अधिकता रही है, परंतु यही सक्रियता माध्यमिक कक्षाओं में नामांकन के संदर्भ में दिखाई नहीं देती है। इसके अतिरिक्त ज्यादा महत्वपूर्ण कारण, प्रारंभिक शिक्षा का निःशुल्क होना है। एक ओर जहाँ प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क है, वहीं माध्यमिक शिक्षा के लिए अभिभावक व माता-पिता को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। शिक्षा की लागत (वास्तविक और अवसर लागत दोनों) में वृद्धि माध्यमिक कक्षाओं में कम नामांकन दर के लिए एक ज़िम्मेदार कारक है। जैसे-जैसे हम ऊपरी कक्षाओं में नामांकन दर को देखते हैं, यह प्रारंभिक कक्षाओं की तुलना में लगातार कम होती जाती है। ऊपरी कक्षाओं में नामांकन दर में गिरावट की प्रवृत्ति बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में बहुत अधिक है। कक्षा 9 के पश्चात् कक्षा 11 में, नामांकन में गिरावट वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में अधिक रही है और यह गिरावट बालकों के अपेक्षाकृत बालिकाओं के नामांकन दर में अधिक रही है। यह माता-पिता द्वारा बालिकाओं की शिक्षा पर कम खर्च करने की प्रवृत्ति को दर्शाता

है और यह केवल बिहार के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि कुछ अपवादों को छोड़कर समस्त भारत में यही प्रवृत्ति पाई जाती है।

नामांकन के उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि अंतरराज्यीय स्तर पर बिहार में माध्यमिक शिक्षा स्तर (कक्षा 9–10) पर नामांकन निम्न है एवं उच्चतर

माध्यमिक शिक्षा स्तर (कक्षा 11–12) पर नामांकन की स्थिति अधिक दयनीय है। अतः बिहार में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर इतनी चिंताजनक क्यों है? प्रारंभिक शिक्षा स्तर के बाद माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में तीव्र गिरावट के क्या कारण हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर ढूँढ़ा जाना चाहिए।

संदर्भ

- असर. 2017. बियांड बेसिक. 12 फ़रवरी, 2018 को <http://www.asercentre.org/Keywords/p/315.html> से लिया गया है.
- न्यूपा. 2016. यू-डायस डाटा. स्कूल एजुकेशन इन इंडिया. 20 नवंबर, 2017 को <http://udise.in/src.htm> से लिया गया है.
- बेदी, ए.एस., पी.के. किमल, डी.के. मांदा. और नफुला एन.एन. 2004. द डिक्लाइन इन प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट इन केन्या. *जर्नल ऑफ़ अफ्रीका इकोनोमिक्स*. वॉल्यूम 13, नं. 1, पृष्ठ 1–43.
- भारत सरकार, 2009. *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009*. भारत का राजपत्र. संख्या-39, अगस्त 27, 2009, नयी दिल्ली.
- . राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (एकीकृत). http://mhrd.gov.in/hi/rmsa_integrated-hindi से लिया गया है.
- . *सेलेक्टेड इंफ़ोर्मेशन ऑफ़ स्कूल एजुकेशन 2011–12*. स्टैटिस्टिक्स डिविज़न. भारत सरकार. 12 नवंबर, 2017 को http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics/SISH201112.pdf से लिया गया है.
- . 2011. *जनगणना*. 12 अक्टूबर, 2018 को <http://censusindia.gov.in/> से लिया गया है.
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय. *एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लॉस*. डिपार्टमेंट ऑफ़ हायर एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स डिविज़न, भारत सरकार. 10 अगस्त, 2017 को http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics/ESG2016_0.pdf से लिया गया है.
- यूनेस्को. 2015. *सभी के लिए शिक्षा 2000–2015—उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ*. 20 दिसंबर, 2017 को <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232565hin.pdf> से लिया गया है.
- . *ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट*. 20 दिसंबर, 2017 को <http://en.unesco.org/gem-report/allreports> से लिया गया है.
- बिहार सरकार. 2016. *प्रतिवेदन 2016–17*. पृष्ठ 30–32. <http://www.educationbihar.gov.in/> से लिया गया है.

भारतीय समाज में तृतीय जेंडर एवं समावेशी शिक्षा

वंदना शर्मा*
हरीश पाण्डेय**

भारतीय संविधान में शिक्षा के सार्वभौमिकरण व समावेशीकरण यानी बिना किसी जातीय, वर्गीय, जेंडर या शारीरिक भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शिक्षा की पहुँच सभी लोगों तक सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा संबंधी नीतियाँ बनाई गई हैं एवं कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार एक सार्वभौमिक मानवीय अधिकार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अनुसूचित जातियों, दिव्यांगों, स्त्रियों, सभी वंचित समूहों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा में इनका समावेशन करने का प्रयास किया गया है व किया जा रहा है। परंतु समाज का एक समूह ऐसा भी है जिसे हमेशा से ही उपेक्षित समझा गया है। विगत कुछ वर्षों से इस समूह के लोगों ने भी अपने अधिकारों की माँग उठाई है तथा एक लंबे संघर्ष के बाद भारत में 15 अप्रैल, 2014 को उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस समूह के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया व 'ट्रांसजेंडर्स' को तृतीय जेंडर के रूप में पहचान दी गई। इसी सरोकार पर आधारित इस लेख में भारतीय समाज में तृतीय जेंडर की शिक्षा में, समावेशीकरण में आने वाली समस्याओं की चर्चा की गई है व उनके समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं।

जब हम ट्रांसजेंडर, हिजड़ा, किन्नर आदि ऐसे शब्द सुनते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में क्या छवि बनती है? हमें जो छवि दिखाई देती है, वह एक ऐसे समूह के लोगों की होती है जो साड़ियाँ पहने हुए किसी शादी या बच्चे के जन्म पर बधाई गीत गाते, तालियाँ बजाकर नाचते या बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर पैसे माँगते हैं। वास्तव में, हमारे समाज में ऐसी छवि के लोग हैं, परंतु इससे इतर वर्तमान समय में कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर, जैसे— मानवी बंदोपाध्याय (भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर कॉलेज प्रिंसिपल), शबनम बानो 'मौसी' (मध्य प्रदेश विधानसभा की चयनित सदस्य), लक्ष्मी

नारायण त्रिपाठी (हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री और भरतनाट्य नृत्यांगना), कल्कि (सहोदरी फ़ाउंडेशन की संस्थापिका व निर्देशक) इत्यादि ने तृतीय जेंडर की उपर्युक्त छवि के विपरीत ट्रांसजेंडर के विकास की एक नई उज्ज्वल छवि को पुनरुत्पादित किया है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम आदि सभी लोगों को शिक्षा देकर समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु तृतीय जेंडर के व्यक्ति, जिनकी क्षमता अन्य सामान्य स्त्री-पुरुषों की भाँति ही है, प्रायः शिक्षा से वंचित हैं।

*शोधार्थी, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 221005

**शोधार्थी, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 221005

मानवाधिकार के अनुच्छेद (26) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान ऐसी व्यवस्था को जन्म देगा जिसमें सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। संविधान सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(अ) एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार, 6-14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। सभी केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में कम से कम 25 प्रतिशत वंचित और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है। लेकिन इन अधिकारों का लाभ तृतीय जेंडर को नहीं मिल रहा है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय व आदेश के बाद भी तृतीय जेंडर समाज की मुख्यधारा से दूर है। भारत में शिक्षा को समावेशी बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु जब तक हमारे समाज का कोई एक हिस्सा भी शिक्षा से वंचित रहेगा, तब तक समावेशी शिक्षा संभव नहीं है। इनके समावेशन के लिए इनकी समस्याओं को जानना व उनका समाधान करना आवश्यक है। तृतीय जेंडर के व्यक्तियों की समस्याओं के बारे में चर्चा करने से पहले समावेशी शिक्षा व तृतीय जेंडर को परिभाषित किया गया है, जो निम्न प्रकार है—

समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा का अर्थ उन सभी बच्चों के लिए शिक्षा से है जो विभिन्नता रखते हैं (जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हों) तथा ऐसे बच्चों को एक छत

के नीचे शिक्षा की व्यवस्था करने के साथ ही उन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाना है—

- जिनके लिए स्कूल दूर हो या जो स्कूल छोड़ चुके हों, जो कक्षा की भाषा न बोल पा रहे हों, जिन्हें मिलने वाली पाठ्य सामग्री उनकी प्रथम भाषा में न हो।
- जो विभिन्न समुदाय/धर्म जाति के हों।
- जो जीवनयापन के पर्याप्त साधन न होने के कारण स्कूल छोड़ देने के स्तर पर हों।
- उन बच्चों की भी उपलब्धता सुनिश्चित करना जो विद्यालय में नामांकित तो हों, पर स्कूल में उपस्थित न हों अर्थात् स्कूल के समय में रोजगार में व्यस्त हों।
- समस्त वर्गों, स्त्री/पुरुष/तृतीय जेंडर की एक साथ शिक्षा व्यवस्था।
- उन महिलाओं को भी समावेशित करना जो गर्भवती हों, जिनके साथ कोई असामाजिक दुर्घटना हुई हो (जैसे— एसिड अटैक, यौन हिंसा इत्यादि) और वो शिक्षा की मुख्यधारा में आने से स्वयं कतराती हों।
- उन बच्चों को भी साथ लाना जो विभिन्न बीमारियों, जैसे— एड्स/एचआईवी/पोलियो इत्यादि से ग्रसित हों।

अंततः ऐसा माहौल विकसित करना जहाँ समस्त प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ सकें, पढ़ना चाहें और स्वयं समावेशित होने का अनुभव कर सकें।

तृतीय जेंडर

तृतीय जेंडर से आशय उन लोगों से है जिनका जेंडर जन्म के समय चिह्नित जेंडर से भिन्न हो। इसके

अंतर्गत ट्रांसजेंडर, ट्रांस-मेन, ट्रांस-वीमेन, हिजड़ा, किन्नर इत्यादि आते हैं (चंद्र, 2017, पृष्ठ 878)।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समस्याएँ

प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक उन्नति चाहता है और यह तभी संभव हो सकता है जब उसे शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अस्तित्व प्रत्येक संस्कृति, नस्ल व वर्ग में तब से है जब से मानव जीवन है, परंतु हमारे समाज में हमेशा स्त्री व पुरुष इन्हीं दो जेंडरों की बात की जाती है। हमारा समाज दुनिया को 'ड्युअल जेंडर मॉडल' के रूप में ही देखता है। मई 2014 को प्रसारित सरकारी आँकड़ों के अनुसार, भारत में तृतीय जेंडर के लोगों की संख्या 4.9 लाख है, परंतु इनके लिए कार्य करने वाली संस्थाओं (जैसे— सहोदरी व नाज फ़ाउंडेशन) के अनुसार यह संख्या इससे छह-सात गुना अधिक है, क्योंकि समाज के उपेक्षित व्यवहार की वजह से ये अपनी पहचान छुपाकर रखते हैं (टाइम्स ऑफ़ इंडिया, 30 मई, 2014)। जनगणना 2011 के आँकड़े के अनुसार, भारत की साक्षरता दर 74 प्रतिशत है तथा पुरुषों की साक्षरता दर 80 प्रतिशत से अधिक व स्त्रियों की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत, परंतु ट्रांसजेंडर्स की साक्षरता दर मात्र 46 प्रतिशत है। शिक्षा संस्थानों में इनकी संख्या इकाइयों में भी नहीं है। प्रस्तुत आँकड़े यह दर्शाते हैं कि ट्रांसजेंडर्स की शैक्षिक भागीदारी अन्य जेंडर से बहुत ही कम है। जिस प्रकार से स्त्री व पुरुष की शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक स्तर पर बहुत-सी समस्याएँ हैं, उसी प्रकार से ट्रांसजेंडर्स की भी अपनी विशेष समस्याएँ एवं आवश्यकताएँ हैं।

परिवार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी., 2017) द्वारा तृतीय जेंडर पर कराए गए एक अध्ययन के अनुसार इनके साथ भेदभाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। परिवार में भी माता-पिता व अन्य सदस्यों द्वारा मौखिक व शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पहले तो ट्रांसजेंडर बच्चों को यह समझने में कई साल लग जाते हैं कि वे अन्य लड़की या लड़के से अलग हैं और फिर वे इस बात को जब तक संभव हो, तब तक छुपाकर रखते हैं, परंतु जब वे अपने परिवार को इस बारे में बताते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाने लगता है। अधिकतर परिवार ट्रांसजेंडर होने के कारण अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और यदि वे ऐसे बच्चों को अपने साथ रखते भी हैं तो उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा व्यवहार वे अपने अन्य बच्चों अर्थात् लड़के व लड़की के साथ करते हैं।

विद्यालय व शिक्षा व्यवस्था

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र का पहला स्तर है जहाँ उन्हें व्यक्तिगत असुरक्षा का अनुभव होता है। विद्यालय में शिक्षकों व सहपाठियों द्वारा ट्रांसजेंडर्स की पिटाई की जाती है तथा उनका यौन शोषण भी किया जाता है। एन.एच.आर.सी. के अनुसार, 52 प्रतिशत ट्रांसजेंडर सहपाठियों द्वारा तथा 15 प्रतिशत शिक्षकों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, जिस कारण ट्रांसजेंडर्स को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। कई बार ये शोषण आत्महत्या का भी कारण बन जाते हैं। विद्यालयों में इनके लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं होती, जिस

कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में कहीं भी इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में केवल स्त्री व पुरुष की बात की जाती है, जबकि इनसे इतर और भी जेंडर हैं, लेकिन उनके बारे में विद्यार्थियों को कोई जानकारी नहीं दी जाती। जानकारी के अभाव में अन्य जेंडर के विद्यार्थियों का ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के प्रति असंवेदनशील होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विद्यालयों में आने पर ये वहाँ खुद को समाज से अलग ही पाते हैं तथा समायोजित नहीं हो पाते हैं। मानबी बंदोपाध्याय पहली ट्रांसजेंडर हैं जो किसी शैक्षिक संस्थान में प्रिंसिपल बनीं, परंतु बाद में विद्यार्थियों व सहकर्मियों के असहयोग और विरोध के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शैक्षणिक संस्थानों में अस्वीकार्यता, भेदभाव व शोषण के कारण इस समुदाय के लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और बिना शिक्षा के इन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना कैसे संभव हो पाएगा?

क्षमता व अवसर

आज कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने कई प्रमुख क्षेत्रों में प्रथम ट्रांसजेंडर के रूप में कार्य करने का गौरव प्राप्त किया है तथा इस समुदाय के लिए एक प्रेरणा हैं, जैसे— सत्य शर्मा (ट्रांसजेंडर वकील), जोयिता मंडल (ट्रांसजेंडर जज), पृथिका यशिनी (सब-इंस्पेक्टर), मानबी बंदोपाध्याय (महाविद्यालय प्रधानाचार्य), शबनम 'मौसी' (विधायक) इत्यादि (इंडिया टुडे, 4 जुलाई, 2018)। एक लंबे संघर्ष और अपने कार्यक्षेत्रों में भेदभाव तथा शोषण का सामना करने के बाद परंपरागत छवि से हटकर इन्होंने अपनी

एक विशिष्ट पहचान बनाई है। ऐसा नहीं है कि तृतीय जेंडर की क्षमता स्त्रियों व पुरुषों की तुलना में कम है। उन्हें शिक्षा व रोजगार में अवसर नहीं मिले, इसलिए उन्हें नाच-गाकर लोगों से पैसे माँगकर अपना जीवनयापन करना पड़ता है। क्षमता होते हुए भी उन्हें अवसर न मिलना विशेष समस्या है।

नीतियाँ तथा कानून

लोकसभा में 22 जुलाई, 2016 को ट्रांसजेंडर पर्सनल बिल (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स) पारित हुआ। परंतु इसमें बहुत-सी कमियाँ थीं तथा ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा इसका काफ़ी विरोध किया गया। 27 संशोधनों के पश्चात् पुनः 2018 में यह बिल पास हुआ, परंतु इतने संशोधनों के बाद भी इसमें कमियाँ रहीं और इसका पुनः विरोध हुआ। उच्चतम न्यायालय ने 2014 में अपने निर्णय में कहा था कि तृतीय जेंडर को स्वयं की पहचान स्त्री, पुरुष या तृतीय जेंडर के रूप में चुनने का अधिकार है, परंतु वर्तमान बिल में उन्हें पहचान पत्र देने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी के गठन की बात की गई है, जिसका इस समुदाय द्वारा विरोध किया जा रहा है (सिन्हा, 2018)। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया था कि पिछड़े समूहों की भाँति इन्हें भी शिक्षा व रोजगार में आरक्षण दिया जाए। वर्तमान बिल में इनकी शिक्षा व रोजगार की बात तो की गई है, परंतु शिक्षा तक इनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष कानूनी प्रावधान या आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। इनके खिलाफ़ हुई हिंसा के लिए सज़ा का प्रावधान भी अपेक्षाकृत बहुत कम है। हमारे देश में तृतीय जेंडर को समाज की मुख्यधारा में लाने के

लिए काम किया जा रहा है जिसका एक उदाहरण यह बिल है। परंतु ट्रांसजेंडर समुदाय की विविधता के बारे में जागरूकता व ज्ञान के अभाव में सही नीतियाँ बनाना संभव नहीं है। अतः आवश्यकता है कि इस समुदाय की विविधता व समस्याओं के आधार पर नीतियों व कानूनों की व्यवस्था की जाए।

ट्रांसजेंडर समुदाय

इस समुदाय के सभी लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। समाज के उपेक्षित व्यवहार के कारण इन लोगों ने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है तथा ये अपने जैसे बच्चों को ज़बरदस्ती उनके परिवार से अलग कर अपने समुदाय में ले आते हैं। इनका खुद का समुदाय भी समाज के उपेक्षित व्यवहार के कारण ट्रांसजेंडर की शिक्षा में बाधा बना हुआ है।

तृतीय जेंडर हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम

ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाने व इन्हें सशक्त बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं —

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 अप्रैल, 2014 को दिया गया फैसला ट्रांसजेंडर समुदाय के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक ओर जहाँ इन्हें तृतीय जेंडर के रूप में अपनी पहचान बताने का अधिकार मिला, वहीं केंद्र व राज्य सरकारों को शिक्षा व रोजगार में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के समान ही इन्हें भी आरक्षण व सुविधाएँ देने का आदेश मिला।

- यू.जी.सी. ने 23 जुलाई, 2014 को प्रकाशित अपने एक नोटिस में ट्रांसजेंडर्स को तृतीय जेंडर के रूप में यू.जी.सी. की सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों में समावेशित करने की बात की थी तथा यू.जी.सी. ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को तृतीय जेंडर के लिए शैक्षिक वातावरण निर्मित करने के लिए पत्र लिखा। जिसमें यू.जी.सी. ने सभी आवेदन प्रपत्रों व दस्तावेजों में जेंडर श्रेणी में तृतीय जेंडर का कॉलम भी सम्मिलित करने को कहा ताकि बिना किसी डर व शर्म के ये शिक्षा ग्रहण कर पाएँ, इसलिए इनके लिए अलग शौचालयों व आरामगृहों का निर्माण करने व जेंडर संवेदी कार्यक्रम चलाने की भी बात कही (टाइम्स ऑफ़ इंडिया, 15 फ़रवरी, 2015)।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप, 2019 में, “ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा” नामक शीर्षक के अंतर्गत शिक्षा में इनके समावेशन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही गई है जिसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर बच्चों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, स्कूल में इनके अनुकूल व सुरक्षित वातावरण बनाना, पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या में इनका समावेशन करना इत्यादि बातें रखी गई हैं।
- लोकसभा में 22 जुलाई, 2016 को ट्रांसजेंडर पर्संस बिल (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स) पारित हुआ तथा 27 संशोधनों के पश्चात् यह बिल पुनः 2018 में पास हुआ। अब 19 जुलाई, 2019 को द ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स

बिल, 2019 लोकसभा में पारित किया गया तथा 5 अगस्त, 2019 को यह बिल पास हो गया। इस बिल में ट्रांसजेंडर के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए दंड का प्रावधान है। इस विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाणपत्र जारी करने के अलावा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रॉपर्टी व घर से संबंधित अधिकार तथा अन्य मुद्दों में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करने पर जोर दिया गया है।

- केरल में छह ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं द्वारा पहले ट्रांसजेंडर स्कूल 'सहज इंटरनेशनल' की शुरुआत की गई जिसका मुख्य उद्देश्य उन वयस्क तृतीय जेंडर को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है जिन्होंने कम उम्र में स्कूल छोड़ दिया था (कृष्णन, 2017)। यह भारत में इस तरह का पहला स्कूल है जो तृतीय जेंडर को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लाने का कार्य करेगा। पिछले कुछ वर्षों में केरल राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे— ट्रांसजेंडर पॉलिसी 2015, तृतीय जेंडर के लिए पेंशन योजना, केरल स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा पहली बार तृतीय जेंडर के लिए 'स्पोर्ट्स मीट' का आयोजन, कोच्चि मेट्रो द्वारा 23 ट्रांसजेंडर को नौकरी इत्यादि।
- तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ की सरकार ने तृतीय जेंडर के लिए 2008 में "ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी" बनाई जिसके अंतर्गत फ्री हाउसिंग प्रोग्राम, विभिन्न नागरिक

प्रपत्र, उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के साथ प्रवेश, जीवनयापन के वैकल्पिक साधन इत्यादि मुहैया कराने की बात की थी।

केंद्र व राज्य सरकारों, सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के हित में बहुत-से कदम उठाए गए। परंतु अभी भी यह समुदाय समाज की मुख्यधारा से अलग है तथा अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में इनका समावेशन नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण लोगों की इनके प्रति नकारात्मक मानसिकता, सरकार द्वारा बनाए गए व निर्देशित किए गए नियमों का सुचारू रूप से पालन न होना इत्यादि है।

समाधान हेतु सुझाव

शिक्षा में तृतीय जेंडर के व्यक्तियों के समावेशन हेतु तथा इनकी स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक है कि इनके अंदर व समाज के अन्य लोगों में इनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाए। इनकी शिक्षा के लिए राज्य व केंद्र सरकारों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए—

- विद्यालयों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में इनके प्रवेश को सुनिश्चित करने हेतु कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए।
- पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में तृतीय जेंडर का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि विद्यालय में आने पर वे खुद को समाज से अलग न पाएँ।
- विद्यालयों में इनके लिए भी अलग शौचालयों की व्यवस्था की जाए।
- सामान्य विद्यालयों में अन्य विद्यार्थियों के साथ ही इन्हें भी पढ़ाया जाना चाहिए। इनके लिए

अलग विद्यालयों या कक्षाओं की व्यवस्था करने का मतलब है— समाज की मुख्यधारा से इन्हें अलग ही रखना।

- विद्यालयों में इनके साथ भेदभाव व शोषण न हो, इसके लिए नियम बनाए जाएँ व उनका कड़ाई से पालन किया जाए।
- शिक्षित ट्रांसजेंडर्स को विद्यालयों में शिक्षण का अवसर दिया जाए जिससे विद्यार्थियों में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो तथा विद्यालय में आने वाले ट्रांसजेंडर विद्यार्थी उनसे प्रेरित हों व आसानी से स्वयं को अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ समायोजित कर पाएँ।
- जैसा कि यू.जी.सी. ने कहा है कि विद्यार्थियों, शिक्षकों, गैर-शिक्षक कर्मचारियों तथा ट्रांसजेंडर के अभिभावकों को जागरूक करने के लिए जेंडर संवेदी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
- शिक्षा व्यवस्था में स्त्री शिक्षा की भाँति ही ट्रांसजेंडर शिक्षा का भी समावेश होना चाहिए।
- शिक्षण सत्र के दौरान समय-समय पर तृतीय जेंडर के लिए निर्देशन एवं परामर्श के प्रोग्राम कराए जाने चाहिए।
- जिस प्रकार कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में लड़के व लड़कियों की समस्याओं के समाधान हेतु समिति बनी होती है, उसी प्रकार तृतीय जेंडर के लिए भी समिति बनाई जाए। जहाँ ये शिक्षा परिसर में होने वाले अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकें।

- सबसे आवश्यक है हमें इनके प्रति अपने नजरिये को बदलना होगा। इन्हें एक व्यक्ति के रूप में सम्मान देना होगा और संवेदनशील होना होगा तभी ये शिक्षा प्राप्त कर अपनी स्थिति में सुधार कर पाएँगे।

निष्कर्ष

शिक्षा व रोजगार में अवसर उपलब्ध न होने पर ट्रांसजेंडर्स नाच-गाकर व लोगों से पैसे माँगकर अपना जीवनयापन करते हैं। समाज व देश के आर्थिक विकास में इनका कोई योगदान नहीं होता है। अगर ट्रांसजेंडर्स को भी शिक्षा दी जाए तो इनका भी सर्वांगीण विकास होगा तथा ये देश की उन्नति में भागीदार हो सकते हैं। जिस प्रकार लड़कियों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने व उनकी शिक्षा हेतु कई प्रकार की मुहिम चलाई गई एवं प्रयास किए गए व किए जा रहे हैं, उसी प्रकार ट्रांसजेंडर्स के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कर इन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए मुहिम चलाने की आवश्यकता है। शिक्षा में इनके समावेशन द्वारा ही मानबी बंदोपाध्याय, कल्कि, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जैसी छवि बन पाएगी, अन्यथा ट्रांसजेंडर्स की वही परंपरागत नाचने-गाने व माँगने वाली छवि तथा स्थिति बनी रहेगी। इस लेख के माध्यम से ट्रांसजेंडर्स की शिक्षा में आने वाली समस्याओं को पहचान कर उन्हें समझने का प्रयास किया गया है, परंतु इस लेख का उद्देश्य तब तक अपूर्ण रहेगा, जब तक इन समस्याओं के समाधान हेतु कार्य कर शिक्षा की मुख्यधारा में ट्रांसजेंडर्स का समावेशन नहीं होता।

संदर्भ

- इंडिया टुडे. 4 जुलाई, 2018. 8 इंडियन ट्रांसजेंडर पीपल हू वेयर द फ़र्स्ट इन देयर फ़िल्ड. <https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/list-of-transgenders-firsts-who-made-it-big-in-their-fields-1276415-2018-07-03> से लिया गया है.
- कृष्णन, मुग़ली. 2017. इंडियाज़ फ़र्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल ओपेंस, बट डिस्क्रिपशन रिमेंस. <https://www.dw.com/en/indias-first-transgender-school-opens-but-discrimination-remains/a-36986873> से लिया गया है.
- चंद्र, सतीश. 2017. ट्रांसजेंडर चिल्ड्रेंस एजुकेशन एंड देयर रिइंगेजमेंट इन सोसाइटी. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च स्टडीज़. वॉल्यूम II, पृष्ठ 875–890. https://www.researchgate.net/publication/321244767_TRANSGENER_CHILDREN_SEDUCTION_AND_THEIR_REENGAGEMENT_IN_SOCIETY से लिया गया है.
- टाइम्स ऑफ़ इंडिया. 15 फ़रवरी, 2015. इश्योर ट्रांसजेंडर्स फ़ील एट होम. यू.जी.सी. टू यूनिवर्सिटीज़. <https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/Ensure-transgenders-feel-at-home-UGC-to-universities/articleshow/46248552.cms> से लिया गया है.
- टाइम्स ऑफ़ इंडिया. 30 मई, 2014. फ़र्स्ट काउंट ऑफ़ थर्ड जेंडर सेंसस 4.9 लाख. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/First-count-of-third-gender-in-census-4-9-lakh/articleshow/35741613.cms> से लिया गया है.
- नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. 2017. स्टडी ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ़ ट्रांसजेंडर एज ए थर्ड जेंडर. केरला डेवलपमेंट सोसाइटी. नयी दिल्ली. http://nhrc.nic.in/sites/default/files/Study_HR_transgender_03082018.pdf से लिया गया है.
- मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड वेलफ़ेयर. द ट्रांसजेंडर पर्संस (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट) बिल, 2019. नयी दिल्ली. <http://www.prsindia.org/billtrack/transgender-persons-protection-rights-bill-2019> से लिया गया.
- यू.जी.सी. नोटिस. इन्क्लुजन ऑफ़ ट्रांसजेंडर एज थर्ड जेंडर अंडर द वेरियस स्कॉलरशिप/ फ़ेलोशिप. https://www.ugc.ac.in/pdfnews/9200827_2.pdf से लिया गया है.
- सिन्हा, आर. 2018. द ट्रांसजेंडर पर्संस (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स) बिल, 2016— कंपेरिजन ऑफ़ द 2016 बिल विद 2018 अमेंडमेंट्स. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च. नयी दिल्ली. https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Note%20on%20Amendment%20-%20Transgender%20Bill%20For%20Upload.pdf से लिया गया है.

शिक्षा एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी

आराधना गोस्वामी*

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है, प्रौद्योगिकी के नित नए आविष्कारों ने मानव जीवन को बदल दिया है। मानव हमेशा से ही सूचना के आदान-प्रदान हेतु नए तरीकों की खोज में कार्यरत रहा है और इसी कारण सूचना के आदान-प्रदान में आधारभूत परिवर्तन हुआ है। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान के संकलन, संप्रेषण एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए शिक्षा की दशा और दिशा दोनों ही के लिए 'तकनीक' एक विशिष्ट माध्यम के रूप में उभरी है। इस लेख में वर्तमान समय में शिक्षा में तकनीकी तथा ई-लर्निंग आदि के हो रहे प्रयोग को प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान समय में हमारे देश का प्रत्येक युवा भारतीय शिक्षा में प्रगति कर रहा है, भारत में शिक्षा प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रही है। ऐतिहासिक काल में पुरोहितों के द्वारा शिक्षा ज्ञान प्राप्ति के लिए तथा अन्य वर्ग, युद्धकला, व्यापार आदि सीखने के लिए शिक्षा का प्रयोग करते थे अर्थात् शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन हुआ करता था। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात् देश में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया। देश में वर्ष 2009 में, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा, समग्र शिक्षण, मध्याह्न भोजन आदि के ज़रिए शिक्षा को अन्तिम पंक्ति के बालक तक पहुँचाने के प्रयास किए गए, जो आज भी जारी हैं।

इसका परिणाम हमें आँकड़ों से स्पष्ट प्रतीत होता है, जहाँ स्वतंत्रता के समय भारतीय साक्षरता दर 12 प्रतिशत थी, वहीं 2011 की जनगणना में साक्षरता दर 74.4 प्रतिशत हो गई, जिसमें केरल सबसे ऊपर है। केरल में साक्षरता दर 93.1 प्रतिशत रही तथा मिज़ोरम में साक्षरता दर 91.58 प्रतिशत है, जो अन्य राज्यों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सरकार ने शिक्षा को साधन से हटाकर साध्य के रूप में प्रयोग किया, जिससे आत्मसात करने के लिए या समझ विकसित करने वाली मूल्यपरक शिक्षा पर जोर दिया गया। ज्ञान की बात की जाए तो हमारा पहला ध्यान विज्ञान विषय की तरफ़ होता है, जिसमें किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या समस्या का व्यवस्थित सरल और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। शिक्षा

को देश में एक मूल्यवान संसाधन माना गया है, इसके जरिए देश के हित तथा नागरिकों के हितों को सुरक्षित किया जाता रहा है। जब हम किसी स्रोत को संसाधन के तौर पर मानते हैं तो उसे हम संवर्धित भी करते हैं और आज के समय में शिक्षा को संवर्धित, पुष्पित और पल्लवित करने में विज्ञान प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वैयक्तिक, सामूहिक और देशज हितों की वृद्धि सुनिश्चित की जाती है। इस प्रक्रिया को सरल, उत्साही और समावेशी बनाने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों ही तरह के प्रयास जारी हैं, परंतु जब शिक्षा को प्रौद्योगिकी का साथ मिला तो प्रयासों में और तेज़ी आई तथा स्थितियाँ पहले से ज्यादा स्पष्ट प्रतीत होने लगीं।

औपचारिक शिक्षा में प्रौद्योगिकी का महत्व

वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दी जाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियाँ सभी निश्चित एवं योजनाबद्ध होते हैं। इसमें सीखने वालों को विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की समय-सारणी के अनुसार कार्य करना होता है। इसमें परीक्षा लेने और प्रमाणपत्र प्रदान करने की व्यवस्था होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह व्यक्ति में ज्ञान और कौशल का विकास करती है और उसे किसी विशेष व्यवसाय अथवा उद्योग के योग्य बनाती है। औपचारिक शिक्षा और वैज्ञानिक तकनीकी दोनों के उद्देश्य समान हैं, दोनों ही ज्ञान और कौशल का विकास करते हैं।

उदाहरण के तौर पर यदि कोई शिक्षक भूगोल की कक्षा में पृथ्वी पर कोई स्थान दर्शाना चाहता हो तो उसके लिए ग्लोब से कहीं बेहतर 3D मैप या 'गूगल अर्थ' का प्रयोग होगा, ठीक उसी प्रकार जीव विज्ञान में यदि पाचन तंत्र पढ़ाना है तो उसके लिए मॉडल के बजाय 3D वीडियो से समझाना अधिक कारगर सिद्ध होगा। ऐसे में स्पष्ट रूप से औपचारिक शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर कक्षा शिक्षण को अधिक सुलभ तथा रोचक बनाया जा सकता है।

तकनीकी के माध्यम से शिक्षा हेतु केंद्र सरकार के प्रयास

वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा में बहुआयामी स्तर पर डिजिटलीकरण (डिजिटल इंडिया प्रोग्राम— 2015) को बढ़ावा दिया गया है, साथ ही सरकार से परे भी ज्ञान को लोगों की पहुँच तक लाने में गैर-सरकारी व निजी प्रयास भी सराहनीय हैं। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आई.सी.टी. (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) के लिए पाठ्यचर्या (केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान 2013) में छह किस्मों की पहचान की है—

- **विश्व के साथ संयोजन सूचना साक्षरता**— शिक्षण और सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक से परे जानकारी और संसाधनों का उपयोग करना।
- **एक-दूसरे के साथ संयोजन**— समर्थन और व्यावसायिक विकास के लिए विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों आदि का अद्यतन करना।
- **आई.सी.टी. सृजन**— शिक्षण संसाधन डॉक्यूमेंट्स और दृश्य-श्रव्य सामग्री को विकसित करने हेतु तथा उपयुक्त फ़ाइल संबंधी प्रथाओं और प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए।

- **आई.सी.टी. के साथ संवाद**— इंटरफेस की समझ एवं सबसे उपयुक्त टूल का चयन, कार्यात्मकता की समझ, समस्या निवारण तथा सुरक्षा कनेक्टिविटी और रख-रखाव।
- **शिक्षा के क्षेत्र में संभावनाएँ**— ऑनलाइन संसाधन अंतर्क्रिया, शिक्षा संबंधी लक्ष्यों से संबद्धता, महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, अन्वेषण और प्रयोग, प्रशासन के लिए टूल्स आदि।
- **आगे बढ़ना और अंतरों को कम या समाप्त करना**— भाषा दृश्य और श्रवण दोष, डिजिटल समुदायों आदि के संदर्भ में समावेशना।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा में तकनीक के माध्यम से शिक्षा के विस्तार की आकांक्षा से सहयोगी संस्थानों, जैसे— रा.शै.अ.प्र.प., ए.आई.सी.टी.ई., डिपार्टमेंट ऑफ़ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी आदि ने निम्न पोर्टल, वेबसाइट, चैनल, ऐप आदि विकसित किए हैं। इन्हें तीन स्तरों में स्पष्ट किया जा सकता है—

1. प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर

‘दीक्षा पोर्टल’ (डिजिटल इंटरफेस फ़ॉर नॉलेज शेयरिंग)— यह माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में (क्यू.आर.) कोड से पढ़ाई करवाने की योजना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षकों के पेशेवर उन्नयन तथा कक्षा 9 और 10 के विज्ञान, गणित विषयों से संबंधित अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए ‘दीक्षा पोर्टल’ प्रारंभ किया है।

ई-पाठशाला— यह एक ऐप है, जिसे रा.शै.अ.प्र.प. ने विकसित किया है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की समस्त विषयों की पुस्तकें ई-पुस्तकों के रूप में तथा कुछ ऑडियो एवं वीडियो उपलब्ध हैं।

इस प्रकार तकनीक ने अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों तक या अतिरिक्त ज्ञानार्जन के इच्छुक व्यक्तियों तक रा.शै.अ.प्र.प. की मानक पुस्तकों को पहुँचाया है। प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए भी रा.शै.अ.प्र.प. की पुस्तकों को ही आधार स्वरूप माना जाता है जो ई-पाठशाला ऐप के माध्यम से सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं।

2. उच्चतर शिक्षा स्तर

स्वयं (स्टडी वेब्स ऑफ़ एक्टिव लर्निंग फ़ॉर यंग एस्पाइरिंग माइंड)— भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से विद्यार्थियों को मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु **स्वयं** (SWAYAM) वेबसाइट की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से कक्षा 9 से परास्नातक तक के विषयों का अध्ययन किया जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने माइक्रोसॉफ़्ट की सहायता से **स्वयं** की वेबसाइट विकसित की है। इसके अंतर्गत 2000 पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। **स्वयं** में कई विशिष्टताएँ हैं, जो इस प्रकार हैं—

- वीडियो व्याख्यान के ज़रिए विद्यार्थी कक्षा शिक्षण जैसा ही लाभ ले सकते हैं।

- (ii) डाउनलोड की भी व्यवस्था होने के नाते वीडियो व्याख्यान को कई बार सुना और देखा जा सकता है जिससे विषय संबंधी हर प्रकार के संदेह को दूर किया जा सके।
- (iii) 'स्वयं' के माध्यम से विद्यार्थी जो भी सीख रहा है, उसका स्व-मूल्यांकन भी किया जाता है जो विद्यार्थी कक्षा शिक्षण में असंतुष्टि की स्थिति में हों, उनके लिए यह अत्यधिक सहायक है।
- (iv) यह एक डिजिटल तकनीक है जो कक्षा में उपस्थित न हो पाने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे शिक्षकों द्वारा सीखने के अवसर प्रदान करती है।
- (v) **स्वयं प्रभा**— यह सरकार की ऐसी पहल है जिसका आधार **ज्ञान दर्शन** चैनल है। यह इस चैनल का विस्तारित और संबंधित रूप है। डी.टी.एच. टी.वी. चैनल पर **स्वयं** के सभी कोर्स के वीडियो एवं व्याख्यान प्रसारित किए जाते हैं, यह सर्विस उनके लिए ज्यादा कारगर है जो इंटरनेट सुविधा न होने पर वीडियो नहीं देख पाते थे। इसमें रोज 4 घंटे नए पाठ्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके बाद सभी पाठ्यक्रम दोहराए जाते हैं।
- (vi) **एकेडेमिया डॉट एडू (Academia.edu)**— यह एक ऐसी वेबसाइट है, जिसका 84 करोड़ शोधार्थी विश्व स्तर पर प्रयोग कर रहे हैं और इस पर 22 करोड़ शोध-पत्रों को साझा करने तथा उसे पढ़े जाने पर शोधार्थी को अपने शोध पत्र की साइटेशन इंडेक्स का पता चलता है कि उसके काम को कितना सराहा और प्रसारित किया जा रहा है।

- (vii) **रिसर्च गेट फ़ोरम**— यह एक समृद्ध शोध खोज वेबसाइट है, जो एक निजी प्लेटफ़ार्म है, जिस पर वैश्विक स्तर के शोधों का आदान-प्रदान किया जाता है। इससे नए मौलिक शोधों को बढ़ावा मिलता है। यदि किसी शोधार्थी को शोध के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो वह इस फ़ोरम की सहायता से अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकता है।

3. प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए

सरकारी प्रयासों के अलावा निजी तौर पर भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। जो मुख्यतः प्रतिस्पर्धी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी पर केंद्रित है। जिसमें एस.एस.सी., सिविल सर्विसेस, रेलवे भर्ती, स्टेट सर्विसेस, यू.जी.सी. नेट आदि मुख्य हैं, जो सामान्यतः यूट्यूब चैनल पर या टेलीग्राम समूह पर अपने वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ पी.डी.एफ. के रूप में नोट्स भी देते हैं, जिससे विद्यार्थी को बहुत लाभ मिलता है। इसके माध्यम से व्यक्ति किसी भी समय पढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त देश में कुछ चैनल, जैसे— स्टडी आई क्यू, यूएन एकेडमी, दृष्टि आई.ए.एस. आदि भी इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

प्रारंभिक शिक्षा में तकनीक के प्रयोग पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास

उत्तर प्रदेश सरकार विशेष तौर पर प्रारंभिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है जो इस प्रकार उल्लिखित हैं—

- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदेश में प्रचलित पाठ्यपुस्तकों (2018–2019) में क्यू.आर. कोड दिए गए हैं, जिससे शिक्षक एवं विद्यार्थी अतिरिक्त अध्ययन सामग्री ऑनलाइन उपयोग कर सकते हैं।
- शिक्षक अपने स्मार्ट फ़ोन पर क्यू.आर. कोड स्कैन कर विषय सामग्री को देख व सुन सकते हैं।
- शिक्षक प्रशिक्षण तथा कक्षा-शिक्षण से संबंधित शिक्षकों के वीडियो लेसन परिषद् के यूट्यूब चैनल (एस.सी.ई.आर.टी., लखनऊ, उत्तर प्रदेश) पर उपलब्ध हैं।
- परिषद् द्वारा विकसित *सीखने के प्रतिफल* से समस्त हितधारकों को अवगत कराने तथा उनकी संप्राप्ति के उद्देश्य से *सीखने के प्रतिफल* के वीडियो परिषद् यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं।
- कक्षा शिक्षण में आई.सी.टी. के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आई.सी.टी. प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। जिसके प्रथम चरण में जनपद स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर प्रतिभागी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यह प्रतियोगिता एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित कराई जाती है।
- एस.सी.ई.आर.टी. ने ई-पोथी ऐप (E-Pothi) के माध्यम से परिषदीय पुस्तकों को शिक्षकों तक पहुँचा दिया है।
- एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से डाइट (DIET) की ग्रेडिंग के लिए भी एक ऐप विकसित किया गया है।

शिक्षण में चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिकीय उपाय

शिक्षण में सामान्य तौर पर निम्न चुनौतियों को रेखांकित किया जा सकता है—

- कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होना।
 - पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए संघर्षरत शिक्षक।
 - विद्यार्थी में शिक्षा के प्रति रुचि न होना।
 - विद्यार्थियों को कक्षा/गृह कार्य कठिन लगना।
 - कक्षा में पर्याप्त संसाधनों का अभाव।
 - पाठ्यक्रम के कुछ कठिन विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक में पर्याप्त आत्मविश्वास न होना।
- प्रौद्योगिकी इनमें से बहुत-सी चुनौतियों का समाधान कर सकती है। एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, जिससे अध्ययन सामग्री डाउनलोड कर सकें तथा एक प्रोजेक्टर के इस्तेमाल से शिक्षण में निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं—
- नए विषयों के प्रेरक और रोचक परिचय प्रदान करना।
 - जटिल कल्पनाओं को समझाने के लिए अनुकरण (सिमुलेशन) का इस्तेमाल करना।
 - पाठ्यक्रम के विषयों और वास्तविक जगत के बीच संबंध बनाना।
 - किसी विषय पर शिक्षक एवं विद्यार्थियों को चर्चा के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
 - विभिन्न शैक्षिक एप्लीकेशन विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के द्वारा समझ विकसित करने और सहभागिता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
 - अनुसंधान करने और जानकारी प्रदान करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई की ज़िम्मेदारी लेने का अवसर देता है।

निष्कर्ष

वह दिन अब दूर नहीं जब देश में विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अभिभावकों में शैक्षिक गतिविधियों को लेकर भली-भाँति समावेशन स्थापित होगा। देश का प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक चाहे वे सुदूर क्षेत्र के हों अथवा सुगम क्षेत्र के, उचित और मानक पुस्तकों

का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, इंटरनेट के माध्यम से कई तरह के वेब पोर्टल, वीडियो लेक्चर की सीरीज़, एजुकेशनल एप्लीकेशन का भी भरपूर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रौद्योगिकी ने ज्ञान के प्रसार से शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण व अधिगम को सुगम बना दिया है।

संदर्भ

- ऑफिस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. 2017. *इमेजिनिंग द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन— 2017 नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लान अपडेट*. यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन. 17 अप्रैल, 2019 को <https://tech.ed.gov/files/2017/01/NETP17.pdf> से लिया गया है।
- ई-लर्निंग— लर्निंग ऑन द गो. 20 अप्रैल, 2019 को <https://epathshala.nic.in/e-pathshala-4/> से लिया गया है।
- गिनेट डी.रोबर्ट और लिज़ा एल. गेगनोन. 2014. *इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन द हायर एजुकेशन क्लासरूम— इमरजिंग ट्रेंड्स. जे.ई.पी. ई जर्नल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी. लॉरेंटियन यूनिवर्सिटी*. <https://files.sric.ed.gov/fulltext/EJ1158601.pdf> से लिया गया है।
- टाइम्स ऑफ इंडिया. 17 दिसंबर, 2018. उत्तर प्रदेश टू ऑनर 50 टीचर्स फ़ॉर प्रैक्टिसिंग आई.सी.टी. इन स्कूल्स. 20 अप्रैल, 2019 को <https://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/state-to-honour-50-teachers-for-practicing-ict-in-schools/articleshow/67119398.cms> से लिया गया है।
- द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी—इन एजुकेशन एंड टीचिंग प्रोसेस. 16 अप्रैल, 2019 को <https://www.useoftechnology.com/the-use-of-technology-in-education/> से लिया गया है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2012. *नेशनल पॉलिसी ऑन इंफ़ोर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आई.सी.टी.) इन स्कूल एजुकेशन*. भारत सरकार. नयी दिल्ली. https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/revise_policy%20document%20ofICT.pdf से लिया गया है।
- मैकमिलन कैटी. कल्प, मार्गट हनी और एलेन मेंडीनेच. 2003. *ए रेट्रोस्पेक्टिव ऑन ट्वेंटी यर्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी*. यू. एस. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन. ऑफिस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. 17 अप्रैल, 2019 को <https://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/20years.pdf> से लिया गया है।
- रीड शेअर्ड. 2018. *द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द ग्रेट हायर एजुकेशन ट्रांसफ़ोर्मेशन*. फ़ोर्ब्स टेक्नोलॉजी काउंसिल. 20 अप्रैल, 2019 को <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/04/19/the-role-of-technology-in-the-great-> से लिया गया है।
- हाऊ इम्पोर्टेंट इज़ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. 17 अप्रैल, 2019 को <https://marketing.pinecc.com/blog/the-importance-of-technology-in-education-pine-coves-top-10-reasons> से लिया गया है।
- हायर एजुकेशन ट्रांसफ़ोर्मेशन. *एडूकोज़ रिव्यू*. 17 अप्रैल, 2019 को [higher-education-transformation/](https://www.highereducationtransformation.com/) से लिया गया है।
- स्वयं. 12 अप्रैल, 2019 को <https://swayam.gov.in/> से लिया गया है।
- स्वयंप्रभा—फ़्री डी.टी.एच. चैनल फ़ॉर एजुकेशन. 12 अप्रैल, 2019 को <https://www.swayamprabha.gov.in> से लिया गया है।

विज्ञान कक्षाओं में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयाँ

सौरभ कुमार*
सुहासिनी बाजपेयी शुक्ल**

विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विज्ञान कक्षा में प्रमुख समस्या उचित तथा अनुकूल शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है। विद्यार्थियों को विज्ञान की विषय-वस्तु के सापेक्ष उचित स्पर्शीय मॉडल नहीं मिल पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला में अनुकूलित उपकरण के अभाव में सभी दृष्टिबाधित विद्यार्थी प्रयोग नहीं कर पाने में असमर्थ होते हैं। शिक्षक के लिए हर तथ्य के अनुसार अनुकूलित सामग्री तैयार करना तथा सुरक्षा कारणों से प्रत्येक विद्यार्थी को प्रयोगशाला में होने वाले प्रयोग में शामिल करना, एक जटिल चुनौती है। यह शोध पत्र शोधार्थी द्वारा उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में स्थित 'दृष्टिबाधित आदर्श विद्यालय', राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में, वर्ष 2019-20 में अध्ययनरत कक्षा 9 तथा कक्षा 10 से क्रमशः सात तथा नौ विज्ञान विद्यार्थियों तथा एक विज्ञान शिक्षक को प्रतिदर्श के रूप में चयनित कर, उन पर किए गए गुणात्मक शोध पर आधारित है। इस शोध का उद्देश्य 'दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विज्ञान अधिगम' प्रक्रिया एवं विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय आने वाली समस्याओं के साथ-साथ शिक्षकों की भी उक्त समस्याओं का अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध पत्र में शोध के परिणाम, सुझाव एवं शैक्षिक निहितार्थ का विस्तृत वर्णन किया गया है।

विज्ञान का जन्म हमारी जिज्ञासा का प्रतिफल है जो हमारी समस्याओं को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से हल करने और विचारों को तर्कपूर्वक पुनः परीक्षण करके सिद्ध करने की क्षमता का विकास करता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) ने सभी विद्यालयों में विज्ञान को कक्षा 10 तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की सिफ़ारिश की थी। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों

के लिए विज्ञान तथा गणित सुलभ बनाने पर ज़ेवियर रिसोर्स सेंटर फ़ॉर द विज़ुअली चैलेंज्ड, 2013 रिपोर्ट के अनुसार, "वर्तमान में भारत में 10वीं कक्षा तक के विज्ञान और गणित की पढ़ाई करने वाले दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का प्रतिशत नगण्य है। वर्षों से संसाधनों और सुविधाओं की कमी के कारण गहरी रुचि और योग्यता रखने वाले बहुसंख्यक दृष्टिहीन तथा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सामने विज्ञान और गणित की शिक्षा लेने की चुनौती है" (तारापोरवाला, 2013)।

*शोधार्थी, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

**सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

यदि हम किसी राष्ट्र के समग्र विकास की बात करते हैं तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके भावी नागरिक, चाहे वे दृष्टिबाधित ही क्यों न हों, विज्ञान का अध्ययन करें जिससे वे भी सामाजिक विकास में अपना योगदान दे सकें। “दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विज्ञान तब तक एक चुनौतीपूर्ण विषय है जब तक कि सही अनुकूलन, संशोधन और सहायक तकनीक का उपयोग न किया जाए। इन्हें विज्ञान विषय में दृष्टिवान विद्यार्थियों के अनुरूप अनुदेशन नहीं दिए जाते हैं। दृष्टिबाधित विज्ञान विद्यार्थी सही तरीकों और तकनीक की सहायता से दृष्टिवान विद्यार्थियों के समान कार्य कर और सीख सकते हैं” (बेक-विन्चतज़ और रिककोबोनो, 2008)। विज्ञान एवं गणित को पढ़ने में दृष्टिहीन तथा आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की अक्षमता के बारे में शिक्षक, स्कूल के विद्यार्थियों और उनके परिवारों के बीच जानकारी की कमी तथा कुछ कथित मिथक हैं, जो विज्ञान एवं गणित के अधिगम में बाधा पहुँचाते हैं। “भारत में विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण-सहायक सामग्री और संसाधनों की बहुत कमी है और अधिकांश विद्यार्थियों को दृष्टिगत सहायता या स्व-निर्मित रणनीतियों और उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ा है। इसके साथ ही शिक्षकों के बीच जागरूकता और कौशल का भी अभाव रहा है जिसमें विशेष शिक्षक भी हैं जो प्रभावी शिक्षण के लिए सहायक उपकरणों तथा तकनीकों का उपयोग करते हैं। इसके कारण विज्ञान अधिगम में कठिनाई और कथित मिथकों में बढ़ोत्तरी हुई है” (तारापोरवाला, 2013)। भारत में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए

विशेष स्कूल हैं, लेकिन ज्यादातर भाषा, साहित्य, संगीत एवं हस्तशिल्प पर केंद्रित हैं। ओझा (2014) के अनुसार, “दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ध्वनि और स्पर्श के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। भारत में दृष्टिबाधितों के लिए शैक्षिक संसाधन ज्यादा नहीं हैं तथा अधिकांश उपलब्ध सामग्री वास्तव में उनके लिए सुलभ नहीं हैं।” मैथ्यूज़ (2015) के अनुसार, “पूरे देश में दृष्टिहीन/दृष्टिबाधित विद्यार्थी उच्चतर स्तर के विज्ञान की शिक्षा से स्पष्ट रूप से निराश हैं। विज्ञान के क्षेत्र में दृष्टिहीन रोल मॉडल की कमी भी दृष्टिहीन विद्यार्थियों को विज्ञान की पढ़ाई जारी रखने से हतोत्साहित करने का प्रयास करती है। उन्हें लगातार अपवर्जित नजरिए से संघर्ष करना पड़ता है जो उनकी क्षमता को कमजोर कर देता है।”

भारत में दिव्यांगों की शिक्षा की स्थिति

माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग के लिए समावेशी शिक्षा योजना (स्कीम ऑफ़ इंकलूज़िव एजुकेशन फ़ॉर डिसेबल्ड एट सेकंडरी स्टेज—आई.ई.डी.एस.एस.) वर्ष 2009–10 के दौरान शुरू की गई जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (आई.ई.डी.सी.) के स्थान पर लाई गई। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के आठ वर्षों को पूरा करने के बाद दिव्यांग विद्यार्थियों को समावेशी और सक्षम वातावरण में चार साल की माध्यमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाना है। इस योजना में सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में, पढ़ने वाले सभी बच्चों को शामिल किया गया है। इस योजना में हर राज्य में आदर्श समावेशी विद्यालय स्थापित करने की परिकल्पना की गई।

दिव्यांगजनों को उनकी क्षमता के अनुसार अवसर प्रदान कर उनमें कौशल एवं रचनात्मकता का पोषण करना होगा। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 16 दिसंबर, 2016 को लोकसभा में 'दिव्यांगजन अधिकार विधेयक—2016' पारित किया गया। इस विधेयक ने निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 का स्थान लिया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में विनिर्दिष्ट अध्याय 3 'शिक्षा' के अनुसार समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्तपोषित व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएँ दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें और इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करें—

- उन्हें बिना किसी भेदभाव के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के समान खेल और आमोद-प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना तथा भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करना।
- ऐसे वातावरण में, जो पूर्ण समावेशन के ध्येय के संगत शैक्षणिक और सामाजिक विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते हैं, व्यक्तिगत आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि ऐसे व्यक्ति को, जो दृष्टिबाधित या बधिर या दोनों है, संसूचना की समुचित भाषाओं, रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करना।
- बालकों में विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं का शीघ्रतम पता लगाना और उन पर काबू पाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना।

- प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थी के संबंध में शिक्षा के प्राप्ति स्तरों और पूर्णता के रूप में उसकी भागीदारी, प्रगति को मॉनिटर करना, दिव्यांग बच्चों और उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के परिसर को भी परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त, इस विधेयक में 6–18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गई है। विशेष श्रेणी के दिव्यांगजनों हेतु सरकारी प्रतिष्ठानों में आरक्षण को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया गया है (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016)।

भारत में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विज्ञान शिक्षा की स्थिति

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए गणित और विज्ञान तक पहुँच पर जेवियर रिसोर्स सेंटर फ़ॉर द विजुअली चैलेंज्ड, 2013 रिपोर्ट के अनुसार, "वर्तमान भारत में 10वीं कक्षा तक विज्ञान और गणित की पढ़ाई करने वाले दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का प्रतिशत नगण्य है। दृष्टिहीन तथा आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित की शिक्षा लेने की चुनौती केवल कुछ विद्यार्थियों तक ही नहीं बल्कि बहुसंख्यक विद्यार्थियों की है। भारत में गणित और विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण-सहायक सामग्री और संसाधनों की बहुत कमी है और अधिकांश विद्यार्थियों को दृष्टिगत सहायता या स्व-निर्मित रणनीतियों और उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ा है। इसके साथ ही शिक्षकों के बीच जागरूकता और कौशल का भी अभाव रहा है, जिसमें विशेष शिक्षक भी हैं जो प्रभावी शिक्षण के लिए सहायक उपकरणों तथा तकनीकों का उपयोग

करते हैं” (तारपोरवाला, 2013)। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई उपकरण और प्रौद्योगिकियाँ मौजूद हैं जो दृष्टिहीन तथा आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और गणित सीखने की सुविधा प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपकरण और संसाधन भारत की तुलना में अधिक आसानी से उपलब्ध हैं, विज्ञान और गणित के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधियों पर प्रलेखन का काम पिछले एक दशक से ही शुरू हुआ है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एस.टी.ई.एम.) की पढ़ाई करने वाले दृष्टिहीन तथा आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों पर रुचि और अनुसंधान पिछले एक दशक में बढ़ा है। भारत में गणित और विज्ञान की पहुँच के लिए एक सक्रिय परियोजना की अवधारणा बनाकर उस पर कार्य आरंभ करने की आवश्यकता है। विज्ञान तथा गणित शिक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिनमें हस्तक्षेप की गंभीर रूप से आवश्यकता है, जिनमें शिक्षण-अधिगम सामग्री और उपकरण की उपलब्धता, शिक्षकों, विद्यालयों, विशेष शिक्षकों, विद्यार्थियों और परिवारों के बीच जागरूकता तथा दृष्टिहीन एवं आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए गणित और विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षकों का प्रशिक्षण आदि सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून में वर्ष 1959 में, ‘दृष्टिबाधितार्थ आदर्श विद्यालय’ (मॉडल स्कूल फॉर द ब्लाइंड) की स्थापना के बाद सन् 2009 से माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 तथा 10 में विज्ञान तथा गणित शिक्षण की व्यवस्था की गई है। अभी तक दृष्टिबाधित दिव्यांगों

के लिए कई योजनाएँ तथा अधिनियम आए, लेकिन किसी भी योजना या अधिनियम में माध्यमिक स्तर या उससे ऊपर विज्ञान शिक्षा की बात नहीं कही गई तथापि अधिनियमों में सहायक उपकरणों तथा शिक्षण-अधिगम सामग्री के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान अवश्य किए गए।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 नवंबर, 2010 को बोर्ड के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को संबोधित परिपत्र संख्या COORD/AS(C)/2010 के अनुसार, “दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान आधारित विषयों का चयन करने में सक्षम बनाने के लिए बोर्ड भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के विषयों में कोई भी दृश्य सामग्री के बिना अलग प्रश्न पत्र का प्रबंध करेगा”। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 23 दिसंबर, 2011 को बोर्ड के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को संबोधित अन्य परिपत्र संख्या CBSE/EO(SD)/2011/ के अनुसार, “परिपत्र संख्या 68/2011 दिनांक 16.09.2011 के संदर्भ में, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय लेने के लिए दृष्टिबाधित उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, सी.बी.एस.ई. ने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल के बदले फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के विषयों में व्यावहारिक सामग्री पर वैकल्पिक प्रश्न पत्र वाले अलग प्रश्न पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया। यह नई योजना मार्च, 2012 की परीक्षा से कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए और 2013 बोर्ड परीक्षा से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों

के लिए लागू की गई। इस पत्र में यह भी दोहराया गया कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर प्रैक्टिकल के बदले वैकल्पिक प्रश्न पत्र का यह प्रावधान केवल सी.बी.एस.ई. बोर्ड परीक्षा के लिए दिया गया है। प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए दिशानिर्देश में कहा गया है कि—

- विद्यार्थियों को किसी भी व्यावहारिक रिकॉर्ड फ़ाइल को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- प्रयोगात्मक प्रश्न अवधारणाओं पर आधारित ज्ञान और समझ पर आधारित होंगे।
- बहुविकल्पीय प्रश्नों में रसायन, उपकरण और अन्तर्निहित सिद्धांत के केवल मूल विवरण को शामिल किया जाएगा तथा कुछ प्रश्न दिन-प्रतिदिन के जीवन के अनुभवों पर आधारित होने चाहिए।
- मात्रात्मक गणना का मूल्यांकन इस तरह से किया जाएगा कि विद्यार्थी मौखिक रूप से करने में सक्षम हो।

शोध का औचित्य

भारत में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशेष विद्यालय हैं, लेकिन ज्यादातर भाषा, साहित्य, संगीत एवं हस्तशिल्प पर केंद्रित हैं। भारतीय परिदृश्य में माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विज्ञान शिक्षा आधुनिक गति के सापेक्ष नहीं है, इस कारण दृष्टिबाधित विद्यार्थी उच्चतर स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दे पाते। दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ तथा अधिनियम लागू किए गए हैं, लेकिन किसी भी योजना या अधिनियम में माध्यमिक

स्तर या उससे ऊपर दृष्टिबाधित विज्ञान शिक्षा की बात नहीं की गई। यद्यपि अधिनियमों में सहायक उपकरणों तथा शिक्षण-अधिगम सामग्री के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान अवश्य किए गए। प्रस्तुत शोध के माध्यम से माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विज्ञान शिक्षा की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की कठिनाइयों का पता चल सकेगा, जिसके आधार पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नवीन शिक्षण विधियों तथा उचित अनुकूलन का क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

शोध के उद्देश्य

1. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विज्ञान अधिगम प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं की पहचान करना।
2. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय आने वाली समस्याओं की पहचान करना।
3. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के विज्ञान अध्यापन में शिक्षकों के समक्ष आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
4. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग कराते समय शिक्षकों की समस्या का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक अनुसंधान पर आधारित है जिसमें शोध की प्रकृति के अनुसार गुणात्मक प्रविधि का प्रयोग किया गया है। शोधार्थी द्वारा असंभाव्यता प्रतिदर्शन की उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन तकनीक के माध्यम से उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में स्थित दृष्टिबाधितार्थ आदर्श विद्यालय, राष्ट्रीय दृष्टि

दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में वर्ष 2019-20 में, अध्ययनरत कक्षा 9 तथा 10 से क्रमशः सात तथा नौ विज्ञान विद्यार्थियों तथा एक विज्ञान शिक्षक का प्रतिदर्श के रूप में चयन किया गया। इस शोध के लिए मानकीकृत परीक्षण उपलब्ध न होने के कारण शोधार्थी द्वारा अपनी शोध पर्यवेक्षिका तथा अन्य विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अवलोकन तथा साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण कर प्रयोग किया गया। स्व-निर्मित उपकरण निम्न हैं—

- दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विज्ञान कक्षा तथा प्रयोगशाला अवलोकन अनुसूची;
- दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए साक्षात्कार अनुसूची;
- विशेष विज्ञान शिक्षक के लिए साक्षात्कार अनुसूची।


उपकरण निर्माण के पश्चात् शोधार्थी द्वारा दृष्टिबाधितार्थ आदर्श विद्यालय की कक्षा 9 तथा कक्षा 10 के विज्ञान विद्यार्थियों एवं शिक्षक से साक्षात्कार तथा विज्ञान कक्षा एवं प्रयोगशाला अवलोकन के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन किया गया। जिसके फलस्वरूप कक्षा 9 तथा कक्षा 10 की क्रमशः 5-5 विज्ञान कक्षाओं एवं प्रयोगशाला का अवलोकन किया गया तथा विद्यार्थियों एवं विज्ञान शिक्षक का साक्षात्कार लिया गया। विद्यालय के सहयोग से सभी कक्षाओं का अवलोकन पूरा किया गया तथा विज्ञान शिक्षक के द्वारा निर्धारित किए गए कार्यक्रम के अनुसार सभी विद्यार्थियों से भी साक्षात्कार लिया गया।

प्राप्त प्रदत्तों का व्यवस्थापन

प्रदत्त संकलन के बाद प्राप्त प्रदत्तों की लिखित प्रतिलिपि तैयार की गई। लिखित प्रतिलिपि तैयार करने के लिए विद्यार्थियों तथा शिक्षक साक्षात्कार के दौरान एकत्र जानकारी तथा साक्षात्कार के ऑडियो टैप का उपयोग किया गया। कक्षा तथा प्रयोगशाला अवलोकन के दौरान अलग-अलग समय पर प्राप्त सूचनाओं तथा चित्रों के आधार पर उनकी भी लिखित प्रतिलिपि तैयार की गई।

प्रदत्तों का विश्लेषण

लिखित प्रतिलिपि तैयार करने के पश्चात् शोधार्थी द्वारा प्रदत्तों के बारे में सामान्य समझ विकसित करने के लिए पढ़ा गया तथा प्रतिरूप के आधार पर लिखित प्रतिलिपि को कई खंडों में विभाजित किया गया। क्रेसवेल की कोडिंग प्रक्रिया के दृश्य मॉडल का अनुसरण करके शोधार्थी ने अपने गुणात्मक शोध के लिए कोडिंग प्रक्रिया विकसित की। प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए गुणात्मक शोध प्रविधि के अंतर्गत लिखित प्रतिलिपि के कई पृष्ठों के आधार पर विभिन्न खंड विकसित किए गए। इन विभिन्न खंडों के आधार पर लिखित प्रतिलिपि को संक्षिप्त करते हुए कोड विकसित किए गए। सभी खंडों को 25 कोड के अंतर्गत रखा गया। इसके उपरांत कोड्स की संख्या को घटाकर 12 तक लाया गया। अंत में 12 कोड को सात विषय (थीम) के अनुरूप विभक्त कर उन विषयों के आधार पर विवेचना की गई। शोधार्थी द्वारा प्रयुक्त गुणात्मक शोध में कोडिंग प्रक्रिया का दृश्य मॉडल निम्न है—



चित्र 1— शोधार्थी द्वारा प्रयुक्त गुणात्मक शोध में कोडिंग प्रक्रिया का दृश्य मॉडल

उद्देश्य 1— दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विज्ञान अधिगम प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं की पहचान करना

शोध कार्य के प्रथम उद्देश्य की पूर्ति हेतु कक्षा अवलोकन तथा विद्यार्थियों से साक्षात्कार द्वारा प्रदत्त संकलन किया गया। प्राप्त जानकारी के आधार पर शोधार्थी पर द्वारा बनाए गए विषय (थीम) के अनुसार दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विज्ञान अधिगम प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण निम्न प्रकार से किया गया—

कक्षा वातावरण

अवलोकन में पाया गया कि प्रयोगशाला में ली गई कक्षाएँ, कक्षा-कक्ष में ली गई कक्षाओं की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली रहीं। प्रयोगशाला में आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों में पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक उत्साह देखा गया। कक्षा-कक्ष में भी आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थी कक्षा में अधिक रुचि लेते दिखाई दिए, वहीं कुछ पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थी कक्षा अंतर्क्रिया के दौरान नीरस दिखाई दिए। कक्षा के दौरान शिक्षक

ने व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, विद्यार्थियों की समस्या को हल करने के लिए समस्या-समाधान विधि का प्रयोग किया। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विज्ञान अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में कक्षा-कक्ष की समस्याएँ निम्न हैं—

- कक्षा के दौरान अनुकूलित शिक्षण सहायक सामग्री के अभाव में विद्यार्थी व्याख्यान सुनकर ही पाठ के तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विज्ञान कक्षा में सहायक सामग्री के बिना कक्षा निष्प्रभावी है, जैसे— परमाणु की संरचना से संबंधित मॉडल के बारे में जानने के लिए कोई सामान्य दृष्टिवान विद्यार्थी मॉडल देखकर समझ सकता है, लेकिन दृष्टिबाधित विद्यार्थी अनुकूलित सहायक सामग्री के बिना परमाणु मॉडल की संरचना के बारे में नहीं समझ पाता। ऐसे में यह तथ्य उनके अधिगम को प्रभावित करता है।
- दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विज्ञान कक्षा में त्रिविमीय मॉडल अनुपलब्ध हैं या बहुत कम

मात्रा में उपलब्ध हैं जिससे विद्यार्थियों को प्रयोग निष्पादन की पूरी आजादी नहीं मिल पाती जो अधिगम में समस्या का कारण बनती है।

- विज्ञान से संबंधित घटनाओं के अवलोकन में पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त घटना से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने में भी समस्या आती है तथा किसी सहायक की आवश्यकता होती है, जैसे— अध्याय 'हमारा पर्यावरण' में जल जीवशाला (एक्वेरियम) बनाने का एक क्रियाकलाप है। इसे बनाने के पश्चात् विद्यार्थियों को जल जीवशाला में घटित घटनाओं के अवलोकन में समस्या होती है।
- दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विज्ञान कक्षा में किसी प्रकार की कंप्यूटर अनुदेशित सामग्री, श्रवण सामग्री के साथ प्रोजेक्टर आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए विद्यार्थियों के अनुभव में कमी की समस्या आती है।

पाठ्यपुस्तक

आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए बड़े अक्षरों (बड़े छापे) की पुस्तकें रखी जाती हैं। ये पुस्तकें रा.शै.अ.प्र.प. की पुस्तकों का ही रूपांतरित स्वरूप होती हैं। इन्हें सामान्य पुस्तक की तुलना में बड़े अक्षरों में प्रकाशित किया जाता है जिससे आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थी अपनी शेष दृष्टि का उपयोग कर पढ़ सकें, साथ ही साथ इसमें छपे चित्रों को भी बड़े रूप में मुद्रित किया जाता है। पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए रा.शै.अ.प्र.प. की पुस्तकों को केंद्रीय ब्रेल संस्थान, देहरादून में ब्रेल में रूपांतरित

किया जाता है। इसमें चित्र हटा दिए जाते हैं तथा सुझावों के आधार पर महत्वपूर्ण तथ्य ही रखे जाते हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी, दिल्ली) के सेंटर ऑफ़ एकसीलेस इन टैक्टाइल ग्राफ़िक्स के सहयोग द्वारा कक्षा 9 तथा 10 के लिए ब्रेल पुस्तक का पुनर्निर्माण किया गया है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित चित्रों को अनुकूलित करके उभरे हुए रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहीं रासायनिक अभिक्रियाओं को भी ब्रेल में लिखा गया है। साथ ही साथ जीव विज्ञान से संबंधित चित्रों को भी उभरे हुए डॉट के माध्यम से बनाकर अनुकूलित करने का प्रयास किया गया है। विद्यार्थियों के अनुसार पुस्तक की भाषा को सरल किया जा सकता है। रूपांतरित पुस्तक में चित्र एवं तालिकाओं के विकल्प की अनुपस्थिति पाठ्यपुस्तक की बड़ी समस्या है। ब्रेल रूपांतरित पुस्तक में जो तथ्य हटाए जाते हैं या जिनका रूप छोटा किया जाता है उनके विकल्प ढूँढे जाएँ तथा आई.आई.टी. दिल्ली द्वारा अनुकूलित पुस्तक को विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टि लेकर बेहतर बनाया जाए।

उद्देश्य 2— दृष्टिबाधित विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय आने वाली समस्याओं की पहचान करना

विज्ञान शिक्षा के लिए व्यावहारिक या प्रयोगात्मक कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयोगात्मक कार्य विद्यार्थियों को विज्ञान में रुचि उत्पन्न कराता है। अतः प्रयोगात्मक कार्यों में शामिल वैज्ञानिक प्रक्रिया को सीखने के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन आवश्यक है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी विज्ञान प्रयोगशाला में

अनावश्यक विवरणों से आसानी से विचलित हो जाते हैं।

शोध कार्य के द्वितीय उद्देश्य की पूर्ति हेतु कक्षा अवलोकन तथा विद्यार्थियों से साक्षात्कार द्वारा प्रदत्त संकलन किया गया। प्राप्त जानकारी के आधार पर शोधार्थी द्वारा बनाए गए विषय (थीम) के अनुसार विश्लेषण किया गया, जो निम्न प्रकार है—

प्रयोगशाला अभिविन्यास तथा सुरक्षा उपाय

प्रयोगशाला में आने से पहले पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ जोड़ी बनाने के लिए कहा गया और साथ में प्रयोगशाला में आकर पूर्व तय स्थान पर बैठने की सलाह दी गई। प्रयोगशाला अभिविन्यास (लैब ओरिएंटेशन) कराया गया। इस दौरान उपकरणों के स्थान की जानकारी प्रदान की गई, ताकि उसके आधार पर सभी विद्यार्थी सुरक्षा नियमों का पालन कर सकें। किसी भी प्रयोगशाला में कई जोखिम हो सकते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थी इन जोखिमों को आसानी से पहचान नहीं सकते, अतः सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। रसायनों की उचित पहचान और उपयोग, सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चिंताओं में से एक है। सही उपयोग के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि विद्यार्थी सही रसायन प्राप्त करें। इसलिए रसायनों को हमेशा उसी स्थान पर व्यवस्थित रखा जाता है। रसायनों पर उभरे हुए अक्षर और ब्रेल लेबल लगाकर अनुकूलन किया गया है। काँच के उपकरणों का उपयोग रसायन विज्ञान प्रयोगों में अधिकतर किया जाता है और यह नाज़ुक तथा अस्थिर होते

हैं, इसलिए काँच की वस्तुओं को सुरक्षित तरीके से संग्रहीत किया गया है।

प्रयोगशाला में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की गतिशीलता में कठिनाई न हो, इसके लिए प्रयोग के दौरान स्थान खाली रखा गया है तथा विद्युत उपकरणों के खतरे से बचने के लिए विद्युत तारों को यथासंभव छोटा रखा गया है ताकि दृष्टिबाधित विद्यार्थी आवागमन के दौरान इनमें न उलझें, साथ ही साथ आकस्मिक आग से बचने का भी समुचित प्रबंध है। विद्युत स्विच भी दीवार पर ऊँचाई पर लगाए गए हैं। पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आंशिक दृष्टिबाधित साथी सुरक्षा चिंताओं की पहचान करने में सहायता कर सकता है। प्रयोगशाला सहायक के उपस्थित न होने से विद्यार्थियों को समस्याएँ आती हैं।

उपकरण

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय उपकरण संबंधी निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है—

- परखनली और बीकर पर शिक्षक द्वारा बाहर की तरफ़ स्तर नापने के लिए कुछ बिंदु बनाकर अनुकूलित किया गया है, जिनसे ये आंशिक दृष्टिबाधित के लिए तो आंशिक रूप से समझने योग्य हैं, लेकिन पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए यह अभी भी ज्यादा उपयोगी नहीं हैं।
- प्रयोगशाला में वजन करने के लिए जिस तराजू का प्रयोग किया जाता है, उसमें पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कोई अनुकूलन नहीं हैं। जिससे विद्यार्थियों को वजन करने के लिए पूरी तरह से अपने आंशिक दृष्टिबाधित

साथियों या शिक्षक पर निर्भर होना पड़ता है। वजन करने के लिए बने बाट छोटे आकार के होने के कारण एक बार में पहचानने योग्य नहीं होते हैं।

- रसायनों को मापने के लिए किसी प्रकार का यंत्र उपलब्ध नहीं है। शिक्षक द्वारा सिरिज प्रयोग से सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। प्रयोगशाला में किसी प्रकार का चालकता सेंसर नहीं है जिससे वस्तु या परखनली के शीर्ष की पहचान की जा सके, ताकि यह ओवरफ़िल न हो।
- अम्ल, क्षार, लवणों को भी प्रयोगशाला में ब्रेल नाम तथा बड़े छपे अक्षरों के अनुकूलन के साथ रखा जाता है। इन्हें प्रयोग के दौरान उपयोग करने के लिए सुरक्षा मानकों के अनुसार कोई उपकरण मौजूद नहीं है।
- प्रयोगशाला में उपलब्ध भौतिकी संबंधी उपकरण में एमीटर (डी.सी.), डेनियल सेल बनाना, कनेक्टर, गैल्वेनोमीटर, लेंस-होल्डर स्टैंड, चुम्बकीय बार, माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल बेंच, भौतिकी तुला, प्रतिरोधक बक्सा, स्प्रिंग तुला, वोल्टमीटर, वोल्टिक सेल, वेर्निएर कैलिपर, तुला, ग्लास प्रिज़्म, ग्लास स्लैब, उत्तल-अवतल लेंस, समतल व गोलीय दर्पण, कंपास के साथ-साथ रसायन शास्त्र संबंधी उपकरणों, जैसे— परखनली, ब्यूट स्टैंड, ब्यूट क्लैप, बर्नर, शंक्वाकार फ़्लास्क, ड्रॉपर, बेलनाकार नापनी, पिपेट, रिजेंट बोतल आदि में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन

की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्मदर्शी, द्वि-विमीय तथा त्रि-विमीय मॉडल आदि जीव विज्ञान संबंधी उपकरण एवं सहायक सामग्री हैं जिनके प्रयोग में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को समस्या आती है। ये उपकरण पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के प्रयोगार्थ उपयुक्त नहीं हैं, वहीं आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थी इन उपकरणों को शिक्षक द्वारा सुझाए उपायों और शिक्षक की सहायता से कुछ हद तक उपयोग कर लेते हैं। अतः अनुकूलन रहित उपकरण प्रयोगशाला में सभी प्रयोगों के लिए समस्या प्रस्तुत करते हैं, जिनका समाधान आवश्यक है।

प्रयोग प्रक्रिया

दृष्टिबाधित विज्ञान विद्यार्थियों को प्रयोग प्रक्रियाओं के दौरान निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है—

- प्रयोगशाला में आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थी ही अधिकांशतः प्रयोग करते हैं, वहीं पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थी उनके समूह का हिस्सा रहते हैं जो प्रयोग की विधि को सुनकर अपने प्रत्यय और प्रयोग की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।
- प्रकाश संबंधी प्रयोग पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए दिवास्वप्न के समान है। लाइट प्रोब मशीन के अलावा कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है जिससे विद्यार्थी प्रयोग के बारे में स्वयं अनुभव कर सकें। वहीं आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थी प्रकाश संबंधी प्रयोग कुछ हद तक कर लेते हैं, लेकिन उन्हें भी वस्तु और उसके प्रतिबिंब को मापने में समस्या आती है।

दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्टिकल बेंच पर कोई वस्तु एवं लेंस प्रयोग कर प्रतिबिंब की दूरी व आकार की गणना नहीं कर पाते, इसके अलावा विद्यार्थियों को प्रकाश परावर्तन के नियम को जाँचने के प्रयोग के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विद्युत संबंधी प्रयोग के दौरान विद्यार्थी के लिए एमीटर, गल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर संबंधी प्रयोगों की मीटर रीडिंग न कर पाने के कारण यह प्रयोग भी कठिन हो जाता है तथा विद्युत परिपथ बनाने संबंधी प्रयोग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए चुनौती हैं।

- रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान दृष्टिबाधित विद्यार्थी परखनली के अनुकूलन के बिना अभिक्रिया करवाने में असमर्थ हैं। रासायनिक क्रियाओं के दौरान अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गंधहीन गैस उत्सर्जन की पुष्टि के लिए दृष्टिबाधित विद्यार्थी को किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। जीव विज्ञान के प्रयोगों के दौरान सूक्ष्मदर्शी का उपयोग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए बड़ी चुनौती बनता है। प्रयोगशाला में कोई सहायक उपलब्ध न होने के कारण कई बार प्रयोग की सामग्री इकट्ठा करते-करते काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है।

उद्देश्य 3— दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के विज्ञान अध्यापन में शिक्षकों के समक्ष आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना

शोध कार्य के तृतीय उद्देश्य की पूर्ति हेतु कक्षा अवलोकन तथा शिक्षक से साक्षात्कार द्वारा प्रदत्त

संकलन किया गया। प्राप्त जानकारी के आधार पर शोधार्थी द्वारा बनाए गए विषय (थीम) के अनुसार विश्लेषण किया गया, जो निम्न प्रकार है—

कक्षा वातावरण

कक्षा अवलोकन में पाया गया कि शिक्षक अधिकतर कक्षाओं में व्याख्यान विधि तथा समस्या-समाधान विधि का प्रयोग करते हैं। शिक्षक के अनुसार, वह व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन-निगमन विधि, समस्या-समाधान विधि तथा योजना विधि द्वारा शिक्षण कार्य करता है तथा विज्ञान पाठ्यक्रम को नियत समय पर पूरा करने के लिए शिक्षक सप्ताह में चार दिन कक्षा लेता है तथा शेष दो दिन प्रयोगशाला के लिए निर्धारित हैं। शिक्षक के अनुसार, वह कक्षा में विद्यार्थियों को कम बजट में तैयार हो सकने वाले प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरित करता है। विद्यार्थियों को पूर्णतः दृष्टिबाधित और आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की टीम बनाकर छोटे-छोटे उभरे चित्र बनाने के लिए दिए जाते हैं इससे समूह में कार्य (टीमवर्क) करने की भावना का भी विकास होता है। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी में भी ले जाया जाता है ताकि उनकी जिज्ञासा प्रबल हो सके। कक्षा-कक्ष में विज्ञान शिक्षक से संबंधित समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

- शिक्षक के अनुसार विद्यार्थियों की दृष्टि सीमा के कारण विज्ञान कक्षा में दृष्टिमूलक तथ्यों के बारे में समझाना सबसे अधिक कठिन कार्य होता है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा विज्ञान के हर प्रत्यय को स्पर्शीय बनाना अभी भी संभव

नहीं हो पाया है, ऐसी स्थिति में कई प्रत्यय सिर्फ मौखिक रूप से बता दिए जाते हैं।

- शिक्षक के अनुसार पाठ योजना बनाते समय सबसे पहले वह सहायक सामग्री के बारे में विचार करते हैं, क्योंकि जिस पाठ को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके तथ्यों को समझाने के लिए आवश्यक सहायक सामग्री तैयार नहीं की गई है तो कहीं न कहीं उस विषय के साथ कक्षा में न्याय नहीं कर पाएँगे। विज्ञान 'करके जानना' सिखाता है, ऐसे में एक विशेष विज्ञान शिक्षक के रूप में, पाठ योजना तैयार करने के साथ-साथ उसके लिए सहायक सामग्री भी बनाना अत्यंत कठिन कार्य होता है।
- शिक्षक के अनुसार माध्यमिक स्तर के विज्ञान शिक्षक को समय-समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने विषय में अद्यतित (अपडेट) रहे।
- दृश्य मूलक तथ्यों को पढ़ाने के लिए वह विद्यालय में संकलित विषय सामग्री के साथ-साथ स्वयं द्वारा निर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं जिन्हें विगत कक्षा की कमियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया होता है। इन स्व-निर्मित सहायक सामग्री को बनाने में काफी समय खर्च होता है। कभी-कभी यह सामग्री भी विद्यार्थियों को उचित अनुभव नहीं दे पाती है। इसके अतिरिक्त कक्षा में शिक्षक प्रत्यक्ष वस्तु का अनुभव कराने की कोशिश करते हैं। शिक्षक के अनुसार कक्षा में जाने से पहले हम पुस्तकों में दिए गए चित्रों के विकल्प के बारे में सोचते हैं

फिर विद्यालय विज्ञान संसाधन कक्ष में उपलब्ध त्रिविमीय मॉडल या उभरे हुए स्पर्शीय स्वरूपों की सहायता से चित्रों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं।

- शिक्षक ने स्वीकार किया कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को पढ़ाने की चुनौतियों में से एक विज्ञान के प्रति दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मनोदृष्टि है। विज्ञान अधिगम के प्रति विद्यार्थियों का एक दृष्टिकोण यह होता है कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले अन्य विषयों के सापेक्ष विज्ञान कठिन विषय है। ऐसे में सभी को कक्षा में शामिल करते हुए विज्ञान शिक्षण कठिन हो जाता है।
- अधिकांश दृष्टिबाधित विज्ञान विद्यार्थी नए पाठ की तैयारी में पिछले पाठों को दोहराने में असफल होते हैं। ऐसे में पाठ का पुनरीक्षण कठिन होता है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम गति भिन्न होती है, ऐसे में कुछ दृष्टिबाधित विद्यार्थी कक्षा में नीरस से दिखते हैं। अतः शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया के समय समस्या का सामना करना पड़ता है तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। विज्ञान पाठ्यक्रम में भौतिकी के लिए विद्यार्थियों को गणित कौशल की आवश्यकता होती है, जब विद्यार्थियों को इन पूर्वापेक्षाओं के बिना विज्ञान कक्षा में रखा जाता है, तो विज्ञान शिक्षक को गणितीय संक्रियाओं संबंधी प्रश्नों को हल करने में समय लगता है जो शिक्षक के लिए एक समस्या है।

पाठ्यपुस्तक

विज्ञान पाठ्यपुस्तक से संबंधित शिक्षक की निम्न समस्याएँ हैं—

- ब्रेल विज्ञान पाठ्यपुस्तक में चित्रों को हटा दिया जाता है। ऐसे में सभी विद्यार्थियों के अनुकूल चित्र के सापेक्ष वैकल्पिक सारणी बनाने में अत्यधिक समय खर्च होता है, जिससे शिक्षक को समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके साथ प्रायोगिक पुस्तक का भी बहुत महत्व है और इनसे ही वैज्ञानिक कौशल का विकास संभव हो पाता है। अगर प्रायोगिक पुस्तक का भी उचित ब्रेलीकरण संभव हो जाए तो विद्यार्थी प्रयोग के लिए जाने से पहले प्रयोग की पृष्ठभूमि को समझ सकता है तथा उन्हें प्रयोग के पद समझने में भी आसानी होगी। इस प्रकार प्रयोग पूर्व अध्ययन प्रयोग को मूर्त रूप देने में सहायता प्रदान करेगा।
- सामान्य दृष्टिवान विद्यार्थियों के लिए विज्ञान पाठ्यपुस्तक के अलावा कई प्रकार की सहायक पुस्तकें भी होती हैं, जिससे विद्यार्थी अतिरिक्त पढ़ सकते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए इस तरह की ब्रेल रूपांतरित विज्ञान पुस्तकों का अभाव दिखता है, जिससे अन्यत्र पुस्तक से शिक्षण कार्य करने में शिक्षक को समस्या आती है।

उद्देश्य 4— दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग कराते समय शिक्षकों की समस्या का अध्ययन करना

शोध कार्य के चतुर्थ उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयोगशाला अवलोकन तथा शिक्षक से साक्षात्कार द्वारा प्रदत्त

संकलन किया गया। प्राप्त जानकारी के आधार पर शोधार्थी पर द्वारा बनाए गए विषय (थीम) के अनुसार विश्लेषण किया गया, जो निम्न प्रकार हैं—

प्रयोगशाला अभिविन्यास तथा सुरक्षा

- प्रयोगशाला अभिविन्यास (लैब ओरिएंटेशन) कराया जाता है। इस दौरान उपकरणों के स्थान की जानकारी दी जाती है, ताकि उसके आधार पर सभी विद्यार्थी सुरक्षा नियमों का पालन कर सकें। प्रयोगशाला का समय विद्यार्थियों की वैयक्तिक भिन्नताओं के सापेक्ष कम है। शिक्षक के लिए इतने कम समय में सभी विद्यार्थियों को प्रयोग में शामिल करना बड़ी चुनौती है।
- विज्ञान प्रयोगशाला में विशेष रूप से रसायन विज्ञान प्रयोग के दौरान विद्यार्थियों को संभावित क्षति पहुँचाने वाले रसायनों के साथ काम करना होता है। दृष्टि सीमा या दृष्टि अभाव के कारण यह संभव है कि विद्यार्थी स्वयं को या दूसरों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए, सुरक्षा कारणों से विज्ञान शिक्षक स्वयं प्रयोग करके वर्णन करते हैं या आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को अपनी देखरेख में प्रयोग करवाते हैं। ऐसे में पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को प्रक्रिया से दूर रखा जाता है, जो शिक्षक के दृष्टिकोण से एक समस्या है।

उपकरण

विज्ञान प्रयोगशाला में, विज्ञान शिक्षक द्वारा प्रयोगशाला उपकरणों को अनुकूलित करने के उद्देश्य से सभी उपकरणों पर ब्रेल नाम तथा आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए बड़े छापे वाले नाम

लगाए गए हैं। विज्ञान शिक्षक के लिए प्रयोगशाला उपकरण संबंधी समस्या निम्नलिखित हैं—

- परखनली और बीकर पर शिक्षक द्वारा बाहर की तरफ स्तर नापने के लिए कुछ बिंदु बनाकर अनुकूलित किया गया है जिनसे ये आंशिक दृष्टिबाधित के लिए तो कुछ हद तक समझने योग्य है, लेकिन पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए अभी भी ज्यादा उपयोगी नहीं है।
- दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक उपकरण को अनुकूलित करना शिक्षक के लिए समस्या है। पर्याप्त अनुकूलित उपकरणों के अभाव में शिक्षक पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को प्रयोग में शामिल नहीं करते हैं।

प्रयोग प्रक्रिया

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विज्ञान प्रयोगशाला में विज्ञान शिक्षक पहले स्वयं प्रयोग करते हैं, जिससे विद्यार्थी आगे प्रयोग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित होते हैं। सुरक्षा कारणों से अधिकतर आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थी ही प्रयोग करते हैं और पूर्णतः दृष्टिबाधित साथी प्रक्रिया को सुनकर समझने का प्रयास करते हैं, संभव होने पर सबको अवसर दिया जाता है। प्रयोग प्रक्रिया के दौरान निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है—

- विज्ञान शिक्षक को प्रयोगशाला स्थापित करने और प्रयोगों को कराने के लिए रूपरेखा तैयार करने में बहुत समय व्यतीत करना पड़ता है। सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोगशाला को अनुकूलित करने में भी समय लगता है। प्रयोग करवाते समय प्रयोगशाला सहायक की कमी के कारण शिक्षक

अधिक विद्यार्थियों को प्रयोग में शामिल नहीं कर पाते हैं।

- शिक्षक के अनुसार, “प्रयोगशाला में प्रयोग की प्रदर्शन विधि के दौरान सर्वाधिक समस्या पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होती है। उन्हें शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को सत्य मानकर चलना पड़ता है। प्रयोग के दौरान आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थी कुछ हद तक प्रयोग कर लेते हैं, किंतु उन्हें भी दृष्टि सीमा के कारण सहायता की आवश्यकता होती है। वहीं पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थी अपने समूह के दूसरे सदस्य पर निर्भर रहते हैं।” विज्ञान प्रयोगशाला में करके ही सीखा जा सकता है। ऐसे में यह बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन विद्यार्थियों की सुरक्षा से समझौता भी नहीं किया जा सकता है।

परिणामों की वैधता

इस शोध की प्रकृति गुणात्मक थी। गुणात्मक शोध परिणामों की शोध वैधता स्थापित करने हेतु प्रदत्त त्रिभुजन तथा त्रिभुजन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस शोध में शोध वैधता स्थापित करने हेतु प्रदत्त त्रिभुजन विधि (डाटा ट्राइएंगुलेशन) का प्रयोग किया गया। शोधार्थी द्वारा विद्यार्थी-शिक्षक व्यवहार, अनुदेशन, शिक्षण पद्धति, कक्षा व्यवस्था आदि की जाँच हेतु कक्षा अवलोकन किया गया। साथ ही भिन्न-भिन्न प्रयोगों के दौरान प्रयोगशाला अवलोकन कर शिक्षक तथा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जाँचने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा विद्यार्थियों की कठिनाइयों की गहराई से जाँच करने के लिए विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया गया तथा

उनके सहपाठियों से भी उनकी पुष्टि की गई। साथ ही शिक्षक के साक्षात्कार से शिक्षक की समस्याओं तथा विद्यार्थियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर प्रदत्त संकलन की विविध प्रकार से जाँच की गई है।

सुझाव

- विज्ञान में कई गतिविधियों को अवलोकन की आवश्यकता होती है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी की विज्ञान कक्षा में, अगर त्रिविमीय मॉडल उपलब्ध रहें तो विद्यार्थी अधिकतम सीख सकते हैं। इसके अलावा प्रयोग निष्पादन की पूरी आजादी मिले तो अधिगम में बढ़ोतरी हो सकती है, जैसे— अध्याय जैव प्रक्रम में मानव पाचन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, अपोहन (डायलिसिस) के लिए विस्तार करने योग्य (एक्सपेंडेबल) त्रिविमीय मॉडल उपलब्ध रहें, तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी एक बार में अधिक और सुस्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः दृश्य जानकारी को सुलभ बनाने के लिए पाठ्यपुस्तकों में जो चित्र हैं, उनके सापेक्ष शिक्षक त्रिविमीय मॉडल के निर्माण का प्रयास करें।
- विज्ञान के शिक्षण में आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को प्रोजेक्टर तथा वीडियो टेप के माध्यम से जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा वीडियो टेप के विषय के बारे में पठन प्रारूप में हैंडआउट प्रदान करना भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
- दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अनुमापन (टिटरेशन) में रंग परिवर्तन की एक एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन “टिटरेशन कलर कैम” (टी.सी.सी.) की मदद से रिकॉर्ड करके रंग

संबंधी सूचनाओं को बीप ध्वनियों और कंपन में परिवर्तित कर, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से अनुमापन की नियमित प्रयोगशाला गतिविधि करने में सक्षम बनाया जा सकता है। अन्य एंड्रॉयड-आधारित एप्लीकेशन, टिटरेशन कलर डार्ट्स (टी.सी.डी.) भी सहायक सिद्ध हो सकती है। (बंदोपाध्याय और राठौड़, 2017)

- इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी एक्सेस फ़ॉर दि ब्लाइंड (आई.एल.ए.बी.) द्वारा निर्मित टॉकिंग लैबक्वेस्ट, साई-वॉयस एक्सेस सॉफ़्टवेयर से लैस उपकरण, टॉकिंग लॉगर प्रो-डेटा एनालिसिस सॉफ़्टवेयर, गति संसूचक मोशन डिक्टेटर, अंतर संबंधी वोल्टेज प्रोब (डिफ़रेंशियल वाल्टेज प्रोब), बूंद गणना फलक (डॉप काउंटर), प्रयोगशाला बेंच, सबमर्सिबल ऑडिबल लाइट सेंसर (एस.ए.एल.एस.), प्रोब कलर एनालिसिस लेबोरेटरी सेंसर (सी.ए.एल.एस.) का प्रयोग करके भी शिक्षक अधिकतर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को प्रयोग में शामिल कर सकते हैं।
- विज्ञान विशेष शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश करने की आवश्यकता है तथा शिक्षकों को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक तरीकों से शिक्षण सहायक सामग्री अनुकूलित करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

निष्कर्ष

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विज्ञान कक्षा में प्रमुख समस्या उचित तथा अनुकूलित शिक्षण सहायक

सामग्री का अभाव है। विद्यार्थियों को विज्ञान की विषय-वस्तु के सापेक्ष उचित स्पर्शीय मॉडल नहीं मिल पाते हैं। जो मॉडल उपलब्ध भी हैं वे द्विविमीय हैं, जिनसे अधिकतम जानकारी संभव नहीं हो पाती है। विद्यालय में त्रिविमीय मॉडल की कमी नज़र आती है। इसके साथ ही जो त्रिविमीय मॉडल उपलब्ध भी हैं, उनसे एक बार में वृहद जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। पाठ योजना के दौरान सहायक सामग्री के प्रयोग के बिना शिक्षक, कक्षा में निष्प्रभावी है और एक शिक्षक के तौर पर हर तथ्य के लिए अनुकूलित सामग्री तैयार करना चुनौती भी है, क्योंकि प्रत्येक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक सहायक सामग्री बनाने में काफ़ी समय लगता है। विद्यालय की प्रयोगशाला में सुरक्षा के अच्छे इंतज़ाम हैं, लेकिन कोई सहायक उपलब्ध ना होने के कारण प्रयोगशाला में विद्यार्थियों की समस्या और बढ़ जाती है। प्रयोगशाला में पाया गया कि शिक्षक स्वयं प्रयोग कर वर्णन करते हैं, इसके उपरान्त आंशिक दृष्टिबाधित विद्यार्थी उनका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं तथा पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थी प्रयोग के दौरान अलग-थलग नज़र आते हैं। इसका एक कारण सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें प्रयोग में शामिल न करना हो सकता है। पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थी अधिकतर उपकरणों को उपयोग नहीं कर पाते तथा उनमें अनुकूलन का अभाव दिखता है। उचित अनुकूलन न होने के कारण विद्यार्थी प्रयोग में रुचि नहीं लेते हैं, इस कारण प्रयोगशाला में विज्ञान शिक्षक सुरक्षा कारणों से प्रत्येक विद्यार्थी को प्रयोग में शामिल नहीं कर पाते हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय दृष्टि-अभाव अथवा दृष्टि सीमा के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है, परंतु असंभव नहीं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विज्ञान कक्षा में अनुकूलित शिक्षण सहायक सामग्री, विषय-वस्तु के सापेक्ष उचित स्पर्शीय मॉडल के अभाव, विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय जगत में आज कई उपकरण तथा तकनीक उपलब्ध हैं जो विज्ञान के क्षेत्र को लगातार सुलभ बना रहे हैं। भारत इन तकनीकों के क्षेत्र में अभी नया नज़र आता है, इसलिए हमें सस्ती तकनीक उपलब्ध कराने पर ज़ोर देना चाहिए अर्थात् इसके लिए प्रौद्योगिकी संस्थानों को आगे आना चाहिए तभी शिक्षा में सभी को बराबरी के अधिकार का अक्षरशः पालन हो पाएगा। भारत में माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन होना चाहिए तथा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर मिलने चाहिए जिससे वे अपनी विशिष्ट क्षमताओं के साथ अन्य दृष्टिवान विद्यार्थियों के समान क्षमतावान सिद्ध हो सकते हैं। यदि माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित विज्ञान विद्यार्थियों को देश के हर शिक्षा बोर्ड में स्वीकृति मिले तो समाज में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। प्रस्तुत शोधकार्य में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विज्ञान कक्षाओं में समस्याओं की पहचान की गई है तथा कुछ सुझाव दिए गए हैं। शोध में बताए गए सुझावों के आधार पर विज्ञान शिक्षण-अधिगम को सुदृढ़ बनाने के लिए उनकी समस्याओं को निम्नतम

स्तर पर लाने के लिए विज्ञान शिक्षकों को आधुनिक नवीन तकनीकी विकसित करने की आवश्यकता है समय के अनुसार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का साथ ही साथ दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अवसर मिल सके।

संदर्भ

- इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी एक्सेस फ़ॉर दि ब्लाइंड. *टॉकिंग लैबक्वेस्ट*. 11 अप्रैल, 2019 को <http://research.chem.psu.edu/mallouk/ilab/labtools.html> से लिया गया है।
- ओझा, एस. 2014. क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट फ़ॉर विज्ञान अली इम्पैयर्ड स्टूडेंट्स:— असेसिंग देअर परसेप्शन ऑफ़ ऑडियो बुक्स. *रिसर्च जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल साइंसेज*. वॉल्यूम 3(1), 1–5, जनवरी 2015. 18 अप्रैल, 2018 को http://www.isca.in/EDU_SCI/Archive/v3/i1/1.ISCA-RJeduS-2014-028.pdf से लिया गया है।
- क्रेसवेल, जे. 2015. *एजुकेशनल रिसर्च*. यूनिवर्सिटी ऑफ़ नेब्रास्का, पियर्सन पब्लिकेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका।
- तारापोरवाला, एस. 2013. *जेवियर रिसोर्स सेंटर फ़ॉर विज्ञान अली चैलेंज्ड रिपोर्ट*. पृष्ठ 46. <http://www.xrcvc.org/docs/making-numbers-and-reactions-accessible.pdf> से लिया गया है।
- बंदोपाध्याय, एस. और बी. राठौड़, बलराज. 2017. दि साउंड एंड फ़ील ऑफ़ टिट्रेशन— ए स्मार्टफ़ोन ऐड फ़ॉर कलर ब्लाइंड एंड विज्ञान अली इम्पैयर्ड स्टूडेंट्स. *जर्नल ऑफ़ केमिकल एजुकेशन*. 94(7), पृष्ठ 946–949. <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jchemed.7b00027>
- बेक-विन्चत्ज़, बी.बी. और रिक्कोबोनो, एम. 2008. *एडवांसिंग पार्टिसिपेशन ऑफ़ ब्लाइंड स्टूडेंट्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एंड मैथ*. डे पॉल यूनिवर्सिटी, नासा एसएमडी ब्रोकर/ फ़ैसिलिटेटर प्रोग्राम, नेशनल फ़ेडरेशन ऑफ़ दि ब्लाइंड, जेर्निंगन, यू.एस.ए., 13 जनवरी, 2018 को <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117707005960?via%3Dihub> से लिया गया है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1964–1966. *राष्ट्रीय शिक्षा आयोग*. नयी दिल्ली, भारत सरकार.
- मैथ्यूज़, ए. 2015. व्हाई इज द साइंस स्ट्रीम सो इनएक्सेसिबल विज्ञान अली इम्पैयर्ड स्टूडेंट्स इन इंडिया? *स्को फ़ो इंडिया इन डिसेबिलिटी राइट्स एजुकेशन*. 17 सितंबर, 2018 को <https://www.youthkiawaaz.com/2017/05/making-science-accessible-to-indias-visually-impaired-students/> से लिया गया है।

शिक्षा के बदलते स्वरूप में कला एवं तकनीकी की भूमिका

आनन्द कुमार सिंह*

शिक्षा किसी व्यक्ति के जन्म लेने के बाद उसे मिलने वाला संभवतः सबसे पहला अनुभव होता है। हर बच्चा पारिवारिक माहौल, सामाजिक-आर्थिक स्तर, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय इत्यादि से सीखता है। कला एवं तकनीकी विकास के साथ शिक्षा के प्रसार का तरीका तथा साथ ही साथ नई तकनीक आधारित पठन-पाठन के प्रति दुनिया का नज़रिया भी बदला है। आज छोटे-छोटे बच्चे, माता-पिता, नाना-नानी एवं दादा-दादी के साथ खेलने या बातचीत करने के बजाय मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने के लिए बेचैन रहते हैं। आज जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्मार्ट-क्लासेज़ होती हैं, कॉलेज जाता है तो ऑडियो-विज़ुअल कोर्सेस और यूनिवर्सिटी में आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस से लैस उपकरणों इत्यादि से उसका सामना होता है। इंटरनेट और तकनीकी उन्नति ने आज 21वीं सदी की शिक्षा और उसके प्रसार का तरीका बदल दिया है। यह लेख शिक्षा के इसी निरंतर बदलते प्रारूप और उसमें कला एवं तकनीकी की भूमिका का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है।

शिक्षा का इतिहास दुनिया में मानवजाति के इतिहास जितना ही पुराना माना जा सकता है और इसके विकास में कला का प्रमुख योगदान रहा है। प्राचीनतम स्रोतों में हम गुफ़ाओं की दीवारों और छतों पर उकेरे गए चित्रों और आकृतियों से अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते रहे होंगे। पाषाण युग से अब तक मानवजाति नित नए प्रयोग और आविष्कार करती आ रही है जो शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रतिबिंबित होते रहे हैं। आख़िर गुफ़ाओं की दीवारों से लेकर शिलालेखों और फिर ताम्रपत्रों से लेकर डिजिटल टेबलेट्स तक का सफ़र आसान नहीं रहा है। भारत वर्ष की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन

सभ्यता है, अतः भारतवर्ष में शिक्षा का इतिहास और विकास का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

भारतीय शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ, संस्थान आधारित इतिहास के संदर्भ में, वैदिक युग (लगभग 1500 ई.पू. से 500 ई.) से माना जाता है। वैदिक युग में शिक्षा के लिए भारतवर्ष में गुरुकुल परंपरा के साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों का भी निर्माण हुआ जिनमें तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला अध्ययन-अध्यापन के प्रमुख केंद्र रहे। इसी काल में हमारे प्राचीन ग्रंथ, जैसे— वेद, उपनिषद, पुराण, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामसूत्र इत्यादि भी लिखे गए। सातवीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य

तक भारत ने बहुत-से बाहरी और आंतरिक आक्रमणों को झेला और इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकतर सुल्तानों, मुगल साम्राज्य और उनके बाद अंग्रेजों का वर्चस्व रहा। ऐसी राजनैतिक हलचल के मध्य शिक्षा व्यवस्था को स्वाभाविक रूप से बहुत नुकसान पहुँचा। हालाँकि, सुल्तानों और मुगल बादशाहों तथा उनके दरबारियों ने भी बहुत-से शिक्षण संस्थान बनवाए, फिर भी पुराने शैक्षणिक संस्थानों और व्यवस्था को पहुँची क्षति पूर्ण न हो सकी। मुगलों के पश्चात् अंग्रेजों की औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था ने रही-सही कसर भी पूरी कर दी। वे भारतीयों को ज्ञान तो देना चाहते थे, परंतु केवल उतना जिससे वे अंग्रेजों के काम आ सकें और उनकी गुलामी के खिलाफ़ आवाज़ ना उठाएँ। लेकिन फिर भी भारतीय समाज-सुधारकों, शिक्षाविदों और विचारकों, जैसे— राजा राम मोहन राय, रवींद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता, महात्मा गांधी, श्री अरबिंद घोष, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. अबुल कलाम आज़ाद आदि द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था के पुनर्जागरण के प्रयासों से अंग्रेजी साम्राज्य विफल हुआ। साथ ही, भारत ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता भी प्राप्त की। एक बड़ी चुनौती को परास्त करने के बाद अब उतनी ही बड़ी चुनौती भारतीय शिक्षा के सामने खड़ी थी, क्योंकि अब तक अंग्रेजों द्वारा बनाई गई शिक्षा व्यवस्था भारत की संस्कृति को नुकसान पहुँचा चुकी थी। इस चुनौती से सामना करने का बीड़ा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सक्षम नेतृत्व में, स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्रालय ने उठाया जिसे आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय शिक्षा व्यवस्था
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने देश में शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत-से प्रयास किए। विभिन्न शिक्षण संस्थान सृजित करने के साथ-साथ विभिन्न योजनाएँ व नीतियाँ बनाई गईं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समय-समय पर संशोधित भी किया गया जिससे भारत के घर-घर तक एवं जन-जन तक शिक्षा की ज्योति पहुँचाई जा सके। स्वराज के प्रारंभिक दशक में भारत सरकार द्वारा गठित संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (1945), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (1953), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (1961) और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा, 1962) प्रमुख रहें। इन संस्थानों के संगठन के बाद भारत सरकार ने विभिन्न योजनाएँ पारित कीं, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 का स्थान विशिष्ट है। सर्वप्रथम इसे 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उद्घाटित किया गया था। सन् 1986 में इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा अद्यतित किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं व अति पिछड़े तबकों तक समान रूप से शिक्षा पहुँचाना था। उसके बाद से ही देश के शैक्षिक संस्थानों में तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश के लिए समान प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलावा सरकार द्वारा विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (1975) बनाई गई। इसे वर्ष 1988, 2000 और फिर 2005 में अद्यतित किया गया। 'राष्ट्रीय साक्षरता अभियान'

(1988) और 'सर्व शिक्षा अभियान' (2000-01) स्कूल न पहुँच पाने वाले बच्चों तक पहुँच तो बना रहे थे, लेकिन उसको शक्ति मिली वर्ष 2009 में, संसद से पारित हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 से, जिसने देश के सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया।

सिनेमा में शिक्षा और शिक्षा में सिनेमा

यूँ तो भारत में सिनेमा 20वीं सदी के आरंभ में ही आ चुका था, हालाँकि साधारण जनमानस तक पहुँचने में उसे दशकों का समय लग गया। फिर भी सिनेमा लोगों तक पहुँचा (1940 के शुरुआती दशक में) और पहुँचते ही कौतूहल का विषय बन गया। रेडियो (AIR, 1936 में) की शुरुआत के बाद सिनेमा सर्वसाधारण के बीच मनोरंजन का दूसरा और धीरे-धीरे सबसे पसंदीदा साधन बन गया। सन् 1959 में दूरदर्शन के प्रसारण के साथ ही लोगों के घरों में टी.वी. ने भी स्थान बना लिया। दूरदर्शन ने धार्मिक, ऐतिहासिक कार्यक्रमों द्वारा लोगों का मनोरंजन करना शुरू किया और समय के साथ-साथ शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण भी प्रारंभ हो गए। सिनेमा भी अभी इसी मार्ग पर अग्रसर हो चला है। धीरे-धीरे सिनेमा और टी.वी., दोनों मनोरंजन के साथ-साथ लोगों को जागरूक और शिक्षित करने में लग गए।

सामान्यतः यह कहा जाता है कि फ़िल्में समाज का आइना होती हैं। अतः भारतीय फ़िल्म निर्माताओं ने बहुत-सी शैक्षणिक-मनोरंजक फ़िल्मों का भी निर्माण किया। जिससे लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो सकें और वहीं शिक्षक/शिक्षिकाएँ पढ़ाई की

नई-नई विधाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर केंद्रित इन फ़िल्मों में, *जाग्रति* (1954), *श्री 420* (1955), *दीदी* (1959), *जो जीता वही सिकंदर* (1992), *स्वदेस* (2004), *तारे ज़मीन पर* (2007), *स्टैनली का डब्बा* (2011) *चिल्लर पार्टी* (2011), *निल बटे सन्नाटा* (2016), *हिंदी मीडियम* (2017), *हिचकी* (2018), *नोटबुक* (2019) और *सुपर 30* (2019) प्रमुख हैं। इन फ़िल्मों की कहानियाँ स्कूल-कॉलेजों में, विद्यार्थियों के जीवन, उनके संघर्षों, सहपाठियों-शिक्षकों/शिक्षिकाओं-अभिभावकों के साथ उनके पारस्परिक संबंधों, समाज का उनके प्रति व्यवहार, समाज के प्रति विद्यार्थियों का नज़रिया इत्यादि साधारण से लगने वाले, लेकिन गंभीर मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। छोटे-छोटे बच्चों पर शिक्षा-प्रणाली के दबाव और उससे हार कर गलत रास्तों पर चले जाने या मानसिक प्रताड़ना संबंधी विषयों को मार्मिक व संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में, वर्ष 2018-2019 में, 'हैप्पीनेस करिकुलम' लागू करना विशेष उल्लेखनीय है, लेकिन हमें इसका विश्लेषण भी करना होगा कि आखिर ऐसी स्थिति बनी क्यों और कैसे?

कला समेकित शिक्षा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* के माध्यम से कला समेकित शिक्षा की संकल्पना को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों के शिक्षकों/शिक्षिकाओं को विभिन्न विषयों को कला (दृश्य और प्रदर्शनीय दोनों प्रकार की) के साथ

समेकित करके सृजनात्मक शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.सी.) द्वारा अंगीकृत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि कला, सिर्फ कला के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य विषयों को भी समझने और समझाने में बेहद उपयोगी है। कला समेकित शिक्षण में संगीत, ड्रामा और फ़िल्म-प्रदर्शन का प्रयोग शिक्षा के हर स्तर पर उल्लेखनीय योगदान कर सकता है। आशा की जा सकती है कि इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति, विज्ञान आदि विषय कला एवं सिनेमा के प्रयोग से आसान एवं रोचक ढंग से सीखे और सिखाए जा सकेंगे।

शिक्षा, इंटरनेट और डिजिटल इंडिया

बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में इंटरनेट के आविष्कार ने सिर्फ विज्ञान ही नहीं, बल्कि शिक्षा जगत में भी अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। भारतीय शिक्षा जगत भी इससे अछूता नहीं रहा है। वर्ष 1995 में, भारतीय शिक्षण संस्थाओं को भी इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो चुकी थी। वर्तमान समय में यू.जी.सी. के अधीन कुल 907 विश्वविद्यालय हैं (31 मार्च, 2019 तक अद्यतित)। जिनमें अधिकतर उच्च-तकनीकी सेवाओं से लैस संस्थान बन चुके हैं। एक समय था जब गूगल, इनसाइक्लोपीडिया और विकिपीडिया शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों, शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए सबसे बड़े मददगार हुआ करते थे। आज विभिन्न सोशल प्लेटफ़ॉर्म, जैसे— यूट्यूब, एकेडेमिया.ओआरजी, जे स्टोर और कंप्यूटर व मोबाइल आधारित ऐप्स, जैसे— यूएन एकेडेमी, खान एकेडेमी, बाइजूस

आदि ने विद्यार्थियों को सारी अध्ययन सामग्री उनके मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप में ही समेट कर दे दी है। अब तो व्हाट्सएप, मैसेंजर, हाइक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने भी पी.डी.एफ. और डॉक्यूमेंट फ़ाइलों का आदान-प्रदान करने वाली सुविधाएँ प्रदान की हैं जिससे पल भर में कोई भी डाटा कहीं भी भेजा जा सकता है। इन ऐप्स की गति और इंटरनेट सुविधाओं की सस्ती होती दरों ने ई-मेल को भी 'प्राचीन' बना दिया है। आज विद्यार्थी न केवल किसी भी विषय की कोई भी समस्या का हल इन वेबसाइटों और ऐप्स पर पा सकता है, बल्कि उन्हें हल करने के भिन्न-भिन्न तरीके भी सीख और समझ सकता है। इनकी सहायता से न केवल बच्चों अपितु शिक्षकों व शिक्षिकाओं की भी शिक्षण संबंधी कठिनाइयाँ कम हुई हैं। इससे समय की भी बचत होती है जिससे वे इससे स्वयं कुछ न कुछ नया सीखते रहने में अग्रसर रहते हैं।

वर्ष 1990 में सर टिम बर्नर्स ली द्वारा वर्ल्डवाइड वेब के आविष्कार के बाद से अब तक विज्ञान और तकनीक ने अभूतपूर्व तरक्की की है। कभी विद्यालय या कॉलेज के सभागार में लेक्चर अथवा सेमिनार सुनने जाना विद्यार्थियों में उत्सुकता की बात होती थी, वहीं अब 'सेमिनार' की जगह 'वेबिनार' और लेक्चर की जगह 'ऑडियो-विजुअल ट्यूटोरियल्स' ने ले ली है जिसे विद्यार्थी अपनी इच्छा और सुविधानुसार 'लाइव' या 'रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट' स्ट्रीम कर सकते हैं। आज प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालयों तक में यह नवीन रूपांतरण देखा जा सकता है।

सूचना युग के दौर में भारतीय शिक्षा व्यवस्था अठाहरवीं सदी से 19वीं सदी के मध्य के समय को हम 'औद्योगिक युग' (द इंडस्ट्रीयल ऐज) के रूप में जानते हैं। जिसमें यूरोपियन द्वारा दुनिया भर में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों और कारखानों की स्थापना की गई और भाप इंजन, रेल आदि का आविष्कार हुआ। उसके बाद के 100 वर्षों को 'मशीन युग' (द मशीन ऐज) के नाम से जाना गया। जिसमें कैमरा, टी.वी., बल्ब, टाइपराइटर, बॉल पेन इत्यादि छोटी-बड़ी व खासकर बिजली से चलने वाली मशीनों का आविष्कार हुआ। इन आविष्कारों ने मानव जीवन स्तर को ऊँचा किया। मशीन युग के बाद 'सूचना युग' (द इन्फोर्मेशन आरंभ हुआ, जिसे 'डिजिटल युग' के नाम से भी जाना जाता है। सूचना युग के कारण आज हम दुनिया भर की हर जानकारी को चुटकियों में प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान डिजिटल युग में, भारत सरकार के शिक्षा विभाग और साथ ही राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों ने 'समय के साथ चलने' की युक्ति को बखूबी समझा और आत्मसात किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'डिजिटलाइजेशन' को स्वीकारते हुए *स्वयं प्रभा* नाम से 32 डीटीएच चैनल आरंभ किए हैं। जिससे देश भर के लोग विभिन्न विषयों, जैसे— मानविकी, इंजीनियरिंग, कला, विधि आदि को टी.वी. पर किसी भी समय देखकर पढ़ और सीख सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एन.एस.पी.), राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एन.डी.एल.) और मेरी सरकार (माई गवर्नमेंट) जैसी ऑनलाइन सुविधाएँ विद्यार्थियों की सहायता

के लिए हर समय उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की ई-पाठशाला, इन्फो की स्टूडेंट-ऐप और एन.आई.ओ.एस. व केंद्रीय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के डिजिटल रूपांतर इस बात को साबित करते हैं कि किताबों का जो ज्ञान आज स्मार्टफोन, टेबलेट्स और क्लाउड लर्निंग में बदल चुका है, उस ज्ञान को हर भारतीय तक पहुँचाने में अब लगभग सभी शीर्ष शैक्षणिक संस्थाएँ भी 'डिजिटलाइजेशन' को माध्यम बना रही हैं।

अध्ययन-अध्यापन की पारंपरिक प्रक्रिया से डिजिटल प्रक्रिया में 'डिजिटलाइज' किए जाने का असर सिर्फ शिक्षक-शिक्षिकाओं और संस्थानों पर ही नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के केंद्र बिंदु, विद्यार्थियों और उनके प्रदर्शन पर भी उतना ही पड़ा है। पहले जो ज्ञान विदेशी भाषा में होने या पुस्तकालय में अनुपलब्ध होने अथवा 'महंगा' होने आदि कारणों से उनके अकादमिक प्रदर्शन को कमतर कर देता था, आज वह सारा ज्ञान और जानकारियाँ उन्हें यूपल भर में मिल जाती हैं। जिसका श्रेय पूर्ण रूप से सूचना-तकनीकी क्रांति को जाता है। इस डिजिटल क्रांति की सहायता से आज विद्यार्थी बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं, नई ऊँचाइयों को छू रहे हैं। आज विद्यार्थी अपने क्षेत्र, जिला, राज्य, देश, महाद्वीप के अतिरिक्त, यदि वे दूसरे ग्रह-उपग्रह आकाशगंगा अथवा ब्रह्मांड का भी अध्ययन करना चाहें तो डिजिटलाइजेशन की सहायता से सरलता से कर सकते हैं।

उपसंहार

“महान शक्तियों के साथ महान जिम्मेदारियाँ भी आती हैं”, युवाओं में मशहूर कॉमिक-फ़िल्मी

किरदार 'स्पाइडरमैन' के अंकल बेन पार्कर द्वारा कही गई यह बात शिक्षण क्षेत्र में नई तकनीकों के बढ़ते वर्चस्व पर भी लागू होती है। गुरुकुल के ताम्रपत्रों से निकली शिक्षा आज 8 गुणे 10 इंच के टैबलेट में आसिमटी है। हालाँकि, इसकी सीमाएँ विचारों की तरह ही अनंत है और विचार ही तो इस नित नई अद्यतन होती तकनीकी का मुख्य आधार हैं।

एक ओर नई-नई तकनीकों ने विद्यार्थियों व शिक्षकों/शिक्षिकाओं को सीखने की असीम संभावनाएँ उनके पॉकेट में लाकर दे दी हैं, वहीं ये अपने साथ छद्म जानकारियों का इतना सारा 'ई-कूड़ा' लाती जा रही हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क सही व व्यर्थ डेटा में फ़र्क करना भूलता जा रहा है। आज बहुत-से विद्यार्थी व शिक्षक/शिक्षिका बिना तथ्यों की सत्यता जाँचे बस बहस करने को तत्पर होते जा रहे हैं। सिर्फ़ इस भरोसे कि इंटरनेट और तकनीकी से कहीं न कहीं से कैसे भी उनके तथ्यों को साबित करने के लिए 'डेटा' ले ही आएँगे। तकनीकी का अत्यधिक प्रयोग और उनके प्रति सीमा से अधिक निर्भरता, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिभागियों को तर्क-वितर्क के बजाय कुतर्क करने की आदत के हवाले करता जा रहा है। दूसरी ओर, तकनीकी शिक्षकों व शिक्षिकाओं की भी चुनौतियाँ दिन-प्रतिदिन बढ़ाती जा रही हैं, क्योंकि आज हर जानकारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर तुरंत उपलब्ध है, जिससे विद्यार्थियों की 'क्रॉस-क्वेश्चनिंग' का जवाब देना उनके लिए कठिन होता जा रहा है। अतः आवश्यक है कि शिक्षक/शिक्षिकाएँ भी पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों के साथ डिजिटल तकनीकों से भी

समन्वय स्थापित करें और दोनों में परस्पर संतुलन बनाए रखें। इससे न केवल शिक्षक/शिक्षिका व विद्यार्थी समय के साथ स्वयं को अद्यतित या अपडेटेड रख पाएँगे, बल्कि पुस्तकों के साथ भी उनका जुड़ाव बना रहेगा। भले ही वह लगाव उसके डिजिटल प्रारूप अर्थात् पी.डी.एफ़. फ़ॉर्मेट में ही क्यों न हो और इसी प्रकार हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलती तकनीकी और समय के साथ अप-टू-डेट होकर प्रसारित होती जाएगी।

भारतीय शिक्षा की प्राचीन काल से ही संपूर्ण विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान और गरिमा रही है। यह सदा वैज्ञानिक सोच और तार्किक बुद्धि से चली है, जिसमें कला एक अभिन्न अंग रही है। समय के साथ इसने अपने अंदर बहुत-से परिवर्तनों को आत्मसात किया है, फिर चाहे वह किसी अन्य सभ्यता की शैली हो या शब्द-विन्यास-भाषा इत्यादि। बहुत-से विचारकों के अथक परिश्रम के बाद यह लगभग प्रत्येक नागरिक तक पहुँचने में सफल रही है और इसमें इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के योगदान को श्रेय देना नैसर्गिक है। आज इसी तकनीक की मदद से शिक्षा जन-जन तक पहुँची है। कहते हैं कि तकनीक अपनी ओर से तटस्थ होती है, सकारात्मकता और नकारात्मकता उसे प्रयोग करने वाले मनुष्य पर निर्भर करती है। आज जो व्यक्ति स्कूल-कॉलेज नहीं जा पाता, वह भी मोबाइल पर पढ़ना सीख लेता है। लोग अकसर इल्ज़ाम लगाते हैं कि स्कूल, बच्चों की सृजनशक्ति को कमजोर अथवा समाप्त कर देते हैं, क्योंकि शिक्षक/शिक्षिका उन्हें केवल अपने

अनुसार कार्य करने को बाध्य करते हैं न कि बच्चों की इच्छानुसार! क्या यह शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षक/शिक्षिकाओं का दायित्व नहीं बनता कि वह विद्यार्थियों को स्वतंत्र भाव से सीखने का समान अवसर प्रदान करें? डिजिटल शिक्षा के भविष्य की बात करें तो आने वाले 10-15 वर्षों में संभव है कि स्कूली बच्चे भी 'स्कूल-बैग' से पूर्णतः मुक्त हो जाएँ और उनके सभी कक्षा कार्य,

गृह कार्य, प्रोजेक्ट इत्यादि क्लाउड-स्टोरेज में 'सेव और एक्सेस' किए जा सकें। यह भी संभव है कि भविष्य में पारंपरिक भौतिक/इमारती शैक्षणिक संस्थानों का स्थान होलोग्राफिक और वर्चुअल प्रोजेक्शन आधारित 'ओपेन एयर थिएटर' ले लें, जैसे— कभी प्राचीन रोम के कोलोजियम अथवा भारतवर्ष के गुरुकुल की व्यवस्था थी, संभव है कि इस भविष्य का आधार हमारे अतीत में ही मिलेगा।

संदर्भ

वर्मा, सुभाष. 2004. *भारत में शिक्षा व्यवस्था— अवधारणाएँ, समस्याएँ एवं संभावनाएँ*. वाणी प्रकाशन, दिल्ली.

भारतीय विश्वविद्यालयों की समेकित सूची. <https://www.ugc.ac.in/oldpdf/Consolidated%20list%20of%20All%20Universities.pdf> से लिया गया है.

“द पॉवर ऑफ़ डिजिटल लर्निंग”. *इंटरप्रिन्योर* पर परिणीता गोहिल द्वारा 23 नवंबर, 2018 को प्रकाशित ऑनलाइन लेख. <https://www.entrepreneur.com/article/323708> से लिया गया है.

बहुसांस्कृतिक शिक्षण एक समावेशी दृष्टिकोण

गुरुप्रीत कौर*
एन.पी.एस. चन्देल**

विद्यालयों में विविध सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी होते हैं। यह स्थिति केवल राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कक्षाओं में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देती है। वर्तमान शिक्षा जगत के परिप्रेक्ष्य में बहुसांस्कृतिक आधारित विद्यार्थियों के समावेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब बहुसांस्कृतिक विविधता आधारित विद्यार्थी को एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक सुअवसर के रूप में देखा जा रहा है। बहुसांस्कृतिक विविधता संबंधी मूल्य के अधिकतम संपोषण के लिए बहुसांस्कृतिक शिक्षा की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ है और इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए शिक्षक व विद्यार्थी व्यवहार, शिक्षण विधियों एवं व्यूह रचनाओं का निर्माण आदि महत्वपूर्ण तत्व हैं। इस लेख में बहुसांस्कृतिक शिक्षण का प्रादुर्भाव, अंतर्निहित दर्शन, बहुसांस्कृतिक शिक्षण का औचित्य, शिक्षण संबंधित संभावित रणनीतियाँ, कक्षागत शिक्षक-विद्यार्थी व्यवहार आदि पर चर्चा की गई है।

वर्तमान समय में, बहुसांस्कृतिक विविधता आधारित जनसंख्या का स्वरूप दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जो कि वैश्विक स्तर पर बहुसांस्कृतिकता के समावेशन का सूचक है। पिछले कुछ दशकों में लगभग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संपूर्ण जनसंख्या में प्रजातिक अल्पसंख्यकों का प्रतिशत अत्यंत तीव्र गति से बढ़ा है। (यू.एस. सेंसस ब्यूरो 1980, 2010) अमेरिकी मूल निवासियों का प्रतिशत अत्यंत तीव्र गति से घटा है, सन् 1980 में 80 प्रतिशत गोरी जनसंख्या थी जो कि सन् 2010 में घटकर 69 प्रतिशत रह गई (पासेल और कोहेन)। यही स्थिति कमोवेश कई

प्रजातांत्रिक विकासशील देशों में रही है और प्रवास की अधिकता के कारण जनसंख्या की संरचना में भी यह बदलाव आने लगे हैं।

इसी प्रकार अब विद्यालयों में भी बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी है। विद्यार्थियों की संख्या में इस प्रकार का परिवर्तन विकसित देशों में आरंभ से ही रहा है, परंतु विकासशील देशों में भी यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा व शिक्षण का प्रादुर्भाव अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1970 के तहत मिलता है, जिसका प्रभाव बीसवीं शताब्दी

*शोधार्थी, शिक्षा संकाय, दयालबाग शिक्षण संस्थान, दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश 282005

**विभागाध्यक्ष (पी. जी. एंड रिसर्च प्रोग्राम), शिक्षा संकाय, दयालबाग शिक्षण संस्थान, दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश 282005

के प्रारंभिक कुछ दशकों तक तीव्र रूप से बना रहा है (बैक्स और बैक्स, 2004)। बहुसांस्कृतिक शिक्षा समावेशन का एक प्रारूप प्रस्तुत करती है जो मात्र एक संप्रत्यात्मक अवधारणा है, इसका वास्तविक अनुप्रयोग शिक्षण प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। बहुसांस्कृतिक विविधता का समावेशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों में परिवर्तन द्वारा ही संभव है जिसमें समावेशी भावना का विकास करना अत्यंत आवश्यक है।

बहुसांस्कृतिक शिक्षण का प्रादुर्भाव व अंतर्निहित दर्शन

बहुसांस्कृतिक शिक्षण, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का प्रकार्यात्मक प्रारूप है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का प्रादुर्भाव अमेरिका जैसे विकसित देशों से हुआ है, जहाँ की कक्षाओं में अधिक विविधता विद्यमान है। इसका प्रमाण एक विद्यालय आधारित जनगणना रिपोर्ट से मिलता है। सन् 1970 के तहत, K-12 तक की कुल विद्यार्थी गणना में 78 प्रतिशत मूल अमेरिकी विद्यार्थी तथा 22 प्रतिशत सांस्कृतिक विविधता आधारित विद्यार्थी पाए गए। इसके उपरांत 2007 के दौरान विद्यालयों में बहुसांस्कृतिक आधारित विद्यार्थियों का प्रतिशत बढ़कर 44 प्रतिशत हो गया और मूल अमेरिकी विद्यार्थियों का प्रतिशत घटकर 56 प्रतिशत पर आ गया (एन.सी.ई.एस., 2012) जो कि तीव्र बहुसांस्कृतिक बढ़ोतरी का सूचक है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का इतिहास भले ही अमेरिका जैसे विकसित देश से मिलता है, परंतु इस सत्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सदैव 'विविधता में एकता' जैसे

विचार पर जोर दिया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त भारत एक ऐसा राष्ट्र है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर प्रवास के अतिरिक्त आंतरिक प्रवास अर्थात् एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास की संख्या भी बहुत है। भारत में मौसमी प्रवास अधिक रहता है, इसमें भी अंतरराज्य प्रवास का प्रचलन सबसे अधिक रहता है। वर्ष 2001 की जनगणना से लेकर 2011 तक की जनगणना के मध्य अंतरराज्य जनसंख्या प्रवास का प्रतिशत दोगुना रहा है और 2011 से 2016 के बीच प्रतिवर्ष राज्यों के मध्य लगभग 90 लाख जनसंख्या का प्रवास रहा है (यूनेस्को 2018)। शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा स्थानीय अधिकारियों को विद्यालय में सभी प्रवासी या अन्य वंचित विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति का प्रावधान किया गया है (यूनेस्को 2018)।

बहुसांस्कृतिक शिक्षा के प्रत्यय द्वारा बहुसांस्कृतिक शिक्षण का प्रादुर्भाव हुआ है। यह कोई नवीन शिक्षण विचारधारा नहीं है, वरन् यह पूर्व प्रचलित अन्य शिक्षण दर्शन पर आधारित व उनका संकलित नवीन दर्शन है जिसमें समता शिक्षण (इक्विटी पेडागॉजी), विविधता शिक्षण (डाइवर्सिटी पेडागॉजी), संस्कृति संगत शिक्षण (कल्चरली रेलेवेंट पेडागॉजी), सामाजिक न्याय शिक्षण (सोशल जस्टिस पेडागॉजी) इत्यादि का संकलित शिक्षण दर्शन है।

बहुसांस्कृतिक शिक्षण का औचित्य

बहुसांस्कृतियों के ज्ञान का अभाव व उनकी अवहेलना विद्यार्थियों के मध्य पारस्परिक विभेद, हीनता व शैक्षिक उपलब्धि के अंतर को उत्पन्न

करता है। अनुसंधान के निष्कर्ष भी इस बात का साक्ष्य देते हैं कि शिक्षक की आकांक्षा स्तर का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है (अवविडरेज और वेनस्टेनए 1999)। यूनेस्को की (जी.ई.एम. 2019) रिपोर्ट, 'ग्लोबल एजुकेशन' में बताया गया कि अन्य देशों की भाँति भारत भी एक ऐसा देश है, जो प्रवासी विद्यार्थियों की शिक्षा की गारंटी को सुनिश्चित करता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गठित आयोगों व संचालित भारतीय शैक्षिक नीतियों के प्रावधानों में देखने को मिलता है। सर्व शिक्षा अभियान (2001) के सार्वभौमिक शिक्षा के प्रावधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, बहुसांस्कृतिक विविधता आधारित विद्यार्थियों के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में, स्थानीय अधिकारियों को विद्यालय में सभी प्रवासी या अन्य वंचित विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति का प्रावधान भी दिया गया है (यूनेस्को 2018)।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षण-अधिगम का माध्यम बनाने पर बल दिया गया है, क्योंकि भाषा को किसी भी संस्कृति के प्रस्तुतीकरण का सशक्त माध्यम और विचारों के प्रस्फुटन का आधार माना जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) द्वारा शिक्षा का कार्य विद्यार्थियों को राष्ट्र की विविध संस्कृतियों को समझाना और उसके प्रति चेतना जाग्रत करना बताया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) की रिपोर्ट

में एक ऐसी नवीन 'सामान्य विद्यालय प्रणाली' की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है, जो विद्यालय को सांस्कृतिक बाधाओं से दूर कर सांस्कृतिक मूल्यों के समावेशन व संचालन करने पर बल दे। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986* में, देश के प्रत्येक भाग की बहुसंस्कृतियों को समझने और विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था में रहने वाले लोगों के प्रति विद्यार्थियों में समझ विकसित करने की बात कही गई है और साथ ही असांस्कृतिकरण, अमानवता व अलगाव की भावना को अस्वीकृत करने को महत्व प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त पुस्तकों का अनुवाद बहुभाषाओं में करने व बहुसांस्कृतिक शब्दकोशों का प्रकाशन करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। इसके उपरांत संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992) में सांस्कृतिक विरासत को विद्यालय पाठ्यचर्या में परिलक्षित करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया और साथ में शिक्षा व संस्कृति को एकत्रित करने का विचार भी प्रस्तुत किया गया जिससे कि विद्यार्थी की अंतर्निहित क्षमताओं का यथासंभव उन्नयन हो सके।

वर्तमान भारतीय शैक्षिक परिदृश्य में मुख्य धाराओं की कक्षाओं में सांस्कृतिक विविधता वाले विद्यार्थियों के समावेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसका वास्तविक प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण संचालित कार्यक्रम में संशोधन द्वारा संभवतः संभव हो सकता है। 'द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन (2009)' में, विद्यार्थियों के अनुरूप संस्कृति संगत शिक्षणशास्त्र का प्रयोग करने हेतु शिक्षक को सशक्त बनाने पर बल दिया गया है और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (2005) द्वारा सांस्कृतिक

शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यक्रम से एकीकृत करने का विचार प्रस्तुत किया गया है जिससे कि विद्यालयी शिक्षा समुदाय की संस्कृति से अवगत हो सके। यह तथ्य भी अति महत्वपूर्ण है कि विविधता आधारित विद्यार्थी भी भारतीय शिक्षा का एक अंग है और भारत के पाठ्यक्रम में बहुसांस्कृतिक विविधता आधारित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2005 तक कोई विशेष प्रावधान नहीं था, परंतु *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* द्वारा एक ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया जो मुख्यतः विद्यार्थी-केंद्रित हो, जिसमें विद्यार्थी तनावमुक्त, सृजनात्मक व आनंदित अधिगम अनुभव कर सकें। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* द्वारा पाठ्यक्रम के निर्माण में पाँच मुख्य सिद्धांतों को आधार बनाया गया, जिनमें से तीन सिद्धांत ऐसे हैं जो बहुसांस्कृतिक शिक्षण के संदर्भ में संगत प्रतीत होते हैं—

- ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना।
- पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन करना कि वह बच्चों को चहुँमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए बजाय इसके कि वह पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए।
- एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य-व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएँ समाहित हों।

इसके अतिरिक्त *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* द्वारा ऐसे शैक्षिक उद्देश्यों को भी समृद्ध करने पर बल दिया गया है जो मानवीय मूल्यों से संबंधित हैं; यथा—

- लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता का वादा,
- अन्य व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता रखना,

- अधिगम हेतु सृजनात्मक एवं लचीले उपागम को अपनाना।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 व यूनेस्को (2019) द्वारा प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण बिंदु बहुसांस्कृतिक शिक्षण की माँग को भारतीय कक्षागत वातावरण में संपोषित करने की भावना को और भी प्रबल बनाते हैं।

बहुसांस्कृतिक शिक्षा व शिक्षण का क्षेत्र पिछले तीन दशकों से विद्यालयों व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का प्राथमिक क्षेत्र बन चुका है। *द कमीशन ऑन मल्टीकल्चरल एजुकेशन ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन (ए.ए.सी.टी.ई.)* ने अपनी विचारगोष्ठी के निष्कर्षों द्वारा तीन मुख्य बिंदु प्रस्तुत किए हैं—

- सांस्कृतिक विविधता एक मूल्यवान संसाधन है।
- बहुसांस्कृतिक शिक्षा, सांस्कृतिक विविधता को स्वीकृति प्रदान करती है।
- सांस्कृतिक अनेकता को शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के प्रत्येक आयाम में खोजने व जोड़ने की आवश्यकता है (बैप्टिस्ट और बैप्टिस्ट, 1980)।

बहुसांस्कृतिक शिक्षण

बहुसांस्कृतिक शिक्षण, एक शिक्षण प्रक्रिया है जो कि शैक्षिक संस्थानों को विभेदीकरण व दमन जैसी कुरीतियों से बचाता है और एक सुरक्षात्मक व उत्पादक वातावरण का निर्माण करने पर बल देता है। इसे परिभाषित करते हुए नीटो (2000) ने लिखा है कि बहुसांस्कृतिक शिक्षण, एक नस्ल विरोधी, समानाधिकारवादी व समावेशी शिक्षण प्रक्रिया है जो कि समीक्षात्मक शिक्षण दर्शन की

विचारधारा पर आधारित है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा एक विचारधारा तथा एक शैक्षिक आंदोलन है जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों की संरचना में परिवर्तन लाना है जिससे कि जेंडर विभेद, विशिष्ट विद्यार्थी, प्रजाति, नस्लवाद, भाषायी व सांस्कृतिक विविधता को समाप्त किया जा सके व विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को शैक्षिक उपलब्धि के समान सुअवसर प्रदान किए जा सकें (बैक्स, 2004)। जे. ए. बैक्स (1993) ने अपने शिक्षण संबंधित दर्शन को प्रस्तावित करते हुए बहुसांस्कृतिक शिक्षण के पाँच आयामों को प्रस्तुत किया है जिसमें विषय-वस्तु एकीकरण, ज्ञान की संरचना, पक्षपात की भावना को कम करना, समता आधारित शिक्षण को अपनाना व सामाजिक संरचना और विद्यालयी संस्कृति को सशक्त बनाने पर बल दिया गया है।

बहुसांस्कृतिक शिक्षण की संभावित रणनीतियाँ

बैक्स व बैक्स (2010) द्वारा पाठ्यक्रम में बहुसांस्कृतिक शिक्षा के समन्वय हेतु चार उपागम बताए हैं —

1. योगदानात्मक उपागम
2. परिवर्तनात्मक उपागम
3. योगात्मक उपागम
4. सामाजिक क्रिया उपागम

बहुसांस्कृतिक शिक्षण को प्रोत्साहित करने के सामान्य उपाय

- कक्षा में सहयोगी अधिगम (कोऑपरेटिव लर्निंग) को बढ़ावा देना (कोहेन, 1994; स्लेविन, 1984)।

- ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सभी विद्यार्थियों को समान सुअवसर प्रदान करना।
- बहुसांस्कृतिक विविधता व समता संबंधित बिंदुओं पर विचार-विमर्श करने हेतु स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना।
- शिक्षक को स्वयं भी विविध संस्कृतियों को जानने व उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के प्रति इच्छुक होना।
- संस्कृति संगत उदाहरणों का शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रयोग करने पर विशेष बल देना।
- विद्यार्थियों को ऐसे सुअवसर प्रदान करना जिससे वे विविध भाषा विशेष शब्दकोशों का प्रयोग कर सकें।
- विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि का ज्ञान प्राप्त करना।
- विद्यार्थियों को यह प्रतीत कराना कि वह अपने समुदाय की संस्कृति विशेष का एक प्रतिनिधि सूचक हैं।
- विद्यार्थियों को अन्य संस्कृतियों व उनके मूल्यों के प्रति सम्मान करना सिखाना।

बहुसांस्कृतिक शिक्षण हेतु विशिष्ट शिक्षण विधियाँ, उपागम व प्रतिमान

बहुसांस्कृतिक शिक्षण के लिए ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिनमें विद्यार्थियों को एक-दूसरे से अंतर्क्रिया करने के अधिकतम अवसर मिल सकें ताकि वे एक-दूसरे की संस्कृति से परिचित हो सकें। बहुसांस्कृतिक शिक्षण के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों, उपागमों एवं प्रतिमानों का उपयोग कर सकते हैं या इनमें से किसी एक या अधिक प्रतिमानों या व्यूह रचनाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं, यथा—

- प्रयोजन विधि, समस्या-समाधान विधि, नाट्य मंचन, रचनात्मक उपागम (कंस्ट्रक्टिव एप्रोच), सहयोगी अधिगम (कोऑपरेटिव लर्निंग), सहकारी अधिगम (कोलेबोरेटिव लर्निंग)।
- परिचर्चा विधियाँ— मस्तिष्क उद्वेलन (ब्रेन स्टॉर्मिंग), वाद-विवाद (डिबेट), संगोष्ठी (सेमिनार), समूह चर्चा (पैनल डिस्कशन), परिसंवाद (सिम्पोजियम), सम्मेलन (कॉन्फ्रेंस)।
- शिक्षण प्रतिमानों— साझेदारी अधिगम प्रतिमान (पार्टनर्स इन लर्निंग मॉडल), भूमिका निर्वहन प्रतिमान (रोल प्लेइंग मॉडल), वैयक्तिक विभिन्नता अनुकूलन प्रतिमान (इंडिविजुअल डिफरेंसेज), ज्यूरिस प्रुडेंशियल पूछताछ प्रतिमान (ज्यूरिस प्रुडेंशियल इनक्वायरी मॉडल)

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बहुसांस्कृतिक शिक्षण एक ऐसे कक्षागत वातावरण का निर्माण करने पर बल देता है जो बहुविविधता विशेषकर सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए ऐसी शिक्षण प्रयोजना का निर्माण करने पर बल देता है जिससे सभी विद्यार्थियों को शैक्षिक उपलब्धि के समान सुअवसर मिल सकें। इस शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधता को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र अधिगम वातावरण के निर्माण पर बल दिया जाता है। विद्यार्थी अपने परिवेश अनुकूल उदाहरणों द्वारा ज्ञान अर्जित करें और उसका प्रयोग अपने व्यावहारिक जीवन में कर सकें। विद्यार्थी कक्षा के अन्य

बहुसांस्कृतिक शिक्षण के लिए कक्षागत परिस्थिति में शिक्षक एवं विद्यार्थी व्यवहार

कक्षागत शिक्षक व्यवहार	कक्षागत विद्यार्थी व्यवहार
बहुसांस्कृतिक विविधता आधारित विद्यार्थियों की पहचान करना	विद्यार्थियों द्वारा द्वैतवादी तार्किक क्षमता का निर्माण करना
प्रत्येक विद्यार्थी से अंतर्क्रिया करने का यथासंभव प्रयास करना	मुख्यधारा की संस्कृति में स्वयं को आत्मसात करने का प्रयास करना
संस्कृति सुरक्षात्मक कक्षागत वातावरण का निर्माण करने पर बल देना	कक्षागत सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का प्रयास करना
विविध संस्कृति, समावेशी विषय व सहायक सामग्रियों के अधिकतम प्रयोग करने पर बल देना	स्वयं संचालित अधिगम को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना
बहुसांस्कृतिक व्यूह रचनाओं के निर्माण व अनुप्रयोग के कौशलों को विकसित करना	अपने अनुकूल भाषा शैली द्वारा विषय-वस्तु अर्जित करने का प्रयास करना
बहुसांस्कृतिक चेतना के विकास के प्रति जिज्ञासु होना	अपनी तार्किक योग्यता के प्रयोग द्वारा अनुदेशन ग्रहण करना
कक्षा में बहुआयामी आकलन विधियों का प्रयोग करना	स्व-आकलन के गुण को विकसित करना

विद्यार्थियों के अनुकूल शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। शिक्षक के दृष्टिकोण से बहुसांस्कृतिक शिक्षण वह माध्यम है जो शिक्षक को अपने संस्कृतिकरण के पक्षपात से ऊपर उठकर प्रभावशाली ढंग से शिक्षण करने में मदद करता है एवं देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता, समता, समावेशन आदि को संवर्धित करने के सुअवसर भी प्रदान करता है।

संदर्भ

- अवविडरेज, जे., और आर. एस. वेनस्टेनए. 1999. अर्ली टीचर परसेप्शन एंड लेटर स्टूडेंट एकेडमिक अचीवमेंट. *जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल साइकोलॉजी*. 91, पृष्ठ 731-746. संयुक्त राज्य अमेरिका.
- कोहेन, ई. जी. 1994. *डिजाइनिंग ग्रुपवर्क—स्ट्रेटजीस फ़ॉर द हेट्रोजिनस क्लासरूम* (सेकंड एडिशन). टीचर कॉलेज प्रेस, न्यूयॉर्क.
- ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट. 2019. *माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एजुकेशन—बिल्डिंग ब्रिज्स*. नॉट वॉल्स यूनेस्को, पेरिस.
- नीटो, एस. 2000. *अफ़र्मिंग डाइवर्सिटी—द सोशियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ़ मल्टीकल्चरल एजुकेशन* (थर्ड एडिशन). लॉनामैन प्रेस, न्यूयॉर्क.
- नेशनल सेंटर फ़ॉर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स. 2006. *डाइजेस्ट ऑफ़ एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, 2005*. वाशिंगटन डी. सी., ऑथर.
- . 2012. *द कंडीशन ऑफ़ एजुकेशन, 2011*. वाशिंगटन डी. सी., ऑथर.
- पासेल, जे. एस. और डी. कोहेन. 2008. *यू.एस. पॉपुलेशन प्रोजेक्शन—2005-2050*. पीस रिसर्च सेंटर, वाशिंगटन डी. सी.
- बैंक्स, जे. ए. 1993. इनटिग्रेटिंग दी करीकुलम विद इथनिक कॉन्टेक्स्ट—एप्रोचेस एंड गाइडलाइन. संपादन में जे. ए. बैंक्स और सी. एम. बैंक्स. *मल्टीकल्चरल एजुकेशन—इशूज एंड पर्सपेक्टिव*. पृष्ठ 3-28. अल्यन एंड बेकन, बोस्टन.
- . 1993. *मल्टीकल्चरल एजुकेशन—हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, डाइमेंशंस एंड पैकेट्स*. संपादन में एल. डी. हैमंड. *रिव्यू ऑफ़ रिसर्च इन एजुकेशन*. पृष्ठ 3-49. अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, वाशिंगटन, डी. सी.
- . 1994ब. *मल्टीएथनिक एजुकेशन—थियरी एंड प्रैक्टिस* (थर्ड एडिशन). अल्यन एंड बेकन, बोस्टन.
- . 2004. *मल्टीकल्चरल एजुकेशन—हिस्टोरिकल डेवलपमेंट डाइमेंशंस एंड प्रैक्टिस*. संपादन में जे. ए. बैंक्स और सी. ए. एम. बैंक्स. *हैंडबुक ऑफ़ रिसर्च ऑन मल्टीकल्चरल एजुकेशन* (सेकंड एडिशन). पृष्ठ 3-30. सी. एस. विलेय एंड संस, सेन फ्रांसिस्को.
- बैंक्स, जे. और सी. मैकेंगी बैंक्स. 2010. *मल्टीकल्चरल एजुकेशन—इश्यूज एंड पर्सपेक्टिव* (सेवेंथ एडिशन). जोहन विली एंड संस, यू.एस.ए.
- बैपटिस्ट, एच. और एम. बैपटिस्ट. 1980. कंपीटेंसिस टूवार्ड मल्टीकल्चरलिज्म. संपादन में एच. बैपटिस्ट, एम. बैपटिस्ट, और डी. गोलनिक. *मल्टीकल्चरल टीचर एजुकेशन—प्रिपेरिंग टीचर एजुकेटर टू प्रोवाइड एजुकेशनल इक्विटी* (वॉल्यूम 1). अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ़ कोलेजेस फ़ॉर टीचर एजुकेशन, वाशिंगटन. डी. सी.
- यू.एस. सेंसस ब्यूरो. 1980. *स्टैटिस्टिकल एबस्ट्रैक्ट ऑफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स*. वाशिंगटन डी. सी., ऑथर.
- . 2010. *स्टैटिस्टिकल एबस्ट्रैक्ट ऑफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स*. वाशिंगटन डी. सी., ऑथर.
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सहकारी अधिगम विधि की प्रभावशीलता

पद्मा प्रधान*
शिरीष पाल सिंह**

यह शोध पत्र सहकारी अधिगम विधि की वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है। भारतीय विद्यालयों में शिक्षा सामान्यतः औपचारिक रूप में दी जाती है, जहाँ विद्यार्थी को शिक्षा किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहकर पूर्व निश्चित सीखने के प्रतिफल की प्राप्ति के लिए, निश्चित ज्ञान को विविध शिक्षण विधियों द्वारा निश्चित स्थान एवं निश्चित समय में प्रदान की जाती है। हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा को शिक्षक प्रधान (शिक्षक नियंत्रित) रखा जाता है, जहाँ पर विद्यार्थी की भूमिका सहयोगी की भाँति न होकर केवल अधिगमकर्ता के रूप में होती है। इस शोध पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि सहकारी अधिगम विधि प्रभावी अधिगम की नवाचारी विधि है, जिसमें विद्यार्थी स्वेच्छानुसार अधिगम करते हैं। माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में सहकारी अधिगम विधि जैसी नवाचारी विधियों का उपयोग न केवल विद्यार्थियों, बल्कि शिक्षकों के लिए भी लाभकारी है। अतः शोधार्थी ने इस शोध पत्र के माध्यम से हिंदी भाषा शिक्षण में सहकारी अधिगम विधि की उपादेयता के बारे में बताया है।

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन को प्राणी जगत के अन्य जीवों से पृथक करती है। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है (निरुपमा, 2010 और सिंह, 2009)। मानव विविध प्रकार के वातावरण से होकर गुजरता है। शिक्षा, व्यक्ति को वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता प्रदान करती है तथा साथ ही वातावरण में अपनी सुविधानुसार परिवर्तन करने की शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। शिक्षा समाज की उन्नति एवं मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों का

विकास, उनके ज्ञान, कौशल का विकास एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। उसे सुसंस्कृत, सामाजिक, आत्मनिर्भर एवं सुयोग्य नागरिक बनाया जाता है (नारंग और अग्रवाल, 2016)।

शिक्षण एवं अधिगम

औपचारिक व अनौपचारिक रूप से सीखने-सिखाने व पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। माथुर के अनुसार, “शिक्षण का अर्थ विद्यार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना है, जिनसे विद्यार्थी अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल

*शोधार्थी, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

**एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

करने की क्षमता प्राप्त कर सके, स्वयं योजना बना सके, शैक्षिक सामग्री इकट्ठी कर सुसंगठित रूप से प्रयोग कर सके तथा लक्ष्य को प्राप्त कर सके।” योकम तथा सिंपसन के अनुसार, “शिक्षण एक साधन है, जिसके द्वारा समाज युवकों को निश्चित पर्यावरण में प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि वे समाज में शीघ्रता से अपना समायोजन कर सकें (शर्मा, 2008)।

अधिगम का अर्थ सीखना होता है। अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवनपर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मानव के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। गेट्स के अनुसार, “अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिमार्जन ही सीखना है।” प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिगम का संबंध केवल शिक्षा से नहीं, बल्कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन से है। यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में अधिगम का महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, परंतु जब उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तब हम यह समझ लेते हैं कि बच्चों ने सीख लिया है (सिंह, 2013)।

सहकारी अधिगम

वर्तमान भारतीय विद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की प्रकृति के बारे में विचार करें तो यह देखा गया है कि भारतीय विद्यालयों में शिक्षा औपचारिक रूप से दी जाती है, जहाँ विद्यार्थी को किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहकर किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित ज्ञान को निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा निश्चित स्थान,

समय में समाप्त करके लक्ष्य की प्राप्ति करने के उद्देश्य से दिया जाता है, जहाँ शिक्षा को शिक्षक प्रधान रखा जाता है, जहाँ विद्यार्थी की भूमिका सहयोगी की भाँति न रहकर ग्राही के रूप में रहती है (देवी, 1994)। विद्यार्थियों पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक दबाव रहता है, जो आगे चलकर व्यक्तिगत अधिगम को बढ़ावा देता है। विद्यार्थियों के भीतर प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता जैसी भावनाओं का रूप लेती है, जिसके परिणामस्वरूप दुर्बल विद्यार्थियों के भीतर भय, असंतोष, तनाव, चिंता, हताशा, असमायोजन, नकारात्मक विचार तथा आत्मविश्वास में कमी जैसी प्रवृत्तियाँ जन्म लेने लगती हैं।

वहीं, मेधावी विद्यार्थी अपने बुद्धि व कौशल के सहयोग से अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर लेते हैं और स्वयं को अन्य विद्यार्थियों की तुलना में श्रेष्ठ समझने लगते हैं। इससे कक्षाओं में सहपाठियों के बीच दूरी, असहयोग, असामाजिकता आदि भावों का विकास होने लगता है। मेधावी विद्यार्थियों और दुर्बल विद्यार्थियों के बीच एक लंबी रेखा स्वतः निर्मित होने लगती है तथा उनके अंदर शिक्षा के प्रति रुझान कम होने की संभावना दिखाई देने लगती है। प्रायः यह लंबी रेखा न केवल मेधावी विद्यार्थियों एवं दुर्बल विद्यार्थियों के बीच, बल्कि शिक्षक तथा दुर्बल विद्यार्थियों के बीच भी निर्मित होती देखी जाती है। इससे कमजोर विद्यार्थी न केवल व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई समस्याएँ, बल्कि शिक्षा से संबंधित समस्याओं को भी अपने शिक्षक के सम्मुख साझा कर पाने में संकोच व भय महसूस करते हैं।

अतः इस प्रकार की भावनाओं व भूमिकाओं को मद्देनजर रखते हुए आधुनिक शिक्षा जगत में सहकारी शिक्षा नामक संप्रत्यय की संकल्पना की गई। जो शिक्षा जगत में बदलाव लाने के लिए निर्मित की गई है। इसमें विद्यार्थी मात्र ग्राही न रहकर ज्ञाता की भूमिका निभाते हैं व स्वयं उस शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं (कुंडू, 2008)।

सहकारी शिक्षा व्यक्तिगत शिक्षा का निषेध कर सामूहिक शिक्षा पर बल देने की बात करती है, जहाँ विद्यार्थी समूह में रहकर आमने-सामने बैठकर अपने साथी के साथ अंतर्क्रिया करते हुए, अनुभवों को साझा करते हुए, एक-दूसरे की सहायता से एक साथ लक्ष्य की प्राप्ति करने की ओर अग्रसर होते हैं (इफी, 2011)। यह विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभा तथा गुणों की पहचान कर अनावश्यक दबाव, तनाव, भय, अनुशासनहीनता आदि प्रवृत्तियों को दूर करने व उच्च शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। यह दुर्बल एवं मेधावी विद्यार्थी के बीच तथा विद्यार्थी-शिक्षक के बीच भय, संकोच, दूरी नामक समस्याओं को भी समाप्त करने का कार्य करती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सहकारी अधिगम में विद्यार्थियों को केंद्र में रखा जाता है, जहाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण पक्ष, चाहे वह ज्ञानात्मक पक्ष हो, भावात्मक पक्ष हो या फिर क्रियात्मक पक्ष, सहकारी शिक्षा इन सभी पक्षों के विकास पर बल देती है। सहकारी अधिगम के द्वारा विद्यार्थी इन तीनों पक्षों को आत्मसात करते हुए सीखने के प्रति तत्पर होते हैं (कालैयारसन, 2000)।

अतः सहकारी अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने के प्रति प्रेरित करता है तथा अपने समूह के प्रति

अपने दायित्वों का एहसास कराकर विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाता है। इसकी पुष्टि विभिन्न अनुसंधानों से भी होती है। कालैयारसन (2000) ने 'इफेक्टिवनेस ऑफ़ कोऑपरेटिव लर्निंग एप्रोच इन लर्निंग साइंस एट सेकंडरी लेवल' हिंदी भाषा विषय पर अध्ययन के आधार पर बताया कि अकादमिक उपलब्धि, पारस्परिक संबंध और आत्मसम्मान को बढ़ाने में सहकारी अधिगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शर्मा (2008) ने 'इम्पैक्ट ऑफ़ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी ऑन लर्निंग आउटकम्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड सेल्फ़ इस्टीम ऑफ़ एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स' विषय पर अध्ययन किया और पाया कि आत्म-अवधारणा की दृष्टि पर तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सहकारी अधिगम विधि द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थियों में पारस्परिक विधि द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थियों की तुलना में कई गुना अधिक उपलब्धि तथा सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं।

कुंडू (2008) ने 'इफेक्ट्स ऑफ़ कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल्स ऑन अचीवमेंट्स इन इंग्लिश इंटरग्रुप रिलेशन एंड सेल्फ़ कॉन्सेप्ट ऑफ़ लर्नर्स' विषय पर अध्ययन के माध्यम से बताया कि जिन विद्यार्थियों को सहकारी अधिगम द्वारा समूह खेल के माध्यम से अंग्रेज़ी व्याकरण पढ़ाया गया, उन सभी विद्यार्थियों में पारंपरिक पद्धति के माध्यम से पढ़ाए गए विद्यार्थियों की तुलना में उपलब्धि में अधिक सुधार देखा गया। सिंह (2014) ने 'इफेक्ट्स ऑफ़ कोऑपरेटिव लर्निंग ऑन क्रिटिकल थिंकिंग सोशल कंपीटेंस एंड अचीवमेंट इन सोशल साइंस ऑफ़ सेकंडरी स्कूल स्टूडेंट्स' विषय पर अध्ययन के आधार पर पाया कि सहकारी अधिगम की जिगसॉ विधि द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थियों के गहन विचार कौशल पारंपरिक पद्धति

द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थियों के गहन विचार कौशल की तुलना में बेहतर थे। सैयद और ज़रीन (2014) ने 'द इफ़ेक्ट्स ऑफ़ कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स ऑन प्रमोटिंग राइटिंग स्किल्स ऑफ़ ईरानियन (ई.एफ.एल.) लर्नर्स' विषय पर अध्ययन के आधार पर बताया कि प्रयोगात्मक समूह अर्थात् सहकारी अधिगम की सहायता से पढ़ाए गए विद्यार्थी नियंत्रण समूह वाले विद्यार्थियों की अपेक्षा लेखन प्रदर्शन में बेहतर प्रदर्शन करते हैं अर्थात् तात्पर्य है कि सहकारी अधिगम से विद्यार्थियों के लेखन कौशल में भी वृद्धि होती है।

इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि सहकारी अधिगम का विद्यार्थियों के अधिगम पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। सहकारी अधिगम शिक्षण की विभिन्न रणनीतियाँ हैं, जिनमें 'नंबर हेड्स टुगेदर', 'जिगसॉ', 'पीअर रिव्यू', 'फ़ोर्स डिबेट', 'वन मिनट पेपर' इत्यादि प्रमुख हैं।

हिंदी भाषा विषय के संदर्भ में सहकारी अधिगम

विषय के शिक्षण में भाषा की अहम भूमिका होती है। भाषा ही वह साधन है जिसके माध्यम से भावों, विचारों व अभिव्यक्तियों का आदान-प्रदान होता है। प्रायः देखा जाता है कि एक ही कक्षा में विभिन्न बौद्धिक क्षमता वाले विद्यार्थी होते हैं। उन सभी विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षण प्रक्रिया का अंग बनाने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण साधन का कार्य करती है।

सहकारी अधिगम की प्रक्रिया में यदि हम हिंदी भाषा की बात करें तो यह सिर्फ़ एक भाषा ही नहीं, बल्कि कौशल के रूप में भी कार्य करती है। इसके अंतर्गत पठन, लेखन, श्रवण व वाचन आदि

कौशल शामिल हैं। इसका प्रयोग सहकारी अधिगम में विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी की मानसिक क्षमताएँ अलग-अलग होती हैं, इस क्षमता के अनुसार ही वह सीखता है। सहकारी अधिगम 'समूह में अधिगम' को महत्व देता है और समूह को महत्व देते हुए ही विद्यार्थियों में कई प्रकार के गुणों का विकास होता है।

हिंदी भाषा के संदर्भ में विद्यार्थियों में सहकारी अधिगम के द्वारा निम्नलिखित गुणों का विकास होता है—

- भाषा कौशल को सीखने के लिए तत्परता;
- विद्यार्थियों में सृजनशीलता संबंधी खोज करने की तत्परता;
- उत्तरदायित्वों को वहन करने की क्षमता का विकास;
- आपस में भावनात्मक लगाव को बढ़ाना;
- हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना;
- विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया का विकास करना।

शोध का औचित्य

शोधार्थी द्वारा संबंधित साहित्य की समीक्षा करने से पता चलता है कि सहकारी अधिगम से संबंधित कुछ निम्नलिखित शोध हुए हैं, जिनमें देवी (1994) द्वारा 'इफ़ेक्ट्स ऑफ़ कोऑपरेटिव लर्निंग ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट, सेल्फ़ कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग ऑफ़ क्लासमेट' विषय पर शोध किया गया। कालैयारसन (2000) द्वारा 'इफ़ेक्टिवनेस ऑफ़ कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच इन लर्निंग साइंस एट सेकंडरी लेवल' विषय पर अध्ययन किया गया। शर्मा (2008) द्वारा

‘इम्पैक्ट ऑफ़ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी ऑन लर्निंग आउटकम्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड सेल्फ़ इस्टीम ऑफ़ एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स’ पर अध्ययन किया गया। कुंडू (2008) द्वारा ‘इफ़ेक्ट्स ऑफ़ कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल ऑन अचीवमेंट इन इंग्लिश इंटर ग्रुप रिलेशन एंड सेल्फ़ कॉन्सेप्ट्स ऑफ़ लर्नर्स’ विषय पर अध्ययन किया गया। अन्नाकोडी (2013) ने ‘इफ़ेक्टिवनेस ऑफ़ मल्टीमीडिया एंड कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीस एट सेकंडरी लेवल’ विषय पर अध्ययन किया। गुप्त और अहूजा (2014) द्वारा ‘इफ़ेक्ट्स ऑफ़ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी ऑन इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंसिव अचीवमेंट्स ऑफ़ सेवेंथ ग्रेड इन रिलेशन टू देयर जेंडर’ विषय पर अध्ययन किया गया। सैयद और ज़रीन (2014) ने ‘द इफ़ेक्ट्स ऑफ़ कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स ऑन प्रमोटिंग राइटिंग स्किल्स ऑफ़ ईरानियन लर्नर्स’ विषय पर अध्ययन किया। उक्त समीक्षा से ज्ञात होता है कि अधिकांश सहकारी अधिगम से संबंधित शोध उपरोक्त विषय (क्षेत्रों में) हुए हैं तथा माध्यमिक स्तर पर भाषा में सहकारी अधिगम से संबंधित किसी भी प्रकार का शोध नहीं हुआ है। अतः शोधार्थी द्वारा इस क्षेत्र में ज्ञान की रिक्तता शोध समस्या का चयन किया गया।

शोध उद्देश्य

इस शोध कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

1. हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए सहकारी अधिगम विधि तथा परंपरागत अधिगम विधि की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
2. हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए उपचार, जेंडर तथा इनकी अंतर्क्रिया

का हिंदी भाषा की उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।

3. हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए उपचार, सामाजिक वर्ग तथा इनकी अंतर्क्रिया का हिंदी भाषा की उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ

इस शोध की निम्नलिखित परिकल्पनाएँ थीं—

1. हिंदी भाषा विषय की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए सहकारी अधिगम विधि तथा परंपरागत अधिगम विधि से हिंदी पढ़ाने के पश्चात् दोनों समूहों की उपलब्धि के समायोजित माध्य प्राप्तांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. हिंदी भाषा विषय की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए उपचार, जेंडर तथा इनकी अंतर्क्रिया का हिंदी भाषा विषय की उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।
3. हिंदी भाषा विषय की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए उपचार, सामाजिक वर्ग तथा इनकी अंतर्क्रिया का हिंदी भाषा विषय की उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

शोध विधि एवं प्रक्रिया

प्रस्तुत शोध कार्य सत्र 2018–19 में संपन्न किया गया। यह शोध कार्य प्रयोगात्मक प्रकार का था। जिसके लिए असमान अर्धसत्य, पूर्व एवं पश्च परीक्षण नियंत्रित समूह प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प अर्थात् अर्द्ध-प्रायोगिक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया। इस अभिकल्प की संरचना निम्न प्रकार है—

समूह 1	→	0	X	0
.....				
समूह 2	→	0		0

प्रतिदर्श के रूप में केंद्रीय विद्यालय (महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय) के सत्र 2018–19 की कक्षा 7 के 40 विद्यार्थियों को उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श विधि से शोध के लिए चयनित किया गया। उपकरण के रूप में स्व-निर्मित उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। मध्यमान, मानक विचलन तथा एक मार्गी एनोवा सांख्यिकी प्रविधियों की सहायता से आँकड़ों का विश्लेषण किया गया।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

यह शोध प्रक्रिया का प्रमुख सोपान है जिसके अंतर्गत संकलित आँकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण उद्देश्यवार प्रस्तुत किया गया है। इसमें संकलित आँकड़ों का वर्गीकरण, उनकी प्रकृति की जाँच, उचित सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर प्राप्त परिणामों की व्याख्या दी गई है।

उद्देश्य 1— हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए सहकारी अधिगम विधि तथा परंपरागत अधिगम विधि की प्रभावशीलता का अध्ययन करना

कक्षा 7 के विद्यार्थियों की हिंदी भाषा में पूर्व उपलब्धियों को सहचर मानते हुए सहकारी अधिगम तथा परंपरागत अधिगम विधि से हिंदी पढ़ाने के पश्चात् दोनों समूहों की उपलब्धि के समायोजित माध्य प्राप्तियों की तुलना की गई। प्रयोगात्मक समूह को सहकारी अधिगम विधि की सहायता से शिक्षण दिया गया, जबकि नियंत्रित समूह को परंपरागत अधिगम विधि की सहायता से शिक्षण दिया गया। आँकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् प्राप्त परिणामों को तालिका 1 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए स्वातंत्र्य की मात्रा (1, 37) पर उपचार के समायोजित F का मान 244.554 है जिसकी सार्थकता का मान .000 है, जो कि 0.01 सार्थकता मान से कम है अर्थात् 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है, अतः शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर पर कक्षा 7 के विद्यार्थियों की हिंदी भाषा में पूर्व

तालिका 1 — विचलन दर, स्वातंत्र्य स्तर, वर्गों का योग, माध्य वर्ग, F एवं P मान को दर्शाती तालिका

विचलन दर	स्वातंत्र्य स्तर	वर्गों का योग	माध्य वर्ग	F	P	टिप्पणी
पूर्व-परीक्षण	1	1904.995	1904.995	55.863	.000	
उपचार	1	8339.640	8339.640	244.554	.000	<0.01 सार्थक
त्रुटि	37	1261.755	8339.640	244.554	.000	
योग	39	34.101				

तालिका 3 — विचलन दर, स्वातंत्र्य स्तर, वर्गों का योग, माध्य योग, F एवं P मान को दर्शाती तालिका

विचलन दर	स्वातंत्र्य स्तर	वर्गों का योग	माध्य योग	F	P	टिप्पणी
उपचार	1	12709.511	12709.511	147.684	.000	
जेंडर	1	25.317	25.317	.294	.219	0.01 < सार्थक नहीं
उपचार × जेंडर	1	48.424	48.424	.563	.591	0.01 < सार्थक नहीं
त्रुटि	36	3098.121	86.059		.458	
कुल योग	39					

होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए विद्यार्थियों की हिंदी भाषा की उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः स्पष्ट है कि विद्यार्थियों की हिंदी भाषा की उपलब्धि में समानता देखने को मिली है।

तालिका 3 को देखने से यह भी ज्ञात होता है कि हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए स्वातंत्र्य की मात्रा (1, 1, 1, 36) पर उपचार तथा जेंडर की अंतर्क्रिया के समायोजित F का मान .563 है जिसकी सार्थकता का मान .591 है, जो कि 0.01 सार्थकता मान से अधिक है अर्थात् 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए जेंडर तथा उपचार की अंतर्क्रिया का हिंदी भाषा की उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, स्वीकृत होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की उपलब्धि के माध्य प्राप्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इस प्रकार प्रभावी रूप से यह कहा जा सकता है कि यदि हिंदी भाषा की

पूर्व उपलब्धि को सहचर मानकर सहकारी अधिगम विधि की सहायता से हिंदी भाषा सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो सभी विद्यार्थी समान रूप से नवीन ज्ञान को सीखते हैं।

उद्देश्य 3— हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए उपचार, सामाजिक वर्ग तथा इनकी अंतर्क्रिया का हिंदी भाषा की उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना

शोध का तृतीय उद्देश्य कक्षा 7 के विद्यार्थियों की हिंदी भाषा में पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए उपचार, सामाजिक वर्ग तथा इनकी अंतर्क्रिया का हिंदी भाषा की उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना था। प्रयोगात्मक समूह को सहकारी अधिगम विधि की सहायता से शिक्षण दिया गया तथा नियंत्रित समूह को परंपरागत विधि की सहायता से शिक्षण दिया गया। हिंदी उपलब्धि परीक्षण की सहायता से एकत्रित आँकड़ों का सामाजिक वर्ग के आधार पर, उनकी अंतर्क्रिया के विश्लेषण के लिए 2×3 कारक सह प्रसरण विश्लेषण का उपयोग किया गया। आँकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् प्राप्त परिणामों को तालिका 4 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 4— विचलन दर, स्वातंत्र्य स्तर, वर्गों का योग, माध्य योग, F एवं P मान को दर्शाती तालिका

विचलन दर	स्वातंत्र्य स्तर	वर्गों का योग	माध्यों वर्ग	F	P	टिप्पणी
उपचार	1	7623.643	7623.643	209.004	.000	
वर्ग	2	2.182	1.091	.030	.971	0.01 < सार्थक नहीं
उपचार×वर्ग	2	57.088	28.544	.783	.466	0.01 < सार्थक नहीं
त्रुटि	33	1203.713	36.476			
कुल योग	38					

तालिका 4 से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए स्वातंत्र्य की मात्रा (1, 2, 2, 33) पर सामाजिक वर्ग के समायोजित F का मान .030 है। जिसकी सार्थकता का मान .971 है, जो की 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए सामाजिक वर्ग का हिंदी भाषा की उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है,' स्वीकृत होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए सामाजिक वर्ग का हिंदी भाषा की उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न सामाजिक वर्ग की हिंदी भाषा की उपलब्धि में समानता देखने को मिली है।

उपरोक्त तालिका को देखने से यह भी पता चलता है कि हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए स्वातंत्र्य की मात्रा (1, 2, 2, 33) पर उपचार तथा सामाजिक वर्ग की अंतर्क्रिया के समायोजित F का मान .783 है, जिसकी सार्थकता का मान .466 है, जो कि 0.01 सार्थकता मान से

अधिक है। अतः 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है, अतः शून्य परिकल्पना माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए सामाजिक वर्ग तथा उपचार की अंतर्क्रिया का हिंदी भाषा की उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, स्वीकृत होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह के सामाजिक वर्ग की उपलब्धि के माध्य प्राप्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इस प्रकार प्रभावी रूप से यह कहा जा सकता है कि सहकारी अधिगम विधि की सहायता से हिंदी भाषा सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो सभी सामाजिक वर्ग के विद्यार्थी समान रूप से नवीन ज्ञान को सीखते हैं।

शोध के परिणाम

शोध के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं—

- हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए सहकारी अधिगम विधि तथा परंपरागत अधिगम विधि से हिंदी पढ़ाने के पश्चात् दोनों समूहों की उपलब्धि के समायोजित माध्य

प्राप्तांकों में सार्थक अंतर है, क्योंकि प्रयोगात्मक समूह के माध्य प्राप्तांक नियंत्रित समूह के माध्य प्राप्तांक से सार्थक रूप से अधिक हैं।

- माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परंपरागत अधिगम विधि की तुलना में सहकारी अधिगम विधि से शिक्षण करने पर उपलब्धि सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
- हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए विद्यार्थियों के जेंडर का हिंदी भाषा की उपलब्धि पर कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः स्पष्ट है कि विद्यार्थियों की हिंदी भाषा की उपलब्धि में समानता देखने को मिली है। यदि हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानकर सहकारी अधिगम विधि की सहायता से हिंदी भाषा सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो विद्यार्थी समान रूप से नवीन ज्ञान सीखते हैं।
- हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए सामाजिक वर्गों का हिंदी भाषा की उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है। अतः स्पष्ट है कि सभी सामाजिक वर्गों की हिंदी भाषा की उपलब्धि में समानता देखने को मिली है। यदि हिंदी भाषा की पूर्व उपलब्धि को सहचर मानकर सहकारी अधिगम विधि की सहायता से हिंदी भाषा सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है तो सभी सामाजिक वर्ग के विद्यार्थियों के नवीन ज्ञान को सीखने पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता तथा सभी सामाजिक वर्गों के विद्यार्थी समान रूप से सीखते हैं।

शोध के शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध के प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ नीचे दिए गए हैं—

- प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने सहकारी अधिगम विधि एवं परंपरागत अधिगम विधि का हिंदी भाषा की उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है। जिसके द्वारा स्पष्ट होता है कि सहकारी अधिगम विधि प्रभावी रूप से अधिगम करने की एक विधि है जिसमें विद्यार्थी स्व-गति से अधिगम करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी जैसे भाषा विषय को भी इस नवाचारी शिक्षण विधि द्वारा सिखाया जा सकता है।
- यह शोध कार्य माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि सहकारी अधिगम विधि की सहायता से विद्यार्थियों की अधिगम गतिविधियों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है तथा हिंदी भाषा विषय को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाया जा सकता है।
- यह शोध कार्य माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में न केवल विद्यार्थियों, बल्कि शिक्षकों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। सहकारी अधिगम विधि का उपयोग कर शिक्षक को एक प्रभावी अंतर्क्रियात्मक प्रक्रिया करने के लिए तैयार किया जा सकता है।

अतः हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत शोध कार्य जो कि सहकारी अधिगम विधि की उपादेयता को स्वीकार करता है, माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं शैक्षिक नीति-नियंत्रणों

के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। साथ प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी बनाएँ तथा विद्यार्थियों ही शिक्षकों को यह प्रेरणा देगा कि वे सहकारी के अधिगम में उत्तरोत्तर विकास कर पाने में सफल अधिगम विधि का उपयोग कर अपने शिक्षण को सिद्ध हों।

संदर्भ

- अन्नाकोडी, आर. 2013. इफ्रेक्टिवनेस ऑफ़ मल्टीमीडिया एंड कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीस एट सेकंडरी लेवल. ग्लोबल जर्नल फ़ॉर रिसर्च एनालिसिस. वॉल्यूम 2, इश्यू 3. पृष्ठ 48–50.
- इफी, आर. और ए. इफी. 2011. स्टूडेंट ग्रुप्स लीडर टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड इन क्राउडेड क्लासरूम. एजुकेशनल रिसर्च एंड रिव्यू. वॉल्यूम 6, नं. 2, पृष्ठ 187–196. यू.एस.ए.
- कालैयारसन. 2000. इफ्रेक्टिवनेस ऑफ़ कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच इन लर्निंग साइंस एट सेकंडरी लेवल. शिक्षा विभाग, अलगप्पा विश्वविद्यालय. <http://hdl.handle.net/10603/196582> से लिया गया है.
- कुंडू, वाई. 2008. इफ्रेक्ट्स ऑफ़ कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल्स ऑन अचीवमेंट इन इंग्लिश इंटर्ग्रुप रिलेशन एंड सेल्फ़ कॉन्सेप्ट ऑफ़ लर्नर्स. शिक्षा विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय. <http://hd.handle.net/10603/112583>. से लिया गया है.
- गुप्ता, एम. और जे. आहूजा. 2014. इफ्रेक्ट्स ऑफ़ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी ऑन इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंसिव अचीवमेंट्स ऑफ़ सेवेथ ग्रेड इन रिलेशन टू देयर जेंडर. इंटर्नेशनल एजुकेशन ई-जर्नल. वॉल्यूम 3, न. 1, पृष्ठ 14–23. <https://www.oijr.org/ejournal/jan-feb-mar2014/03.pdf> से लिया गया है.
- देवी, एस. 1994. इफ्रेक्ट्स ऑफ़ कोऑपरेटिव लर्निंग ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट, सेल्फ़ कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग ऑफ़ क्लासमेट. शिक्षा विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय. <http://hdl.handle.net/10603/112592> से लिया गया है.
- नारंग, एम. के. और जे. सी. अग्रवाल. 2016. समावेशी शिक्षा. अग्रवाल पब्लिकेशन, मेरठ.
- निरुपमा. 2010. नारी— शिक्षा साधन और स्वास्थ्य. अनुपम प्रकाशन, नयी दिल्ली.
- शर्मा, एस. 2008. इम्पैक्ट ऑन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीस ऑन लर्निंग आउटकम्स इंटर् पर्सनल रिलेशनशिप सेल्फ़ इस्टीम ऑफ़ एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स. शिक्षा विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय.
- सिंह, ए. के. 2013. मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ. मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली.
- . 2013. शिक्षा मनोविज्ञान. भारती भवन, नयी दिल्ली.
- सिंह, एन. 2009. भारतीय महिलाएँ— एक सामाजिक अध्ययन. ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली.
- सैयद, अहानगरी और ज़रीन समादिनयन. 2014. द इफ़ैक्ट्स ऑफ़ कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स ऑन प्रमोटिंग राइटिंग स्किल्स ऑफ़ ईरानियन लर्नर्स. लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर स्टडीज़. वॉल्यूम 2(4), पृष्ठ 121–130. होरीज़ॉन रिसर्च पब्लिशिंग.

एकीकृत शिक्षा दर्शन पर आधारित भारतीय शिक्षा प्रणाली एक दृष्टिकोण

राजीव दुबे*
अमित कुमार**

शिक्षा हमें वे सभी गुण सिखाती है जो श्रेष्ठ तथा उत्तम समझे जाते हैं। परंतु आधुनिक समय में शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य एवं रूपरेखा में सामान्य परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस परिवर्तन से शिक्षा एक साध्य न होकर एक साधन की ओर प्रवृत्त हो गई है। वस्तुतः शिक्षा आज ज्ञान की प्राप्ति एवं आत्मसंतुष्टि के लक्ष्य से हटकर एक विषय क्षेत्र में जरूरी उपाधि तथा नौकरी प्राप्त करने तक सीमित हो गई है। हालाँकि, शिक्षा के माध्यम से कौशल, उपाधि तथा नौकरी प्राप्त करना अपने आप में निराशाजनक परिस्थिति की ओर संकेत नहीं करता, परंतु जब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बावजूद कोई व्यक्ति स्वयं से तथा समाज से अलग, असंतुष्ट एवं विकसित रहता है, तब हमें वर्तमान समय में शिक्षा की अपूर्णता एवं उसके द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया को पूरा न कर पाने की असफलता पर चर्चा करना अनिवार्य प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र वर्तमान शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण लेते हुए इसके सुधार हेतु एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की संभावना को विकसित करने का प्रयास है, जो कि 'एकीकृत शिक्षा दर्शन' पर आधारित हो, जिसमें स्वतंत्र विचार, रचनात्मकता, मानवतावादी सोच, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्परता को प्रोत्साहित किया जाता है।

शिक्षा अपने संपूर्ण स्वरूप में ज्ञान के प्रकाश की ओर एक सतत यात्रा है। दुर्भाग्यवश लंबे समय से भारत में शिक्षा के ऊपर हो रहे संवाद में क्षैतिज प्रसार एवं संख्या के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित रहा है। शिक्षा में निहित आदर्शवादी दर्शन एवं इसके एकात्मवादी स्वरूप को रेखांकित करने वाले पहलुओं को चिह्नित एवं विकसित करने तथा इससे जुड़ी चुनौतियों पर सामान्यतः चर्चा नहीं की जाती है। अतः आज के

संदर्भ में इस प्रश्न का खड़ा होना स्वाभाविक है कि भारत में व्याप्त आधुनिक शिक्षा में कहाँ कमी रह गई है तथा इसके क्या विकल्प हो सकते हैं? एक शिक्षक के रूप में अगर इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की जाए तो हमें एक ऐसी दुविधापूर्ण परिस्थिति से प्रारंभ करना पड़ता है, जहाँ आशा भी है और निराशा भी, संभावनाएँ भी हैं और बहुत-सी चुनौतियाँ भी। आशा एवं संभावनाओं के स्रोत गांधी, टैगोर, अरविंद एवं

*सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय, सूर्यमणि नगर, त्रिपुरा 799022

**सहायक प्राध्यापक, पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली 110067

कृष्णमूर्ति जैसे महापुरुषों की चिंतन परंपरा है। दूसरी तरफ़ निराशा एवं चुनौतियों की भयावहता वर्तमान शिक्षा व्यवस्था स्वतः ही बयान करती है। सर्वप्रथम, यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय महापुरुषों ने शिक्षा से संबंधित जो भी विचार दिए हैं उनकी पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है, परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें कभी भी मुख्य शिक्षा प्रणाली में शामिल न करके हमेशा ही एक वैकल्पिक शिक्षा का दर्जा ही प्रदान किया गया है। रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के दर्शन पर आधारित रामकृष्ण मिशन विद्यालय, श्री अरविंद के दर्शन पर आधारित मिरांबिका विद्यालय, जिदु कृष्णमूर्ति के दर्शन पर आधारित ऋषि वैली स्कूल एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन पर आधारित सनातन धर्म विद्यालय इत्यादि कुछ इस तरह के उदाहरण हैं। इस तरह की संस्थाएँ सामान्य रूप से भारतीय शैक्षिक दर्शन में उस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं, जिसमें स्वतंत्र विचार, रचनात्मकता, मानवतावाद तथा शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्परता को प्रोत्साहित किया जाता है।

यह शोध पत्र मुख्यतः तीन खंडों में विभाजित है। खंड एक में, वर्तमान शिक्षा प्रणाली की प्रमुख कमियों को पहचानने की कोशिश की गई है। इस क्रम में दार्शनिक स्तर पर जो कमियाँ हैं, उन्हें ही उजागर करने की कोशिश की गई है। दार्शनिक स्तर पर भारतीय शिक्षा के संदर्भ में बनाई गई गलत परिकल्पनाओं को पहचानने के उपरांत खंड दो में, भारतीय ज्ञान मीमांसा की परंपरा में निहित संभावनाओं को तलाशने का प्रयास किया गया

है। अंततः खंड तीन में उन संभावित चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जो शिक्षा प्रणाली में भारतीय सोच को लागू करने के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं।

खंड एक— भारतीय शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ

इस खंड में स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में शिक्षा के विकास पथ को समझने तथा उसके मार्ग में आए विचारधारात्मक कठिनाइयों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वविदित है कि शिक्षा प्रत्येक समाज की आवश्यकता एवं अभिलाषा को प्रतिरूपित करती है तथा वह उस समाज की सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेरणा भी ग्रहण करती है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास के संदर्भ में, एक स्वाभाविक अपेक्षा यह थी कि इसे भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों एवं परंपराओं के अनुरूप ही विकसित किया जाना चाहिए ताकि इससे देश की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा एवं उन्नति हो सके तथा साथ ही साथ शिक्षा की सार्थकता भी बनी रहे। परंतु इस काल में जिस तरह की शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया, वह मुख्यतः यूरो-केंद्रित विचार द्वारा निर्देशित थी। इस संदर्भ में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यूरोपीय शिक्षा प्रणाली आधुनिक समाज के निर्माण की एक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आधुनिकता तथा धर्मनिरपेक्षता के प्रभाव में आकर आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली तथा प्राचीन धार्मिक शिक्षा पद्धति के बीच अतर्कपूर्ण विभाजन रेखा खींच दी गई। एक के विकास को दूसरे के विरोध के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा भारतीय

शिक्षा परंपरा एवं धरोहर की उन्नति तो दूर, उसके संरक्षण के प्रयास की भी अवहेलना की गई। इसी संदर्भ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधीजी द्वारा आधुनिकता पर की गई आलोचना के प्रति अपनी खुली असहमति जताई तथा कहा कि गांधीजी के द्वारा *हिंद स्वराज* में जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं वह आधुनिक सोच एवं परिस्थितियों से पूर्णतया असंगत हैं (नेहरू, 1984, पृष्ठ 510)। गांधीजी के अलावा स्वदेशी शिक्षा के विकास में आवश्यकता पर अन्य महापुरुषों जैसे कि, रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा श्री अरविंद ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, किंतु स्वतंत्रता पश्चात् भी शिक्षा व्यवस्था मुख्यतः उपनिवेशवादी मानसिकता पर ही आधारित होकर पृथकतावादी तथा किताबी प्रवृत्ति की तरफ उन्मुख होती चली गई (आचार्य, 1997, पृष्ठ 601)। वस्तुतः हमें स्वदेशी शिक्षा के विचार को महज सांकेतिक महत्व न प्रदान कर उसे वास्तव में लागू करना चाहिए था। ऐसा न कर पाने के कारण तथा उपनिवेशीय शिक्षा प्रणाली के लागू होने के कारण, शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्षों में निम्न समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं—

पश्चिमी सोच द्वारा भारतीय समस्याओं के समाधान की असफल चेष्टा

पश्चिम से प्रभावित हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली वस्तुतः आधुनिकीकरण पर आधारित है। यह आधुनिकीकरण की संकल्पना जिन आधारों पर टिकी है, उनमें एक है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा। प्रत्यक्षवाद की एक विशेषता यह है कि यह ज्ञान को ज्ञाता से, मूल्यों को तथ्यों से तथा वस्तुनिष्ठता को

व्यक्तिपरकता से अलग रखने की सोच का समर्थन करती है। यहाँ वस्तुनिष्ठ होना, मूल्य-निरपेक्ष होना, सामाजिक होना तथा पृथक होना एक गुण एवं 'सच्चे ज्ञान' प्राप्ति की आवश्यक शर्त मानी गई है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ औपचारिक शिक्षा व्यवस्था को इस सीमा तक बढ़ाया जाता है कि हम धर्म तथा विज्ञान को एक-दूसरे का विरोधी मानने लगते हैं एवं इन्हें अलग-अलग विश्लेषित करने के पक्ष में तर्क देते हैं।

शिक्षा पद्धति में प्रत्यक्षवादी सोच के प्रस्तावक यह तर्क देते हैं कि धर्म तथा आध्यात्मिकता जैसे विषयों के ऊपर चर्चा किसी अन्य क्षेत्र अथवा संस्थागत ढाँचे के अंतर्गत होनी चाहिए न कि शिक्षण संस्थानों के भीतर। उनके अनुसार, शिक्षा के क्षेत्र में धर्म तथा आध्यात्मिकता जैसे विषयों को शामिल करना न तो वांछनीय होगा और न ही संभव। यह इस कारणवश वांछनीय नहीं होगा, क्योंकि धर्म तथा आध्यात्म पारंपरिक अवैज्ञानिकता पर आधारित हैं तथा यदि हम इसे शिक्षा प्रणाली में शामिल कर लेते हैं, तो इससे इसके धर्मनिरपेक्ष होने की विशेषता समाप्त हो जाती है। परंतु अगर देखा जाए तो आध्यात्मिकता धर्मनिरपेक्षता के बीच पश्चिम के द्वारा किया गया यांत्रिक विभाजन यूरो-केंद्रित सोच का परिणाम है। यह इसलिए क्योंकि यदि हम भारतीय परंपरा एवं इसके पुनर्जागरण के इतिहास को देखते हैं तो हमें ऐसे अनेक महापुरुषों के विचार देखने को मिलते हैं जो आध्यात्मिकता से तो ओत-प्रोत हैं ही, साथ ही उनकी धर्मनिरपेक्षता भी बिलकुल स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि हम इन परंपराओं को अपनी भावी सोच का

आधार क्यों नहीं बनाते जो कि आध्यात्मिकता एवं धर्मनिरपेक्षता के बीच एक व्यापक सोच का आधार रखती है?

औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने ऐसी नीतियों को अपनाया जिससे भारतीयों के मन में उन सभी चीजों के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न हुई जो पश्चिम से जुड़ी हुई थीं। किंतु जिस तरह हम समाज में हुए परिवर्तन को नकार नहीं सकते, उसी तरह अपने अतीत एवं परंपरा की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। अतः किसी भी विषय के ऊपर कोई योजना और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे विकास का आयोजन हमें पाश्चात्य के स्थान पर भारतीय परंपरा एवं संस्कृति को ध्यान में रखकर ही करना होगा।

श्री अरविंद ने भी इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या हमें आधुनिक विज्ञान पद्धति तथा सिद्धांतों को सिर्फ इसलिए नकार देना चाहिए, क्योंकि वे यूरोप से आए हुए हैं और परंपरागत भारतीय ज्ञान तक ही अपने आपको सीमित कर लेना चाहिए? दूसरे शब्दों में, क्या हमें पाठ्यपुस्तकों से गैलीलियो तथा न्यूटन आदि को बाहर कर सिर्फ भास्कराचार्य, आर्यभट्ट तथा वराहमिहिर को ही शामिल करना चाहिए? (श्री अरविंद आश्रम ट्रस्ट, 1956, पृष्ठ 08)। श्री अरविंद का यह विश्वास है कि शिक्षा कहीं से भी अतीत की ओर लौटना मात्र नहीं है। उनका मत था कि सत्य, ज्ञान तथा शिक्षा आपस में एक-दूसरे से अंतर्संबंधित हैं तथा ये सभी किसी एक देश एवं सीमा से परे हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आस-पास के वातावरण में मौजूद सूचनाओं को जोड़ना तथा उससे जो कौशल ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके माध्यम

से जनमानस के मन एवं चेतना में शक्ति का संचार करना है। श्री अरविंद के अनुसार, यह तभी संभव है जब हम ज्ञानार्जन की संभावनाओं के प्रति खुला रख अपनाएँ तथा चाहे वह किसी भी दिशा से आए हम उसका सहर्ष स्वागत करें। परंतु इस खुलेपन का तात्पर्य यह नहीं है कि हम इसके प्रति सावधान न रहें। इस संदर्भ में हमें गांधीजी के विचारों को याद रखना होगा कि हमें नए विचारों के लिए अपने घरों के दरवाजे एवं खिड़कियाँ तो खुली रखनी चाहिए मगर यह कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए कि नये विचारों की आँधी में हमारे पाँव ही ज़मीन से उखड़ जाएँ (आचार्य, 1997, पृष्ठ 602)।

अतः कहा जा सकता है कि वस्तुनिष्ठता, अनुभाविकता तथा सत्यनिष्ठा पर आधारित पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था आज के समय की आवश्यकता है। किंतु हमें पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की महत्ता के साथ-साथ प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की संपूर्णता को भी स्वीकारना होगा, जो न सिर्फ पाठ्यपुस्तकों के अवतरण के महत्व को, बल्कि साथ ही साथ उनके अनुभावीकरण को भी आवश्यक मानते हैं। पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था के समानांतर भारतीय चिंतन परंपरा को विकसित करने के महत्व को मुखर्जी, आर. के. (1969) स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ऐसा करने के उपरांत ही हम शिक्षा को समाज एवं मनुष्य का एक अभिन्न अंग बना सकते हैं एवं शिक्षा में जो एकाकीपन एवं विसंगति है उसे खत्म कर सकते हैं। इसके अभाव में हमारी स्थिति उस पशु के समान होगी जो चंदन का बोझ तो उठाए हुए है, परंतु उसकी खुशबू का आनंद ले सकने की स्थिति में नहीं है।

विखंडित ज्ञान— शरीर, मन तथा आत्मा के बीच सहक्रिया का अभाव

आधुनिक शिक्षा प्रणाली का आधार देकार्त का प्रत्यक्षवादी सिद्धांत है। जिसमें मन तथा शरीर के बीच द्वैतता की स्थिति को स्वीकार किया गया है। पश्चिम जगत ने ज्ञान प्राप्ति के अपने प्रयास में सदा ही शरीर, मन, प्रज्ञा तथा आत्मा को अलग-अलग तथा एक-दूसरे से असंबंधित माना है (उपाध्याय, 1968, पृष्ठ 30)। द्वैतवाद की पश्चिमी संकल्पना भारतीय ज्ञान परंपरा के समक्ष चीजों को उसकी एकरूपता एवं अखंडता में समझने की प्रक्रिया के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती है। यह चुनौती सामाजिक स्तर पर तब और भी स्पष्ट होती है जब हम समाज में ऐसे व्यक्तियों की बहुसंख्या देखते हैं जिनके मनसा, वाचा एवं कर्मणा में कोई तालमेल नहीं होता है अर्थात् वे सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं एवं बोलते कुछ और हैं।

अधिकतर मामलों में आज एक विद्यार्थी किसी भी विषय के अध्ययन का चयन इस आधार पर नहीं करता कि उसे उस विषय को पढ़ने में रुचि है या वह उस विषय से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। वास्तव में, वह उस विषय को इसलिए पढ़ता है, क्योंकि उसकी नज़र में वह उस विषय से अच्छे नंबर, आसान डिग्री तथा अंततः एक नौकरी प्राप्त कर सकेगा। इस कारण आज हमें एक ऐसी विरोधाभासी स्थिति देखने को मिलती है जिसमें जहाँ एक ओर शिक्षण संस्थानों एवं डिग्रियों की भरमार है, वहीं दूसरी ओर सामान्य ज्ञान अथवा अवबोधन का अभाव। भारतीय समाज में शिक्षा के क्षेत्र में आई

इस तरह की प्रवृत्ति के कारण पिछले कुछ दशकों में हम अनेक ऐसे निजी शिक्षण संस्थानों को उभरते हुए देख सकते हैं, जो प्रबंधकीय तथा अभियांत्रिकी आदि क्षेत्र में मुख्यतः डिग्री प्रदान करने का कार्य करने में संलग्न हैं। उपरोक्त कथन को अगर हम और स्पष्ट करना चाहें तो हाल ही के दो उदाहरण पर्याप्त होंगे। *द टाइम्स ऑफ़ इंडिया* (6 सितंबर, 2015) के एक अंक में दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में 368 सरकारी चपरासी के पद के लिए 23 लाख आवेदन प्राप्त हुए जिसमें अनेक आवेदनकर्ता पीएच.डी. की उपाधि धारक भी थे, वस्तुतः यह तथ्य एक झकझोर देने वाली स्थिति की तरफ़ इशारा करता है। इसी तरह बिहार में कक्षा बारह के परिणाम घोषित होने के बाद प्रथम स्थान प्राप्त होने वाले विद्यार्थी से संबंधित विवाद के मीडिया में आने से जिस परिस्थिति का आभास होता है, वह इस बात की ओर इशारा करती है कि आज अंक प्राप्त करना, डिग्री हासिल करना एवं अंततः कोई नौकरी हासिल करना शिक्षा प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य बन गया है। इस बात को समझने की जगह कि शिक्षा प्राप्ति के क्रम में अंक लाना एवं डिग्री हासिल करना एक पड़ाव मात्र है, लेकिन आज यही शिक्षा का उद्देश्य बन गई है तथा मंज़िल को प्राप्त करने के लिए लोग किसी भी रास्ते को अपनाने से हिचकिचाते नहीं हैं।

यदि हम आज के समय में अपने विद्यालयों की स्थिति की ओर देखें तो यह स्पष्ट है कि यद्यपि विद्यालयों की संख्या के मामले में हमारी स्थिति पहले से बेहतर हुई है, परंतु जहाँ तक विद्यालयों में प्रचलित शैक्षिक संस्कृति का सवाल है, वह निष्प्राण

पाठ्यक्रम, बंद तथा अत्यधिक अनुशासित कक्षाएँ, हतोत्साहित शिक्षक, परीक्षा केंद्रित पढ़ाई तथा किसी भी विषय को रटने न कि समझने जैसी अनेक विकृतियों से ग्रस्त दिखाई देती है। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थिति भी लगभग इसी प्रकार की है। हम यहाँ भी संख्या के दृष्टिकोण से तो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं; परंतु जहाँ तक अकादमिक संस्कृति का प्रश्न है, स्थिति चिंतापूर्ण ही है। विश्वविद्यालयों में बढ़ती हुई हिंसा की घटनाएँ, शोध का गिरता हुआ स्तर, कक्षाओं से शिक्षकों की अनुपस्थिति आदि अनेक समस्याएँ आज हमारे कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में देखने को मिलती हैं। वस्तुतः आज शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही मनुष्य को मानव न बनाकर एक पेशेवर व्यवसायी बनाने का हो गया है। पेशेवर व्यवसायी होना कोई गलत बात नहीं है; परंतु यदि हम मानव हुए बिना सिर्फ पेशेवर बनते हैं तथा शिक्षा को मात्र बाजार के अनुकूल मानव संसाधन प्रदान करने का जरिया बना देते हैं; तो निश्चित ही यह विचारणीय है।

वस्तुतः शिक्षा मात्र एक उपयोगितावादी आयाम नहीं है जिसमें शिक्षा को हुनर अथवा दक्षता प्राप्त कर, नौकरी हासिल कर, पैसा कमाने मात्र का एक साधन मान लिया जाए। दरअसल, शिक्षा एक तपस्या है जिसमें तप कर एक व्यक्ति अपने स्वार्थी एवं अहंवादी प्रवृत्ति से मुक्त होकर दैवीय अनुभूति को प्राप्त करता है। शिक्षा के इस सच्चे स्वरूप एवं दर्शन को पुनःस्थापित करने के लिए उन विचारों को जाग्रत करना आवश्यक है जो एक समेकित ज्ञान परंपरा की वकालत करते थे। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम अध्ययन-अध्यापन की एक

ऐसी संस्कृति को विकसित करें, जहाँ खुले वातावरण में विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा व्यक्ति के मन, शरीर तथा आत्मा को एकीकृत करने का कार्य किया जाए। आज हमें एक ऐसी एकीकृत शिक्षा व्यवस्था को विकसित करना होगा जहाँ व्यक्ति तथा समाज, शरीर तथा आत्मा को अलग-अलग न समझा जाए। यदि आज हमें इस संसार को भय एवं दुःख के प्रभाव से बचाना है तो नैतिक मूल्यों को किताबों तक सीमित न रखकर उसे व्यक्ति के जीवन के साथ जोड़ना होगा।

अध्यापन का व्यावसायीकरण

आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अध्यापन के कार्य में रत शिक्षकों की स्थिति भी विचार करने योग्य है। आज अध्यापन के कार्य को किसी अन्य व्यवसाय की तरह ही समझा जाता है, जहाँ लोगों का मुख्य उद्देश्य मूल रूप से पैसा अथवा लाभ कमाना होता है। तदनुसार शिक्षकों को भी जीवन क्षेत्र तथा समाज में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने वाला न मानकर एक विषय विशेषज्ञ मात्र के रूप में ही देखा जाता है, जो अन्य पेशेवर लोगों की तरह सुबह दस बजे से सायं पाँच बजे तक किसी कार्यालय में कार्यरत रहता है। इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में मात्रात्मक तथा यांत्रिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक गिरावट का स्पष्ट चित्रण हमें अनेक ऐसी घटनाओं में भी परिलक्षित होता है, जहाँ शिक्षक जातिगत आधारित भेदभाव, यौन-शोषण इत्यादि मामलों में लिप्त पाए जाते हैं।

इस तरह की प्रवृत्ति के विपरीत भारत में पठन-पाठन की एक अत्यंत ही समृद्ध परंपरा रही है,

जहाँ गुरु को एक ऐसी सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त थी, जिसमें उसे एक आदर्श एवं आशा के प्रतिरूप के तौर पर देखा जाता था। दुर्भाग्यवश हमारी गलत शिक्षा नीति के कारण वह व्यक्ति विशेष जो एक समय में राष्ट्र एवं उसकी भावी पीढ़ी का भाग्य निर्माता समझा जाता था, आज सिर्फ एक अन्य पेशेवर की तरह ही देखा जाता है, जहाँ इस क्षेत्र में लोग कभी स्वेच्छापूर्वक तथा व्यक्तिगत इच्छा से आते थे, अब विज्ञापन तथा प्रतियोगिताओं के माध्यम से चुने जाते हैं। वास्तव में, शिक्षा की 'मुक्तिवादी' परंपरा (फ्रेरे, 1972) की अवहेलना कर आज हमने यूरोप के उस पथ को चुना है, जहाँ इस क्षेत्र को भी समझौते के आधार पर स्थापित करते हैं। यहाँ विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच एक बाजार आधारित संबंध होता है एवं शिक्षक एक शैक्षिक संस्थान से सिर्फ रोजगार के आधार पर जुड़ा होता है।

आदर्श अथवा विचार के स्तर पर वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली में मौजूद कुछ कमियों एवं विसंगतियों को स्पष्ट करने के उपरांत आगामी खंड में इन्हें दूर करने के संबंध में भारतीय परंपराओं से क्या ग्रहण किया जाए, इस संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए गए हैं।

खंड दो— निराशा के मध्य एकीकृत शिक्षा दर्शन में निहित आशा

खंड एक में वर्णित समस्याओं एवं चुनौतियों के मध्य आशा की एक किरण शिक्षा के क्षेत्र में एकीकृत शिक्षा दर्शन को लागू करने से दिखाई देती है। मोटे तौर पर एकीकृत शिक्षा दर्शन शिक्षा प्रणाली में अदूरदर्शी नीतियों, यूरो-केंद्रित झुकावों

एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण के विपरीत धर्म एवं साधना जैसे ठोस एवं विश्वसनीय भारतीय दर्शन से जुड़ी अवधारणाओं को लागू करने का समर्थन करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एकात्म मानववाद न सिर्फ भारतीय सांस्कृतिक संवेदनशीलता के अनुरूप है, बल्कि यह यहाँ के परिप्रेक्ष्य में सार्थक एवं संदर्भगत शिक्षाशास्त्र को विकसित करने की भी क्षमता रखता है। यह भारतीय समाज में पाए जाने वाले द्वंद्व एवं विरोधाभास का भी समाधान करता है।

ज्ञान मीमांसा के स्वदेशी आधारों पर पठन-पाठन एकीकृत शिक्षा दर्शन के अनुसार अनेक समस्याओं का समाधान संभव है। यदि हम शिक्षा तथा समाज के विकास के क्षेत्र में अपनी स्वयं की उत्कृष्ट संस्कृति एवं दर्शन को लागू करें तो इन समस्याओं का समाधान सरल है। वास्तव में, स्वतंत्र देश किसी दूसरे देश द्वारा बनाई गई अवधारणाओं पर खड़ा नहीं हो सकता। आधुनिक समय में, भारतीय दर्शन पर आधारित ज्ञान के अभाव तथा पश्चिमीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों एवं वहाँ काम कर रहे अध्यापकों की स्थिति चिंताजनक है। इस जटिल माहौल से निजात पाने का एकमात्र उपाय यही होगा कि हम शिक्षा में स्वदेशीकरण को अपनाएँ। 'स्वतंत्रता के बाद भी पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियाँ भारत में अपने प्रभाव को बनाए हुए हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि आज भारत में जो कुछ भी स्वदेशी है, उसे पश्चिम की तुलना में हेय समझा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस पश्चिमी प्रभाव ने भारत की मूल सोच एवं दर्शन के विकास को ही बाधित कर

रखा है (सुंदरम, 2005)। इस परिस्थिति में एकीकृत शिक्षा दर्शन एक आशा की किरण के रूप में सामने आता है, जिसमें शिक्षा, संस्कृति एवं समाज को एक साथ समझने की कोशिश की गई है। अगर गौर से देखा जाए तो एकीकृत शिक्षा दर्शन को भारतीय विचार के मूल के रूप में समझ सकते हैं। इस दर्शन को न सिर्फ वेदों एवं उपनिषदों में स्पष्ट किया गया है, बल्कि यह संसार की रचना एवं उसके गतिमान होने के सत्य को भी व्याख्यायित करता है।

शिक्षा को यदि उसकी संपूर्णता में समझा जाए तो हम उस स्थिति से परे होंगे, जहाँ हमारी मानसिकता शिक्षा एवं शिक्षक, तर्क एवं भावना, औपचारिक एवं अनौपचारिक, आदर्श एवं सत्य तथा सीखने एवं व्यवहार में लाने के बीच में विभेद करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस तरह की परिस्थिति में मनुष्य का स्वयं का जीवन भी एक पुस्तक जैसा हो जाएगा जिससे वह बहुत कुछ सीख सकेगा एवं अपने व्यवहार में ला सकेगा। शिक्षा तब एक कक्षा की चहारदीवारी अथवा पुस्तक के कुछ पन्नों तक सीमित न होकर, मनुष्य के दैनिक जीवन के व्यवहारों में परिलक्षित होने लगेगी।

वस्तुतः ज्ञान के आचरण में प्रतिबिंबित होने की संकल्पना भारतीय दर्शन की सभी संकल्पनाओं में है, फिर चाहे वह शिक्षा हो या धर्म। यहाँ विचारों को तभी पूर्ण माना जाता है जब उसे वास्तविकता में लागू किया जाए अथवा अपनाया जाए। तत्पश्चात् शिक्षा का आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत होना अथवा धर्म और आध्यात्मिकता का शिक्षा के केंद्र में होना अत्यंत स्वाभाविक है। यह एक दुर्भाग्य ही है कि इस

तरह के एकीकृत दर्शन के मौजूद होने के बावजूद सिर्फ पश्चिम का आँख बंद करके अनुसरण करने के कारण हमने आधुनिक शिक्षा में आध्यात्मिकता को स्थान नहीं दिया और अब जब हम उसके भयानक परिणामों को अनुभव कर पा रहे हैं, तब अलग से एक नैतिक शिक्षा नामक विषय को विद्यालय में पढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं। इस स्थिति में हमें निश्चित ही अपने एकात्मिकता के दर्शन को पुनः स्थापित करना होगा।

शिक्षा का पूर्णतावादी दृष्टिकोण

शिक्षा का अर्थ एवं कार्य अत्यंत ही गंभीर है। अपने औपचारिक तथा बाह्य लक्ष्यों जैसे कि, उपाधि, दक्षता, नौकरी एवं जीवकोपार्जन के साधन को प्राप्त करते हुए शिक्षा को एक व्यक्ति के अंदर आत्म-चिंतन तथा स्वयं को अन्य व्यक्तियों तथा वस्तुओं से जोड़ पाने की क्षमता को भी विकसित करना होता है। शिक्षा अपने इस समग्रग्राही अर्थ में व्यक्तियों को उपाधि, पद एवं पैसा जैसी सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है ताकि ऐसा कर वे अन्य व्यक्तियों एवं समाज का भला कर सकें। यहाँ भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि ज्ञानोपार्जन अपने आप में एक सार्थक एवं सुखदायी प्रक्रिया होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यहाँ व्यक्ति के मनसा, वाचा तथा कर्मणा में कोई विरोधाभास नहीं होता है। व्यक्ति सभी में स्वयं को और स्वयं में सबको देख पाने की कला सीखने के उपरांत अपने मन, शरीर एवं आत्मा को एकीकृत हुआ महसूस करता है।

एक समग्रग्राही शिक्षा का विचार निश्चित ही एकीकृत शिक्षा दर्शन का केंद्र कहा जा सकता है। मानव की रचना शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा से मिलकर हुई है, परंतु वास्तव में ये चारों आपस में एकीकृत हैं तथा इन्हें अलग-अलग नहीं देखा जाना चाहिए। पश्चिम में जो भ्रांति एवं विरोधाभास है, वह इसी बात से उपजा है कि उन्होंने व्यक्ति के इन चार तत्वों को अलग-अलग एवं एक-दूसरे से असंबंधित माना है (उपाध्याय, 1968, पृष्ठ 30)। इसी तरह गांधीजी ने भी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात की थी, जिसमें विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास संभव हो सके तथा ऐसा होने के लिए उन्होंने जिस तरह की व्यवस्था की वकालत की थी उसे उन्होंने 'एकीकृत शिक्षा' कहा था। उनके मतानुसार व्यक्ति के मन तथा शरीर का विकास साथ-साथ होता है एवं इसी क्रम में आगे चलकर आत्मा का विकास भी संभव हो पाता है। यदि हम एक को छोड़ दें तो दूसरे की उन्नति कदापि संभव नहीं हो पाएगी (गांधी, 1953, पृष्ठ 48)। गांधीजी के शब्दों में, 'मनुष्य न तो शरीर है न सिर्फ बुद्धि, न ही उसमें सिर्फ आत्मा का निवास है और न ही हृदय मात्र। एक संपूर्ण मानव वही है जिसमें इन तीनों— मन, शरीर तथा आत्मा के विकास का संतुलन हो।'

गांधीजी के अनुसार, शिक्षा व्यक्ति को भयमुक्त एवं एक सार्थक अस्तित्व प्रदान करती है। यह हमें हमारे अंदर निवास करने वाले उस भय से मुक्त कराती है जो हमारे अनेक गलत कार्यों को न्यायोचित ठहराने का आधार बनती है। हम जीवन भर अपने आपको बाह्य साधनों के माध्यम

से सुरक्षित करने या यूँ कहें कि भयमुक्त रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन गांधीजी के अनुसार, यदि व्यक्ति को वास्तव में भयमुक्त होना है तो उसे अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। यह आंतरिक शक्ति गांधीजी के अनुसार तभी विकसित हो पाएगी जब व्यक्ति अपने शरीर, मन तथा आत्मा पर नियंत्रण विकसित कर लेगा। चावला (2016) ने शिक्षा पर गांधीजी के दर्शन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उनके अनुसार मनुष्य की शक्ति वस्तुतः उसके स्वावलंबन, स्व-जागरूकता तथा स्व-नियंत्रण की क्षमता पर निर्भर करती है। जब मनुष्य अपने जीवन में इन तीनों तत्वों को अपना लेता है तब उसे सत्य एवं अहिंसा की शक्ति प्राप्त होती है एवं वह आंतरिक रूप से भयमुक्त जीवनयापन कर पाता है। अतः गांधीजी ने अपनी कुशलता केंद्रित शिक्षा प्रणाली जिसे उन्होंने 'नई तालीम' का नाम दिया है, के केंद्र में इन्हीं तीन मूल तत्वों को रखा है। उनके अनुसार, कार्य-कुशलता केंद्रित शिक्षा प्रणाली बच्चों को अपने शरीर, मन तथा आत्मा को नियंत्रित करने एवं एकीकृत करने में सहायता प्रदान करती है, परंतु दुर्भाग्यवश वर्तमान शिक्षा प्रणाली किताब-केंद्रित है न कि अनुभव-केंद्रित। अतः वर्तमान में प्रचलित शिक्षा प्रणाली तथा मानव के अंदर बढ़ रही असुरक्षा एवं असंतोष की भावना के परिप्रेक्ष्य में गांधीजी के द्वारा बताई गई 'नई तालीम' अत्यंत सार्थक है। इसकी सार्थकता इस बात से स्पष्ट है कि इसमें शिक्षा तथा कार्य को, शिक्षक तथा विद्यार्थी को एवं सिखाने तथा आचरण करने को अलग-अलग न मानते हुए एक ही माना गया है।

शिक्षा के इस समग्रग्राही स्वरूप को श्री अरविंद की परम शिष्या श्रीमाता के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। एक सार्थक जीवन जीने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उन्होंने व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्य को संपूर्णता अथवा निर्दोषता में करने की सलाह दी है। इसके लिए आगे उन्होंने यह आवश्यक बताया है कि व्यक्ति अपने आप के प्रति एवं अपने विभिन्न अंगों के द्वारा पूरे किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के प्रति पूर्णतः सजग एवं जागरूक रहे (श्री अरविंद आश्रम, 1978, पृष्ठ 3)। उनके अनुसार, इस सजगता एवं जागरूकता की प्राप्ति तभी संभव है जब उसने जो शिक्षा ग्रहण की है उसमें पाँच आयामों का समावेश हो— शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, धार्मिक एवं प्राणिक (श्री अरविंद आश्रम, 1978, पृष्ठ 9)। इस तरह की जीवनदायिनी तथा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था ही वास्तव में मनुष्य के अंदर ऐसे सद्गुणों को विकसित कर सकती है जिसमें वह सहानुभूति, आंतरिक संतोष एवं सभी से प्रेम कर सके। ऐसी शिक्षा प्रणाली ही वास्तविकता में मनुष्य को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती है। यह परिवर्तन जो कि मनुष्य से शुरू होगा, अंततः समाज को एक सकारात्मक तरीके से निश्चित ही प्रभावित करेगा।

भारतीय गुरु-शिष्य परंपरा

शिक्षा के एकात्मक स्वरूप में अध्यापन का कार्य सिर्फ एक व्यवसाय मात्र न होकर एक ईश्वरीय आह्वान का रूप ले लेता है, जिसमें शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षक अपने अध्ययन-अध्यापन के कार्य को सिर्फ एक यांत्रिक तरीके से न लेकर उसे अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने

का माध्यम बना लेता है। शिक्षा के इस दृष्टिकोण को भारत में प्राचीन काल से ही अपनाया गया है तथा एक गुरु-शिष्य परंपरा के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में ऊपर वर्णित मूल्यों को समावेशित किया गया है। चाहे गांधी हों या टैगोर या फिर श्री अरविंद, लगभग प्रत्येक भारतीय चिंतक ने शिक्षा प्रणाली से जुड़े इन मूल्यों को अपनाया है।

‘गुरु’ संस्कृत से निकला एक ऐसा भारतीय शब्द है जिसका अंग्रेजी सामानार्थी शब्द कोई नहीं है। यद्यपि लोग इसे ‘टीचर’ (Teacher) के तौर पर अंग्रेजी में सामान्यतः अनुवाद करते हैं, परंतु गुरु अपने अर्थ में एक ‘टीचर’ की तुलना में बहुत अधिक बड़ी भूमिका निभाने वाला तथा उत्तरदायित्व पूरा करने वाला व्यक्ति होता है। पारंपरिक तौर से गुरु एक शिक्षक (टीचर) के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, एक अभिभावक माना जाता है। गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके ज्ञान की सीमा अपने शिष्य के लिए सिर्फ बौद्धिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि अनुभवात्मक स्तर पर भी वह अपने ज्ञान को अपने शिष्यों को प्रदान करता है। गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो अपने शिष्यों के समक्ष जीवन के अर्थ को स्पष्ट करता है, उन्हें जीवन जीने का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। गुरु की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह होता है कि वह धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का सबसे पुराना एवं विश्वसनीय स्रोत माना जाता है (मेलको, 1982, पृष्ठ 33)। भारतीय गुरु परंपरा की एक और विशेषता यह है कि यहाँ गुरु एक ऐसा तानाशाह नहीं होता जो अपने शिष्य को जबरदस्ती शिक्षा प्रदान करता है। भारत में गुरु वस्तुतः विद्यार्थी की जानने की ललक को

बढ़ाने वाला तथा उसे गूढ़ प्रश्नों को हल करने में एक सहायता प्रदान करने वाला, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करने वाला होता है। भारत में गुरु-शिष्य संबंध सम्मान, आदर तथा आध्यात्मिक परस्परता पर आधारित होता है। गुरु से अपेक्षा की जाती है कि वह शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान के रास्ते पर ले जाए तथा शिष्य को उसके बदले में आदर और सम्मान देना होता है।

श्री अरविंद ने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया था। इनमें से पहला सिद्धांत यह था कि 'कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता' (श्री अरविंद आश्रम, 1956, पृष्ठ 20)। इस सिद्धांत के आधार पर एक शिक्षक के संदर्भ में जिन विचारों का निर्माण उन्होंने किया था, वह बहुत कुछ गुरु की अवधारणा को ही फलीभूत करता है। उन्होंने लिखा है कि शिक्षक कोई निर्देश देने वाला या कार्य कराने वाला नहीं होता है, बल्कि वह एक सहायक एवं मार्गदर्शक होता है। उसका काम सलाह देना होता है न कि अपनी बातों को विद्यार्थी के ऊपर ज़बरदस्ती लादना। वह एक विद्यार्थी के मन को प्रशिक्षित करने वाला नहीं होता है, बल्कि उसका काम तो उसके मन को प्रकाशित करना तथा उस प्रकाश की ओर अग्रसर होने के लिए उसे उत्साहित करना मात्र होता है। शिक्षक विद्यार्थी में ज्ञान को आरोपित नहीं करता, बल्कि उसे ज्ञान का मार्ग दिखाता है। ज्ञान तो विद्यार्थी को स्वयं अपनी मेहनत से प्राप्त करना होता है। इसी प्रकार टैगोर ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि एक शिक्षक जब गुरु का स्वरूप धारण करता है तो वह वस्तुतः अपने व्यक्तित्व को इतना प्रकाशमान कर लेता है कि अन्य

उससे ऊर्जा ग्रहण करने लग जाते हैं, परंतु वर्तमान समय में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ऐसा शिक्षक जो गुरु बनने की क्षमता रखता हो, विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? कृष्णा (2016) ने टैगोर को उद्धृत करते हुए गुरु की परंपरा एवं विशेषताओं को और भी स्पष्ट किया है। उनके अनुसार गुरु वह है जो अपने प्रकाशमान व्यक्तित्व से अपने विद्यार्थियों के जीवन को प्रकाशित करता है एवं अपने स्नेह से विद्यार्थियों को आनंद प्रदान करता है। गुरु वह होता है जो अपने विद्यार्थियों को वह शिक्षा प्रदान करता है जो अमूल्य है। वह शिक्षा वस्तुतः एक ऐसा मूल्य अथवा भावना होती है जिसे धारण करने के लिए विद्यार्थियों को लगन एवं अपने गुरु का आशीष प्राप्त करना होता है (टैगोर, कृष्णा से उद्धृत, 2016, पृष्ठ 42)। जब शिक्षा प्रणाली में 'गुरु' से संबंधित इन विचारों को शामिल करेंगे तो वह एक पूर्णरूपेण अलग अर्थ धारण कर लेगी, जिसमें शिक्षा एक साधन का रूप ले लेगी जो कि सत्य के दर्शन की लालसा पर केंद्रित होगी।

खंड तीन— बदलाव की प्रत्याशा— आदर्शवाद एवं यथार्थवाद की खत्म न होने वाली बहस

ऊपर खंड एक में हमने भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष मौजूद चुनौतियों, उसके अनुपयुक्त विचारधारात्मक आधारों तथा उसमें बदलाव की आवश्यकता के विषय में बात की है। खंड दो में मौजूदा चुनौतियों एवं परिवर्तन की आवश्यकता के संदर्भ में एकीकृत शिक्षा दर्शन को एक संभावना के तौर पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आगे बढ़ने से पहले

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि यदि ऊपर कही गई बातों से ऐसा लगता हो कि हमारा मत प्राचीन शिक्षा परंपरा या धर्म/पंथ केंद्रित व्यवस्था को उसके उसी रूप में पुनर्स्थापित करना है तो यह गलत है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनेक मुक्तिदायी विशेषताओं के होते हुए भी उनमें कुछ महत्वपूर्ण खामियाँ हैं। सर्वप्रथम तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली अभिजनवादी अथवा सभ्रांतवादी थी जिसमें सामान्यतः समाज के सिर्फ़ ऊपर के तबकों को ही शिक्षा ग्रहण करने की इजाज़त थी। इसी प्रकार नारीवादी दृष्टिकोण से यदि देखें तो शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की स्थिति भी दोगम दर्जे की ही थी तथा शिक्षा ग्रहण करने में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता था। तथापि परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली की कुछ खामियाँ थीं, लेकिन उसके बावजूद पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा को इन खामियों के कारण नकारा नहीं जा सकता है। खंड दो में भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता के विषय में पहले ही बताया जा चुका है। जब समाज में परिवर्तन का कोलाहल होता है, तब नवसृजित समाज को स्वरूप प्रदान करने हेतु उसकी परंपराओं में जाना आवश्यक होता है, लेकिन सवाल यह है कि वे कौन-सी बातें हैं जो हमें एकात्म मनाववाद में निहित उद्धार विषयक संभावनाओं को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लागू करने से रोकती हैं?

सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के पश्चात् हम कह सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा दर्शन को कार्यान्वित करने के विषय में जो आपत्तियाँ उठाई गई हैं, वे मुख्यतः दो प्रकार की हैं। आपत्तियों का पहला वर्ग प्रत्यक्षवाद से प्रेरणा ग्रहण करते हुए यह तर्क

प्रस्तुत करता है कि आधुनिक सोच एवं भावुकताओं के प्रकाश में एकीकृत शिक्षा दर्शन को अपनाना ठीक नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, आज की बाज़ार आधारित पूंजीवादी संस्कृति में सभी को लाभ कमाने एवं व्यवस्था में बने रहने के लिए इस व्यवस्था के नियमों को सीखना एवं अपनाना होता है और अगर हम एकीकृत शिक्षा दर्शन से प्रेरित होकर मूल्य एवं नैतिकता आदि को आधुनिक शिक्षा में प्रश्रय प्रदान करेंगे तो वह आगे चलकर भारत की पूंजीवाद की दिशा में हो रही प्रगति को बाधित करेगी।

वस्तुतः पूंजीवादी समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु शिक्षा की एक उपयोगितावादी एवं यांत्रिक धारणा को विकसित किया गया है। तत्पश्चात् 'मेरिट' का एक आवरण चढ़ाकर उसे न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा, उपाधि तथा नौकरी प्राप्त करने का एक जरिया मात्र रह गई है तथा शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का मापदंड लोगों को मिलने वाली मासिक वेतन की राशि बन गई। जैसा कि पार्सस (1968) ने कहा है कि आधुनिक शिक्षा एक व्यक्ति को एक बड़े सामाजिक व्यवस्था का अंग मात्र बनाने के लिए तैयार करती है। यह व्यक्ति के अंदर एक ऐसी मानसिकता को बढ़ाती है जो उसे व्यवस्था के अंदर प्रभावात्मक भूमिका अदा करने के लिए प्रेरित करती है। हालाँकि, शिक्षा के यांत्रिक एवं उपयोगितावादी पक्ष को पूर्णतः खारिज करना आज के समय में उचित नहीं होगा, परंतु शिक्षा को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी संदर्भ में देखना उसकी संपूर्णता को नकारने जैसा होगा। यथार्थवादियों का यह मानना है कि आज के समय

में वैकल्पिक अथवा एकात्मक शिक्षा की बात करना नुकसान को आमंत्रित करने जैसा है, क्योंकि आज के समय में दर्शन की नहीं दक्षता की आवश्यकता अधिक है, परंतु गहन विश्लेषण के उपरांत हम यह कह सकते हैं कि यह अल्पकालिक नुकसान वास्तव में एक दीर्घकालीन लाभ की शुरुआत होगी। एक एकात्मक एवं समावेशी शिक्षा प्रणाली हमें हमारे अपनों से, हमारे आस-पास से जोड़ेगी, हमें संतुष्टि प्रदान करेगी तथा हमारे जीवन को सार्थक बनाएगी।

आपत्तियों का दूसरा वर्ग ऐसे विद्वानों एवं नीति-निर्माताओं का है जो सैद्धांतिक तौर पर तो इस बात से सहमत हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु एकीकृत शिक्षा दर्शन ही एक उपाय है, परंतु उनके अनुसार वर्तमान समय में एकीकृत शिक्षा दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली की शुरुआत करना संभव नहीं है। एकीकृत शिक्षा दर्शन किसी वैकल्पिक शिक्षा लागू करने वाले विद्यालय में तो अपनाया जा सकता है, परंतु एक विशाल शिक्षा व्यवस्था में इसे लागू करने की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन अभी उपलब्ध नहीं हैं। इनके अनुसार शिक्षा की प्रकृति में बदलाव से ज़्यादा ज़रूरी अभी उसके प्रसार को बढ़ाना है। एकीकृत शिक्षा दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली लागू करने से पहले हमें सुदूर क्षेत्रों में इसके प्रसार तथा बीच में ही शिक्षा छोड़ देने की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता अधिक है, परंतु इस वर्ग की जो भी आपत्तियाँ हैं वह वस्तुतः निराधार हैं। सर्वप्रथम तो यह मानना कि किसी सार्थक विचार को अपनाने एवं लागू करने में अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता है, वस्तुतः गलत है। संसाधनों से

अत्यधिक जिस बात की आवश्यकता है— वह है इच्छाशक्ति। उनकी दूसरी भ्रांति यह है कि गरीब लोग शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक संवेदना नहीं रखते हैं। कला, साहित्य, संगीत एवं शिक्षा केवल एक खास वर्ग के लोगों को ही अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तुतः इस प्रकार के तर्क हमें विरोधपूर्ण स्थिति की ओर ले जाते हैं, जहाँ एक तरफ़ यह माना जाता है कि गरीब इसलिए गरीब हैं, क्योंकि वह शिक्षा ग्रहण नहीं करता और दूसरी तरफ़ यह तर्क दिया जाता है कि एक गरीब के शिक्षा ग्रहण करने के प्रति उदासीन रहने का कारण गरीबी है (द न्यू लीम, 2016)। आज हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा कि क्या एकीकृत शिक्षा अत्यधिक संसाधन माँगती है अथवा समर्पित विद्यार्थी एवं शिक्षक, जो समाज एवं राष्ट्र को एक नई दिशा दिखाने के लिए उत्सुक हों।

निष्कर्ष

इतिहास ने हमेशा मनुष्य को विकल्प प्रदान किया है। एक तरफ़ हम समाज में प्रचलित मुख्य विचारों एवं परंपराओं को बिना कोई सवाल पूछे अपना सकते हैं तथा स्वयं को उन विचारों के अनुरूप ढालने का प्रयास कर सकते हैं तो दूसरी तरफ़ हम एक ऐसे विकल्प को भी चुन सकते हैं जो कि कष्टदायी तो है, पर समाज में प्रचलित परंपराओं को चुनौती देकर उसे परिवर्तन एवं विकास की ओर अग्रसर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में एकीकृत शिक्षा दर्शन को अपनाना एक साहसी एवं अर्थपूर्ण विकल्प का चयन करने जैसा होगा। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भूल चुके उन आदर्शों को पुनः

स्थापित करें जो वस्तुतः हमारे अपने ही हैं। वस्तुतः स्वधर्म के विषय में जागरूकता प्रदान कर पाएंगी। हमारी संस्कृति एवं विरासत में जो 'सात्विक' है, उसे जब हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे अपने समाज एवं प्राप्त करने के लिए हमें एकीकृत शिक्षा दर्शन को उसकी परंपराओं पर आधारित होगी तभी हम एक अपनाना होगा। एक ऐसी एकात्म एवं संपूर्ण शिक्षा, ज्ञान आधारित संस्कृति का निर्माण कर पाएँगे तथा जहाँ मनसा, वाचा एवं कर्मणा का संयोग हो, वही हमें मानव जाति के विकास में योगदान कर पाएँगे।

संदर्भ

- आचार्य, पोरामेश. 1997. एजुकेशनल आइडियाज़ ऑफ़ टैगोर एंड गांधी— एक कम्पैरेटिव स्टडी. *इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. वॉल्यूम (12). पृष्ठ 601–605. महाराष्ट्र.
- उपाध्याय, दीनदयाल. 1968 (1992). *इंटीग्रल ह्यूमैनिज़्म*. जाग्रति प्रकाशन, नोएडा.
- कृष्णा, आर. एस. 2016. धर्मा ट्रांसिडेन्स एंड पेडागॉजिक चैलेंजिस. *द न्यू लीम*. 2(13). पृष्ठ 38–42. दिल्ली.
- गांधी, एम. के. 1953. *टुवार्ड्स न्यू एजुकेशन*. नवजीवन पब्लिशिंग, अहमदाबाद.
- चावला, रितिका. 2016. इन्वोकिंग द गांधियन मॉडल ऑफ़ एजुकेशन. *द न्यू लीम*. 2(10). पृष्ठ 5–8. दिल्ली.
- पाउलो फ़ेरे. 1972. *पेडागॉजी ऑफ़ द ऑपरेशन*. पेंग्विन, लंदन.
- नेहरू, जवाहरलाल. 1984. *ऐन ऑटोबायोग्राफी*. पृष्ठ 510. जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फ़ंड, नयी दिल्ली.
- मेलको, जोएल. डी. 1982. द गुरु इन हिंदू ट्रेडीशन. *न्यूमैन*. 29(1). पृष्ठ 33–6. 13 जनवरी, 2014 को <http://www.jstor.org/stable/3269931> से लिया गया है.
- मुखर्जी, राधा और कुमुद. 1969. *एनशियंट इंडियन ट्रेडीशन (ब्रह्मनिकल एंड बुद्धिस्ट)*. मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली.
- श्री अरविंद आश्रम. 1956. *श्री अरविंद एंड मदर ऑन एजुकेशन*. श्री अरविंद आश्रम, पुद्दुचेरी.
- . 1978. *द मदर ऑन एजुकेशन. द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ द मदर*. खंड (12). श्री अरविंद आश्रम, पुद्दुचेरी.
- सुंदरम, वी. 2005. हिंदू रिवाइवलिज़्म एंड दीनदयाल उपाध्याय. *न्यूज़ टुडे*. 2 अगस्त, 2016 को <http://deendayalupadhyay.org/hl ndu.html> से लिया गया है.

समावेशी शिक्षा में अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प की उपयोगिता

शालिनी वर्मा*
एन.पी.एस. चन्देल**

अधिगम का सार्वभौमिक अभिकल्प (यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग—यू.डी.एल.) पाठ्यक्रम निर्मित करने की रूपरेखा है, जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान अधिगम अवसर प्रदान करने को बढ़ावा देती है। यू.डी.एल. उपागम के अनुसार शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं का कारण पाठ्यक्रम की कमी है। अतः यदि कोई विद्यार्थी सीखने में विफल होता है तो इसे पाठ्यक्रम की कमी समझा जाए न कि विद्यार्थियों की। पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुकूल व लचीला बनाया जाए। इस लेख में समावेशी शिक्षा के प्रत्यय, समावेशी शिक्षा की वर्तमान चुनौतियों, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प का प्रत्यय, सिद्धांत, दिशानिर्देश, जाँच बिंदु व समावेशी शिक्षा में शैक्षिक उपादेयता का उल्लेख किया गया है। यू.डी.एल. के सिद्धांतों के आधार पर किन-किन प्रविधियों का प्रयोग कर कक्षा में समावेशित वातावरण का निर्माण किया जा सकता है, उनके कुछ उदाहरण प्रस्तुत लेख में दिए गए हैं। यू.डी.एल. एक ऐसा उपागम है जिसके पूर्णतः पालन से निश्चित ही समावेशी वातावरण का निर्माण संभव है। अतः शिक्षा प्रशासन एवं शिक्षकों को इसके क्रियान्वयन हेतु प्रयास करने की अत्यंत आवश्यकता है।

शिक्षा मानव जीवन का एक बहुमूल्य भाग है, जो उसे ज्ञान कौशल व मूल्य प्रदान करती है। शिक्षा मनुष्य में निहित शक्तियों, अभिवृत्तियों व कौशल को सुदृढ़ करते हुए नवीन ज्ञान एवं कौशल प्रदान कर जीवन में सफलता के लिए सही दिशा प्रदान करती है। वर्तमान समय में शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों को मात्र विषय-वस्तु के ज्ञान में पारंगत करना व नवीन तकनीकों का प्रयोग सिखाना ही नहीं, अपितु उन्हें सीखने में पारंगत बनाना भी है। अतः शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया

ऐसी होनी चाहिए जो अधिगमकर्ता को निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करे, उन्हें बेहतर प्रकार से सीखने की विधियाँ प्रस्तुत करे तथा नवीन विधियों का सृजन करना सिखाए, ताकि वे अपने जीवन में सदैव सीखने के लिए तैयार रहें व विकास की ओर अग्रसर रहें।

वर्तमान समय में समानता से अधिक समता पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया को भी निरंतर इस प्रकार संशोधित किया जा रहा है कि सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करते

*शोधार्थी, शिक्षा संकाय, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, (डीम्ड यूनिवर्सिटी), दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश 282005

**विभागाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, (डीम्ड यूनिवर्सिटी), दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश 282005

हुए ऐसे अवसर प्रदान किए जा सकें जिसमें सामान्य विद्यार्थियों के साथ-साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को भी शिक्षा के अनुकूलतम अवसर प्रदान किए जा सकें।

प्रारंभिक समय में विशिष्ट बालकों को शिक्षा के विशेष अवसर प्रदान किए जाते थे। उन्हें सामान्य विद्यार्थियों से पृथक कर विशेष विद्यालय में ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। सभी प्रकार की विशिष्टता के अनुसार अलग-अलग विशेष विद्यालय हुआ करते थे। इसके उपरांत इस विचारधारा में बदलाव आया व विशिष्ट बालकों को मुख्यधारा से जोड़ने का एक प्रयास किया गया व शिक्षण प्रक्रिया में समेकित शिक्षा (इंटीग्रेटेड एजुकेशन) का उपागम आया, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाता था। इस उपागम में विशेष विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही कुछ विशेष शिक्षण व्यवस्था, जैसे— विशेष शिक्षक, सहायक उपकरण आदि की व्यवस्था की जाती थी, जो विद्यार्थी उस वातावरण के अनुकूलित होते थे, उन्हीं विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाता था। इन विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ सामान्य विद्यार्थियों व शिक्षकों द्वारा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाता था व उनसे शिक्षकों की अपेक्षाएँ कम होती थीं, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती थी।

इसके पश्चात् विशिष्ट बालकों को विद्यालय में सहानुभूति या दया की जगह ऐसे वातावरण की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें उन्हें उनकी कमियों व योग्यताओं के अनुसार उचित

व अनुकूलित अवसर मिल सकें। इसी के उपरांत समावेशी शिक्षा (इंक्लूसिव एजुकेशन) का प्रत्यय आया।

समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को स्पेन के समालका में आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन— एक्सेस एंड क्वालिटी, 1994 में स्वीकृत किया गया तथा दाकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के द्वारा पुनर्स्थापित किया गया (यूनेस्को, 2000)। यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड रूलस ऑन इक्वलाइजेशन ऑफ़ अपॉर्च्यूनैटीज़ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी (1993) के द्वारा भी समावेशी शिक्षा के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, 'इन्क्लूजन' (समावेशन) किन्हीं समूह या संरचना में सम्मिलित होने या किए जाने की क्रिया या स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा, विभिन्न क्षमता वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्रदान करने का उपागम है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई. एक्ट, 2009) में 6-14 वर्ष के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया व मुख्य रूप से विशेष विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालयों में, सामान्य विद्यार्थियों के साथ समावेशी शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया था जो कि समावेशी शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर कहा जा सकता है। दिव्यांगजन अधिकार विधेयक, 2016 में पारित

क्रिया गया जिसने आर.पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट, 1995 का स्थान लिया। आर.पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट, 2016 में अक्षमताओं के प्रकार को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इस एक्ट में 6-18 वर्ष तक के दिव्यांगों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है व साथ ही सभी सरकारी वित्त पोषित शिक्षा संस्थानों व सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। आर.पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट, 2016 में दिव्यांग महिला अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं। इस अधिनियम में शिक्षा को समावेशी बनाने के साथ-साथ अन्य आधारभूत सुविधाओं में समावेशन व सर्व-सुलभता को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2018-19 में विद्यालय शिक्षा को प्री-नर्सरी से 12वीं तक पूर्णतः एक करने को कहा गया है। भारत सरकार ने मई, 2018 में समग्र शिक्षा को प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक शिक्षा का समावेशन किया गया है। समग्र शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य संधारणीय विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) के अनुसार प्री-नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

सामान्यतः समावेशी कक्षाओं में विभिन्नता वाले विद्यार्थी होते हैं जिसमें अधिगम अक्षमता से ग्रस्त विद्यार्थी, अंग्रेजी भाषा में सीखने वाले विद्यार्थी, प्रतिभाशाली व मेधावी विद्यार्थी, अवधान संबंधित समस्याओं से ग्रसित, भावुक अथवा आत्म-केंद्रित विद्यार्थी हो सकते हैं (स्पेंसर, 2011)। समावेशी

शिक्षा से तात्पर्य है कि विद्यालय में शिक्षण की व्यवस्था सभी विद्यार्थियों के अनुकूल हो व उनके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि पक्षों के आधार पर उनमें कोई भेदभाव न किया जाए व शिक्षण व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बनाया जाए कि वह विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार उनकी अधिगम आवश्यकताओं को पूरा कर सके। समावेशन का प्रत्यय केवल विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं है, यह एक अभिवृत्ति व उपागम है जो विविधता व अधिगमकर्ताओं की भिन्नता को बाँधे रखता है व सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

समावेशी शिक्षा की एक मुख्य चुनौती ऐसी बाल-केंद्रित शिक्षा का निर्माण करना है, जो सामान्य व विशिष्ट सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल हो (सबीना, गोपीनाथन और मुथैया, 2014)। वर्तमान समय में, शिक्षकों के लिए चिंतन का विषय यह है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों तक कैसे पहुँचें? जबकि अधिकांश शिक्षकों ने विविधता में शिक्षण का प्रशिक्षण भी लिया हुआ है, उसके पश्चात् भी कई शिक्षक यह सोचते हैं कि विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को एक समावेशी कक्षा में पूरा करना चुनौतीपूर्ण कार्य है (मेयर और रोज, 2000)। इतने प्रयासों के बाद भी शिक्षा सभी विद्यार्थियों तक सफलतापूर्वक नहीं पहुँच पा रही है जिसका कारण विद्यार्थियों की अक्षमता व अयोग्यता को ही समझा जाता है।

पूर्वी देशों से भिन्न जहाँ सर्वसुलभता का प्रत्यय व सार्वभौमिक अभिकल्प (यूनिवर्सल डिजाइन) उत्पन्न हुए हैं, भारतीय अक्षमता अभी भी गरीबी, ग्रामीण जीवन शैली व सामाजिक भेदभावों में जकड़ी हुई है (मूलिक्क, 2011)। खरे एवं खरे (2014) के अनुसार भारत में शिक्षा को ऐसा बनाने की आवश्यकता है जो एक संवेदनशील उपागम पर आधारित हो, जो अधिगमकर्ता की आयु, योग्यता, जेंडर, कक्षा, जाति, धर्म, गरीबी व ग्रामीण/शहरी पृष्ठभूमि आदि को महत्व न देते हुए सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा करे। अधिगम का सार्वभौमिक अभिकल्प एक ऐसा उपागम है जो शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के असफल होने का कारण विद्यार्थियों की दिव्यांगता व उनकी अक्षमता को नहीं मानता, अपितु पाठ्यक्रम व शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को दिव्यांग व अक्षम मानता है एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करता है तथा पाठ्यक्रम व शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सामान्य से लेकर विशिष्ट सभी विद्यार्थियों के लिए अनुकूलित व सुगम बनाने का प्रयास करता है।

अधिगम का सार्वभौमिक अभिकल्प

इक्कीसवीं शताब्दी में कक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो गया है व समावेशी कक्षाओं में विद्यार्थियों की विविधता निरंतर बढ़ रही है, अतः शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का लक्ष्य विद्यार्थियों की विविधता के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ व मूल्यांकन की विधियों आदि का निर्माण व चुनाव करना है जो समावेशी वातावरण का निर्माण कर सकें।

सार्वभौमिक अभिकल्प (यूनिवर्सल डिजाइन) सर्वप्रथम रॉन मेक के द्वारा परिभाषित किया गया, उसके पश्चात् यह भिन्न-भिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णित किया जाता रहा है (लुशर और मेक, 1989)। सार्वभौमिक अभिकल्प शब्द वास्तुकला व वास्तु निर्माण के क्षेत्र से आया है, जिसमें सभी उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया जाता है, जिससे कि उस वस्तु या इमारत का उपयोग सभी के लिए सुलभ हो। सार्वभौमिक अभिकल्प का प्रमुख उद्देश्य रुकावटों को समाप्त करना है, इसका उद्देश्य प्रारूप में उपस्थित भेदभावों को समाप्त करके समाज के सभी सदस्यों की संपूर्ण भागीदारी करना है (स्टेनफ्रेल्ड और मूलिक्क, 1997)।

यूनिवर्सल डिजाइन फ़ॉर लर्निंग शब्द के उद्गम का श्रेय डेविड रोज़, एनने मेयर एवं सेंटर फ़ॉर अप्लाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी (सी.ए.एस.टी.) में कार्यरत सहकर्मियों को जाता है। द हायर एजुकेशन ऑपच्युनिटी एक्ट (2008) के अनुसार, यूनिवर्सल डिजाइन फ़ॉर लर्निंग से अभिप्राय शैक्षिक प्रक्रियाओं को दिशा-निर्देशित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से वैध रूपरेखा से है, जो—

- सूचना प्रस्तुत करने के तरीकों में, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान एवं कौशल को प्रदर्शित करने या उत्तर देने के तरीकों में एवं विद्यार्थियों को संलग्न रखने के तरीकों में लोचशीलता के अवसर प्रदान करती है।
- अनुदेशन में बाधाओं को कम करती है, सभी विद्यार्थियों को उचित सुविधा, सहयोग एवं

चुनौतियों के अवसर में समता प्रदान करती है एवं विभिन्न क्षमता से युक्त विद्यार्थियों व सीमित भाषा दक्षता वाले विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों को उच्च उपलब्धि स्तर बनाए रखने का अवसर प्रदान करती है।

यूनिवर्सल डिज़ाइन फ़ॉर लर्निंग एक पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम है जिसके द्वारा सभी विद्यार्थियों को अधिगम अवसरों की समता प्रदान की जा सकती है। यू.डी.एल. शिक्षक को इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए नियम व दिशानिर्देश प्रदान करता है जिनकी सहायता से उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियाँ, शिक्षण-अधिगम सामग्री, शिक्षण-तकनीकों व मूल्यांकन विधियों का निर्माण व व्यवस्था प्रारंभ से ही की जाती है। यू.डी.एल. तंत्रिका विज्ञान (न्यूरोसाइंस) के सिद्धांतों व मनुष्य के सीखने के तरीकों पर आधारित है।

अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प के सिद्धांत व दिशानिर्देश

सेंटर फ़ॉर अप्लाइड स्पेशल टेक्नोलोजी (2011) द्वारा यू.डी.एल. के नौ दिशानिर्देशों के अंतर्गत 36 जाँच बिंदु बताए गए हैं। इनका उपयोग यू.डी.एल.के सिद्धांतों व दिशानिर्देशों पर आधारित या निर्मित किसी पाठ्यक्रम, शिक्षण-अधिगम सामग्री की परख की जा सकती है कि उक्त सामग्री या पाठ्यक्रम निर्माण में यू.डी.एल. के सिद्धांतों का पालन किया गया है या नहीं। यू.डी.एल.के तीन सिद्धांतों, नौ दिशानिर्देशों, उनसे संबंधित 36 सिद्धांतों व तीन प्रमुख उद्देश्यों को तालिका 1 में संग्रहीत किया गया है।

तालिका 1— यू.डी.एल. के सिद्धांत, दिशानिर्देश व जाँच बिंदु

सिद्धांत 1 प्रस्तुतीकरण के विभिन्न माध्यम प्रदान करना	सिद्धांत 2 अभिव्यक्ति व अनुयोजन के विभिन्न माध्यम प्रदान करना	सिद्धांत 3 संलग्नता के विभिन्न माध्यम प्रदान करना
दशानिर्देश 1— प्रत्यक्षीकरण के लिए विकल्प प्रदान करना	दशानिर्देश 4— शारीरिक अनुयोजन के लिए विकल्प प्रदान करना	दशानिर्देश 7— रुचि शामिल करने के लिए विकल्प प्रदान करना
<ul style="list-style-type: none"> • जानकारी को प्रदर्शित करने के प्रारूप को सीखने वाले की आवश्यकतानुसार रूपांतरित करने के विकल्प प्रदान करना। • श्रवण योग्य जानकारी के लिए विकल्प प्रदान करना। • दृश्य जानकारी के लिए विकल्प प्रदान करना। 	<ul style="list-style-type: none"> • अनुक्रिया करने व पथ-प्रदर्शन करने के तरीकों में बदलाव लाना। • उपकरणों व सहायक तकनीकों तक पहुँच को बढ़ाना। 	<ul style="list-style-type: none"> • व्यक्तिगत पसंद व स्वायत्तता को बढ़ाना। • प्रासंगिकता, मूल्य व प्रामाणिकता को बढ़ाना। • खतरों व व्यवधानों को कम करना।

<p>दिशानिर्देश 2— भाषा, गणितीय व्यंजक व प्रतीकों के विभिन्न विकल्प प्रदान करना</p>	<p>दिशानिर्देश 5— अभिव्यक्ति व संप्रेषण के लिए विकल्प प्रदान करना</p>	<p>दिशानिर्देश 8— प्रयासों के स्थायित्व एवं सततता के लिए विकल्प प्रदान करना</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रतिमान, विशिष्ट गुण, मुख्य विचार व संबंधों को प्रमुखता देना। • सूचना प्रसंस्करण, प्रत्यक्षकरण व प्रहस्तन को निर्देशित करना। • अधिगम स्थानांतरण व सामान्यीकरण को बढ़ाना। 	<ul style="list-style-type: none"> • योजना व रणनीति विकास का समर्थन करना। • सूचना व संसाधन प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना। • प्रगति की जाँच की क्षमता बढ़ाना। 	<ul style="list-style-type: none"> • स्व-नियंत्रण कौशल व कूटनीतियों को बढ़ावा देना। • स्व-मूल्यांकन व स्व-चिंतन विकसित करना।
<ul style="list-style-type: none"> • शब्दावली व प्रतीकों को स्पष्ट करना। • वाक्य विन्यास व संरचना को स्पष्ट करना। • शब्दों, गणितीय व्यंजकों व प्रतीकों के कूटानुवाद का विकल्प प्रदान करना। • भाषा के परे समझ को प्रोत्साहित करना। • विभिन्न माध्यमों के द्वारा उदाहरण देकर स्पष्ट करना। 	<ul style="list-style-type: none"> • संप्रेषण के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करना। • निर्माण व रचना के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करना। • उच्च स्तर की सहायता के साथ अभ्यास व प्रदर्शन में प्रवाह बनाए रखना। 	<ul style="list-style-type: none"> • लक्ष्यों व उद्देश्यों को सुदृढ़ता के साथ प्रस्तुत करना। • चुनौतियों के उन्मूलन के लिए जरूरतों व संसाधनों को बदलना। • सहयोगी व सामुदायिक वातावरण को प्रोत्साहन देना। • उच्च स्तरीय व दक्षतापूर्ण प्रतिपुष्टि को बढ़ाना। 	<p>संसाधन संपन्न व ज्ञानपूर्ण अधिगमकर्ता</p>	<p>रणनीतिक व लक्ष्य निर्देशित अधिगमकर्ता</p>	<p>उद्देश्यपूर्ण व प्रेरित अधिगमकर्ता</p>

तालिका 1 में दिए गए दिशानिर्देश शिक्षक व शिक्षा प्रशासन को समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के मध्य आने वाली कठिनाइयों को पाठ्यक्रम निर्माण के समय ही सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं। जिनके द्वारा सभी विद्यार्थियों के लिए अधिक न्यायसंगत व समावेशी वातावरण का निर्माण किया जा सकता है एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ से ही सभी प्रकार के विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार बनाकर सभी को अनुकूलित अधिगम-अनुभव प्रदान किए जा सकते हैं। तालिका 1 में दिए गए यू.डी.एल. के सिद्धांत व दिशानिर्देश का विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं—

सिद्धांत 1— प्रस्तुतीकरण के विभिन्न माध्यम प्रदान करना

विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार उनके सीखने के तरीके भी भिन्न-भिन्न होते हैं। समावेशी

<p>दिशानिर्देश 6— अवबोध के विकल्प प्रदान करना</p>	<p>दिशानिर्देश 6— कार्यकारी प्रक्रम के लिए विकल्प प्रदान करना</p>	<p>दिशानिर्देश 9— स्व-नियमन के लिए विकल्प प्रदान करना</p>
<ul style="list-style-type: none"> • पूर्व ज्ञान को प्रदान करना व जाग्रत करना। 	<ul style="list-style-type: none"> • उचित लक्ष्य निर्धारण के लिए निर्देशित करना। 	<ul style="list-style-type: none"> • प्रेरणा को बढ़ाने वाली अपेक्षाओं व विश्वासों को प्रोत्साहित करना।

कक्षा में कुछ विद्यार्थी किसी विशिष्टता युक्त व कुछ अधिगम अक्षमता, जैसे— डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफ़िया, डिस्केल्कुलिया आदि से ग्रसित हो सकते हैं व कुछ विद्यार्थियों में भाषायी व सांस्कृतिक विविधता हो सकती है। इन विविधताओं के कारण विद्यार्थी अपने सहपाठी विद्यार्थियों के मुकाबले अलग तरीके से सीखते हैं। कुछ विद्यार्थी दूसरों के मुकाबले जल्दी सीखते हैं तो कुछ धीमी गति से सीख पाते हैं। कुछ विद्यार्थियों को दृश्य सामग्री की सहायता से भली प्रकार से अधिगम में सहायता मिलती है, जबकि कुछ विद्यार्थी लिखित सामग्री की सहायता से ज्यादा बेहतर सीख पाते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यू.डी.एल. का पहला सिद्धांत प्रस्तुतीकरण के विभिन्न माध्यम प्रदान करना है। इस सिद्धांत का लक्ष्य विद्यार्थियों को साधन-संपन्न व ज्ञानपूर्ण अधिगमकर्ता बनाना है। यह सिद्धांत शिक्षक को यह बताता है कि उसे अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षण के माध्यमों को इस्तेमाल करना चाहिए। शिक्षण सरल व नवीन होना चाहिए व विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थियों का अधिगम व अधिगम स्थानान्तरण हो सके।

उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक कक्षा में किसी प्रत्यय को व्याख्यान विधि द्वारा समझा रहे हैं तो उसके साथ में कुछ दृश्य-श्रव्य सामग्री, जैसे— चलचित्र, चार्ट अथवा कुछ चित्रों का भी प्रयोग करना चाहिए। विषय-वस्तु में लिखित सामग्री के साथ में भी चित्र आदि उपलब्ध कराने चाहिए। एक ही प्रत्यय के लिए भिन्न-भिन्न उदाहरण देने

चाहिए। कठिन शब्दों का अर्थ साथ-साथ बताते हुए शिक्षण करना चाहिए। यदि शिक्षक व कक्षा साधन संपन्न होंगे तो स्वतः ही समावेशी कक्षा के शिक्षण में आने वाली बाधाएँ दूर हो जाएँगी व इस सिद्धांत का उद्देश्य विद्यार्थियों को साधन-संपन्न व ज्ञानपूर्ण अधिगमकर्ता बनाना भी पूर्ण हो जाएगा।

इस सिद्धांत के अंतर्गत तीन दिशानिर्देश बताए गए हैं, जिन्हें उपयोग करके इस सिद्धांत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं—

दिशानिर्देश 1—प्रत्यक्षीकरण के लिए विकल्प प्रदान करना

इस दिशानिर्देश के अनुसार जानकारी को भिन्न-भिन्न माध्यमों में सीखने वाले की सुविधानुसार प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे— श्रव्य, दृश्य व स्पर्श करने योग्य रूप में। भिन्न-भिन्न माध्यमों में जानकारी को प्रस्तुत करने के साथ-साथ अधिगमकर्ता के पास उस माध्यम को अपनी सुविधानुसार समायोजित करने की क्षमता भी होनी चाहिए, जैसे— टेक्स्ट ऐसा हो जिसका फॉन्ट आकार परिवर्तित किया जा सके व श्रव्य सामग्री में ध्वनि की तीव्रता को कम अथवा अधिक किया जा सके। इस प्रकार के विकल्पों की सहायता से प्रस्तुत की गई जानकारी से ज्ञानेन्द्रिय संबंधित दोष वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ अन्य सभी विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे व बाधाहित अधिगम कर पाएँगे।

दिशानिर्देश 2— भाषा, गणितीय व्यंजक व प्रतीकों के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करना

इस दिशानिर्देश के अनुसार पाठ पढ़ाते समय शब्दावली व प्रतीकों को स्पष्ट करना चाहिए। वाक्य विन्यास व

संरचना को स्पष्ट करके समझाना चाहिए। शब्दों तथा गणितीय व्यंजकों व प्रतीकों के कूटानुवाद का विकल्प भी प्रदान करना चाहिए। भाषा के अतिरिक्त समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए जिसके लिए लिखित सामग्री के साथ-साथ कुछ दृश्य सामग्री भी होनी चाहिए व विद्यार्थियों को विभिन्न माध्यमों द्वारा उदाहरण देकर प्रत्यय को स्पष्ट करना चाहिए।

दिशानिर्देश 3— अवबोध के लिए विकल्प प्रदान करना

इस दिशानिर्देश के अनुसार विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान प्रदान करने से पहले, संबंधित पूर्व ज्ञान प्रदान करना चाहिए, जिससे की वह पूर्व ज्ञान पुनः समझ पाएँ तथा पूर्व ज्ञान के साथ में नवीन ज्ञान को जोड़ पाएँ। किसी भी प्रत्यय में आने वाले प्रतिमान, विशेष गुण, मुख्य विचार व संबंधों को प्रमुखता देनी चाहिए ताकि विद्यार्थी स्वतः ही मुख्य बिंदु को समझने का प्रयास कर सकें, सूचना प्रसंस्करण व कार्य-साधन को निर्देशित करना चाहिए तथा अधिगम स्थानांतरण व सामान्यीकरण को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए।

सिद्धांत 2— अभिव्यक्ति व अनुयोजन के विभिन्न माध्यम प्रदान करना

विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उनके सीखने के तरीके के साथ-साथ, सीखे हुए तथ्यों को बेहतर रूप से अभिव्यक्त करने के तरीके भी भिन्न-भिन्न होते हैं। यू.डी.एल. के इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के भिन्न-भिन्न अवसर प्रदान करने चाहिए, जो उनकी रुचि व योग्यता अथवा

अक्षमता के अनुसार होने चाहिए। कुछ विद्यार्थी लिखित रूप में तो कुछ विद्यार्थी मौखिक रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में बेहतर होते हैं। अतः कक्षा में शिक्षक को मूल्यांकन के उन विभिन्न तरीकों का चुनाव करना चाहिए जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनकी आवश्यकता एवं रुचि अनुसार कर सके। कक्षा में शिक्षक किसी पाठ का मूल्यांकन करने के लिए विद्यार्थियों को अलग-अलग प्रकार का गृहकार्य प्रदान कर सकता है, जैसे— लिखित असाइनमेंट्स, पोस्टर अथवा कोई चित्र बनाना, लेखाचित्र (माइंड मैप), नाटक, निबंध लेखन अथवा कहानी लेखन आदि के द्वारा भी मूल्यांकन किया जा सकता है। निम्न स्तर की कक्षा के विद्यार्थियों को उनसे उच्च स्तर की कक्षा के विद्यार्थियों से सहायता प्राप्त करने के अवसर देने चाहिए। यदि विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति व अनुयोजन के भिन्न अवसर प्रदान किए जाएँगे व उनके लक्ष्य के लिए उन्हें स्वयं ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा तो इस सिद्धांत का उद्देश्य विद्यार्थियों को रणनीतिक व लक्ष्य निर्देशित अधिगमकर्ता बनाना भी पूर्ण हो जाएगा।

इस सिद्धांत के अंतर्गत तीन दिशानिर्देश बताए गए हैं, जिन्हें उपयोग करके इस सिद्धांत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, जो अग्रलिखित हैं—

दिशानिर्देश 4— शारीरिक अनुयोजन के लिए विकल्प प्रदान करना

इस दिशानिर्देश के अनुसार विद्यार्थियों की अनुक्रिया करने व पथ-प्रदर्शन करने के तरीकों में बदलाव लाना

चाहिए एवं उपकरणों व सहायक तकनीकों तक पहुँच को बढ़ाना चाहिए।

दिशानिर्देश 5— अभिव्यक्ति व संप्रेषण के लिए विकल्प प्रदान करना

इस दिशानिर्देश के अनुसार विद्यार्थियों को संप्रेषण के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करने, निर्माण व रचना के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करने व उच्च स्तर की सहायता के साथ अभ्यास व प्रदर्शन में प्रवाह बनाए रखने के लिए विकल्प प्रदान करना चाहिए।

दिशानिर्देश 6— कार्यकारी प्रक्रम के लिए विकल्प प्रदान करना

इस दिशानिर्देश के अनुसार विद्यार्थियों को उचित लक्ष्य निर्धारण के लिए निर्देशित करना चाहिए, योजना व रणनीति विकास का समर्थन करना चाहिए, सूचना व संसाधन प्रबंधन की सुविधा प्रदान करनी चाहिए व प्रगति की जाँच के अवसरों के विकल्प प्रदान करने चाहिए।

सिद्धांत 3— संलग्नता के विभिन्न माध्यम प्रदान करना

सभी विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार भिन्न-भिन्न गतिविधि में संलग्न रहते हैं व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। कुछ विद्यार्थी समूहों में कार्य करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ विद्यार्थी समूह में असहज हो जाते हैं और अकेले वह ज़्यादा रचनात्मक रूप से कार्य कर पाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को कक्षा में भिन्न-भिन्न प्रकार की गतिविधियों में से अपने अनुसार गतिविधि को चुनने की स्वतंत्रता

प्रदान करनी चाहिए। पाठ को भली प्रकार से समझने के लिए विद्यार्थियों को अभ्यास व ड़िल करवाने के लिए विविध संसाधनों तथा तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें समूह अथवा व्यक्तिगत रूप से गतिविधियों में शामिल रहने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। इस सिद्धांत का उद्देश्य विद्यार्थियों को उद्देश्यपूर्ण व प्रेरित अधिगमकर्ता बनाना है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार अध्ययन का अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें किसी कार्य में संलग्न रहने की समय सीमा की बाध्यता नहीं होनी चाहिए, उनकी योग्यता के अनुसार समय का चुनाव करने देना चाहिए। वह किस प्रकार की अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहते हैं, यह भी उन पर ही निर्भर होना चाहिए। विद्यार्थियों को समय-समय पर उनके लक्ष्यों के प्रति सजग व निर्देशित करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों को स्व-मूल्यांकन, स्व-प्रेरणा, स्व-चिंतन व स्व-नियंत्रण के लिए प्रेरित करना चाहिए।

इस सिद्धांत के अंतर्गत तीन दिशानिर्देश बताए गए हैं, जिन्हें उपयोग करके इस सिद्धांत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है जो निम्न प्रकार हैं—

दिशानिर्देश 7—रुचि शामिल करने के लिए विकल्प प्रदान करना

इस दिशानिर्देश के अनुसार विद्यार्थियों को व्यक्तिगत पसंद व स्वायत्तता के अनुकूल शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया होनी चाहिए। विद्यार्थियों में प्रासंगिकता, मूल्य व प्रामाणिकता को बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए व शिक्षण-अधिगम के समय आने वाले जोखिमों व व्यवधानों को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

दिशानिर्देश 8 — प्रयासों के स्थायित्व एवं सततता के लिए विकल्प प्रदान करना

इस दिशानिर्देश के अनुसार विद्यार्थियों को प्रयासों के स्थायित्व एवं सततता के लिए विकल्प प्रदान करना चाहिए। उनके सम्मुख शिक्षण के लक्ष्यों व उद्देश्यों को सुदृढ़ता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। चुनौतियों के उन्मूलन के लिए ज़रूरतों व संसाधनों को बदलना चाहिए जिससे कि वह अधिक कठिन चुनौतियों का सामना करने के योग्य बन पाएँ। सहयोगी व सामुदायिक वातावरण को प्रोत्साहन देना चाहिए व उच्च स्तरीय तथा दक्षतापूर्ण प्रतिपुष्टि को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि विद्यार्थी व्यक्तिगत विकास कर सकें।

दिशानिर्देश 9 — स्व-नियमन के लिए विकल्प प्रदान करना
इस दिशानिर्देश के अनुसार विद्यार्थियों को स्व-नियमन के लिए विकल्प प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों की प्रेरणा को बढ़ाने वाली अपेक्षाओं व विश्वासों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें स्व-नियंत्रण कौशल व स्व-नियंत्रण के तरीकों को सीखने व प्रयोग करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों में स्व-मूल्यांकन व स्व-चिंतन विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।

अधिगम का सार्वभौमिक अभिकल्प की शैक्षिक उपादेयता

स्पेंसर (2011) के शोध परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि यू.डी.एल. के सिद्धांत में शिक्षक न केवल पाठ को विशेष विद्यार्थियों के लिए अभिगम्य बनाता है, बल्कि अन्य सभी विद्यार्थियों के लिए

अधिक रोचक भी बना देता है। अतः यू.डी.एल. उपागम को समावेशी निर्देशन के लिए कक्षा में प्रयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा सामान्य विद्यार्थी विविध प्रकार की विधियों द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकेंगे साथ ही विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को भी उनके अनुकूल अधिगम के अवसर मिल पाएँगे।

अधिगम का सार्वभौमिक अभिकल्प शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को लचीला बनाता है। यह शिक्षक को निर्देशन की विभिन्न विधियाँ प्रदान करता है। इन विधियों को शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि व आवश्यकतानुसार प्रयोग कर सकते हैं। यू.डी.एल. शिक्षक व शिक्षण प्रबंधकों को पारंपरिक (पढ़ना, व्याख्यान, लेखन कार्य) विधि से अधिक सोचने को विवश कर देता है तथा उन्हें ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है जिसमें तकनीकों व लचीली विधियों का प्रयोग करके अनुदेशन प्रदान किया जाए जो सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अधिक रोचक व आकर्षक हो।

यदि विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो उनकी व्यवहार संबंधी समस्याओं को कम किया जा सकता है (मोररिससे, 2009)। अतः यू.डी.एल. के द्वारा सभी विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विद्यार्थियों के अनुचित व्यवहार व अनुचित क्रियाकलापों को कम किया जा सकता है, साथ ही उनकी ऊर्जा को सही दिशा देते हुए उन्हें प्रस्तुतीकरण, अभिव्यक्ति, अनुयोजन व संलग्नता के भिन्न माध्यम प्रदान कर, लक्ष्य केंद्रित व उपयोगी कार्य में संलग्न रखा जा सकता है।

विद्यार्थियों के सम्मुख भिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान कर उनकी आत्म-चिंतन व निर्णय लेने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। इससे वह विद्यार्थी अधिक लाभान्वित होंगे जिनका आत्मविश्वास किसी प्रकार से कम है और वह निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। मूल्यांकन में विकल्प प्रदान करने से विद्यार्थी अपने अंदर निहित योग्यतानुसार विकल्प का चुनाव करते हैं व बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनके अंदर स्व-योग्यता के लिए आत्मविश्वास जाग्रत होता है तथा वह मूल्यांकन में स्वयं को सहज महसूस करते हैं (थाउसेंड, विला और नेविन, 2007)। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर होकर सीखने के अवसर प्रदान कर ऐसे अधिगमकर्ताओं का निर्माण किया जा सकता है जो स्वतंत्र व आत्मविश्वास से परिपूर्ण अधिगमकर्ता हों।

मिओ (2008) ने अपने शोध से निष्कर्ष प्राप्त किया कि ऐसे शिक्षक जो यू.डी.एल. द्वारा शिक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे, अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के अपर्याप्त अधिगम का दोषारोपण विद्यार्थियों पर नहीं करते थे, बल्कि वह निकृष्ट अनुदेशन में से कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। अतः यू.डी.एल. शिक्षक को अधिक संसाधन संपन्न बनाता है और शिक्षक के शिक्षण कौशल को निखारता है।

निष्कर्ष

अधिगम का सार्वभौमिक अभिकल्प उपागम सभी प्रकार के विद्यार्थियों (अक्षम व सामान्य) को शिक्षा प्रदान करने का एक उपागम है जो सभी विद्यार्थियों की पूर्ण सहभागिता व उनके सर्वांगीण विकास में सहयोग देता है। यू.डी.एल. का लक्ष्य ऐसे अधिगमकर्ता बनाना है जो संसाधन संपन्न, ज्ञानपूर्ण, रणनीतिक, लक्ष्य निर्देशित, उद्देश्यपूर्ण व प्रेरित हों। यू.डी.एल. के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी अधिगम पूर्ण करने के पश्चात् किताबी ज्ञान के साथ-साथ उनकी योग्यतानुसार भिन्न कौशल से परिपूर्ण होगा। अतः यदि यू.डी.एल. को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा तो निश्चित ही सभी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है व उनके अत्यधिक उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की जा सकती है।

वर्तमान समय में यू.डी.एल. जैसे उपागम का हमारी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का भाग होना अति आवश्यक है। इसके लिए शिक्षक शिक्षा संस्थानों, विद्यालयों आदि सभी को प्रयास करने होंगे, इसके उपरांत ही शिक्षकों का यू.डी.एल. के प्रति स्वीकारात्मक नजरिया बन पाएगा और समावेशी शिक्षा में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जा सकेगा। समावेशी शिक्षा को भली प्रकार से समावेशनयुक्त बनाने के लिए ये प्रयास अति आवश्यक हैं।

संदर्भ

- खरे, आर., और ए. खरे. 2014. यूनिवर्सल डिजाइन एजुकेशन इन इंडिया; डिजाइन चैलेंज एज डिजाइन पेडागॉजी. *असिस्टिव टेक्नोलॉजी रिसर्च सिरीज-35*. पृष्ठ 337-346. DOI: 10.3233/978-1-61499-403-9-337 नीदरलैंड.
- थाउसेंड, जे. एस., आर. ए. विला, और ए. आई. नेविन. 2007. *डिफरेंशियेटिंग इंस्ट्रक्शन— कोलेबोरेटिव प्लानिंग एंड टीचिंग फॉर यूनिवर्सली डिजाइंड लर्निंग*. कोरविन प्रेस. यू.एस.ए.

- मिओ, जी. 2008. करिकुलम प्लानिंग फ़ॉर ऑल लर्नर्स— अप्लाइंग यूनिवर्सल डिजाइन फ़ॉर लर्निंग टू ए हाईस्कूल रीडिंग कॉंप्रीहेन्शन प्रोग्राम. *प्रेवेंटिंग स्कूल*. 52(2), पृष्ठ 21–30. लंदन.
- मूलिकक, ए. 2011. यूनिवर्सल डिजाइन इन इंडिया. अबिर मूलिकक (संपादक). *डिजाइन फ़ॉर ऑल न्यूजलेटर*. 6(11). डिजाइन फ़ॉर आल इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया. दिल्ली.
- मोरारिससे, के. 2009. द इफ़ेक्ट्स ऑफ़ यूनिवर्सल डिजाइन फ़ॉर लर्निंग एज ए. सेकंडरी सपोर्ट ऑन स्टूडेंट बिहेवियर्स एंड एकेडमिक अचीवमेंट इन एन अर्बन हाई स्कूल इम्प्लीमेंटिंग लेवल पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट. *डिज़रेशन एबस्ट्रैक्ट्स इंटरनेशनल — सेक्शन ए. ह्यूमेनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़. वॉल्यूम 6910A, पृष्ठ 3902.*
- मेयर, ए. और रोज़ डी. एच. 2000. यूनिवर्सल डिजाइन फ़ॉर इंडीविजुअल डिफ़रेंसेस. *एजुकेशनल लीडरशिप*. 58(3), पृष्ठ 39–43. अलेक्जेंड्रिया, वी.ए.
- . 2002. *टीचिंग एवरी स्टूडेंट इन द डिजिटल ऐज— यूनिवर्सल डिजाइन फ़ॉर लर्निंग*. एसोसिएशन फ़ॉर सुपरविजन एंड करिकुलम डेवलपमेंट. अलेक्जेंड्रिया, वी.ए.
- यूनेस्को. 2000. *दाकार फ़्रेमवर्क फ़ॉर एक्शन*. http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_eng.html से लिया गया है.
- लुशर, आर. और आर. एल. मेक. 1989. डिजाइन फ़ॉर फ़िज़िकल एंड मेंटल डिसएबिलिटीज़. *द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ आर्किटेक्चर*. जॉन विली एंड संस, न्यूयॉर्क.
- सबीना, पी.एस., गोपीनाथन, पी., और एन. मुथैया. 2014. यूनिवर्सल डिजाइन फ़ॉर लर्निंग इन इंकलूसिव सेटिंग्स. *इंडियन जर्नल ऑफ़ अप्लाइड रिसर्च*. 4(12), पृष्ठ 189–191. अहमदाबाद, गुजरात.
- सेंटर फ़ॉर अप्लाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी (सी.ए.एस.टी.). 2011. *यूनिवर्सल डिजाइन फ़ॉर लर्निंग गाइडलाइंस वर्जन 2.0*. वेकफ़ील्ड, एम. ए. ओथर.
- स्टेनफ़ेल्ड, ई., और ए. मूलिकक. 1997. यूनिवर्सल डिजाइन— वॉट इट इज एंड इज़इण्ट. *इनोवेशन— जर्नल ऑफ़ आई.डी.एस.ए. स्प्रींग*. 16(1), पृष्ठ 14–18. दिल्ली.
- स्पेंसर, एस. ए. 2011. यूनिवर्सल डिजाइन फ़ॉर लर्निंग— असिस्टेंस फ़ॉर टीचर्स इन टुडेज़ इंकलूसिव क्लासरूमस. *इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ़ टीचिंग एंड लर्निंग*. 1(1), पृष्ठ 10–22. बैटन रूज, लुइसियाना.

वैकल्पिक विद्यालय में शिक्षा एक अनुभव

ऋषभ कुमार मिश्र*
समरजीत यादव**

विद्यालय और महाविद्यालय ज्ञान के सरोकारों से जुड़े संस्थानिक ढाँचे हैं। ज्ञान क्या है? इसे कैसे प्रदान किया जाए? कैसे प्रमाणित किया जाए? कैसे प्रशिक्षित किया जाए और कैसे परिष्कृत किया जाए? जैसे सवालों पर इन संस्थानिक निकायों ने अपना एकाधिकार बना लिया है। साक्षरता के कौशल के माध्यम से इस एकाधिकार को वे प्रचारित, प्रसारित एवं संरक्षित करते हैं। इस तरह से वे एक परिधि विकसित करते हैं जिसके भीतर की दुनिया ज्ञान के लिए प्रवेश, पढ़ाई, परीक्षा और प्रमाणन के लिए जानी जाती है। इस दुनिया के दबाव को अलग-अलग रूपों में अनुभव किया गया है और इससे मुक्ति के लिए नीति और अभ्यास के स्तर पर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इस लेख में लेखक द्वारा एक वैकल्पिक विद्यालय (आरोही लाइफ़ एजुकेशन) के अवलोकन से प्राप्त अनुभव के आधार पर औपचारिक शिक्षा की परिधि के बाहर व्यावहारिक अनुभवपरक शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों को बताया गया है।

आरोही लाइफ़ एजुकेशन केलामंगलम (होशुर, तमिलनाडु) के पास एक गाँव में स्थित है। छोटी पहाड़ियों से घिरा, अल्प आबादी वाला गाँव उबड़-खाबड़ भूमि और खेतों के साथ निकटवर्ती जंगल के हाथियों की सैरगाह के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आरोही विद्यालय की स्थापना कोई योजना का हिस्सा न होकर, विकल्पों के अभाव में मिली भूमि की परिणति है। लगभग 30 एकड़ में फैले इस स्कूल के सभी भागीदार इसे विद्यालय न कहकर सीखने की भूमि (लैंड ऑफ़ लर्निंग) कहना

पसंद करते हैं। वस्तुतः वे विद्यालय से संबंधित नकारात्मकता, जैसे— समय का बंधन, पाठ्यपुस्तक की प्रधानता, परीक्षा के दबाव का सांकेतिक प्रतिकार आदि करना चाहते थे। उनका मानना था कि रोज़मर्रा के क्रियाकलाप में जिज्ञासा पैदा करना, इसमें खोजी प्रवृत्ति के माध्यम से गणित, भाषा और विज्ञान को सिखाना ही वास्तविक शिक्षा है। इस तरह की शिक्षा पाठ्यचर्या से नहीं, बल्कि निरीक्षण-मनन-सृजन द्वारा संचालित होती है। इस दर्शन ने सीखने के तरीके में खुलापन और विस्तार किया है।

*सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

**सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

इस वैकल्पिक विद्यालय के संस्थापकों ने विद्यालय स्थापना की अभिप्रेरणा को औपचारिक शिक्षा और नगरीय जीवन से ऊबन और खीझ का परिणाम बताया। संस्थापक दंपती ने सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य में उच्च शिक्षा की उपाधि प्राप्त की थी। ये दोनों सफल व्यावसायिक जीवन जी रहे थे, लेकिन इन्होंने रोजमर्रा के जीवन में एक बोझ का अनुभव किया कि वे जो करना चाह रहे थे और जो कर रहे हैं, उसमें सामंजस्य नहीं था। इनके अनुसार जीविका और सामाजिक प्रतिष्ठा उनके 'आत्म' और 'नैसर्गिक चेष्टाओं' पर हावी हो रही थी। यही बात उन्होंने अपनी बेटी की औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में भी महसूस की।

इनसे बाताचीत के दौरान इन्होंने साझा किया कि 'हमें लगा कि हमारी बेटी जिस रास्ते पर बढ़ रही है, उस पर चलकर वह सफल प्रोफेशनल बन सकती है, लेकिन इसकी कीमत वह खुद को खोकर चुकाएगी यह नहीं पता था। इस उहापोह में वे ऐसी शिक्षा व्यवस्था की खोज करने लगे जो व्यक्ति को 'आत्म' का साक्षात्कार कराए। जो शिक्षा किताबों, कक्षा और अध्यापकों के साथ लिखने, पढ़ने, बोलने और सुनने से हटकर 'करने' के रूप में प्रकट हो। वस्तुतः 'करने' के भाव को केंद्र में रखना इस संस्था को विशिष्ट बनाता है। 'करने' के लिए एक कर्ता का होना आवश्यक है। बच्चा जब कर्ता बनता है तो वह कार्य को अपनाता है। इस तरह से सीखने में स्वायत्तता का जन्म होता है। यह स्वायत्तता अधिगम को बोझिल होने से बचाती है, लेकिन कई प्रयोजनमूलक समस्याओं को पैदा करती है— अब कर्ता किस कार्य

को करेगा? कैसे करेगा? और क्या उसका सीखना ज्ञान के समाजशास्त्रीय खाँचे में फिट बैठता है? इस तरह की प्रक्रिया से गुजरने वाले विद्यार्थी विद्यालयी जीवन के बाद क्या करेंगे? हालाँकि, इन सवालों से विद्यालय के कर्ता-धर्ता भी जूझ रहे हैं। फिर भी उनकी दिनचर्या को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा जीवन को नया अर्थ प्रदान किया है।

विद्यालय के सभी सदस्य हर दिन की शुरुआत किसी सवाल से करते हैं। ये सवाल विद्यार्थियों के सामाजिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अनुभव से उपजते हैं, जैसे— जिस मिट्टी के बरतन में चाय पी रहे हैं वह कैसे बनता है? दूध कैसे बनता है? हाथी सर्दियों के मौसम में जंगल से बाहर क्यों आते हैं? खेलने के लिए झूला कैसे बनाना है? आदि। सवाल की प्रकृति के अनुसार वे तय करते हैं कि जवाब की खोज अकेले करेंगे या समूह में। इस तरह से वयस्क और हमउम्र साथियों के साथ चर्चा करके प्रत्येक दिन एकल और लघु समूह बनते हैं। दिन के पहले पहर में वे इन सवालों का सिद्धांतों और प्रयोग के आधार पर उत्तर खोजते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमने विद्यालय का भ्रमण किया उस समय एक विद्यार्थी मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए भट्टी का निर्माण कर रहा था। एक अन्य समूह सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने की प्रक्रिया को समझने का कार्य कर रहा था। इन दोनों कार्यों में वे विज्ञान के सिद्धांतों की समझ को प्रयोग और अनुभव द्वारा निर्मित कर रहे थे। वयस्क साथी उन्हें सहायता प्रदान कर रहे थे। उनका ध्यान कार्य निष्पादन की त्रुटियों की ओर

आकर्षित कर रहे थे। उन्हें सुझाव दे रहे थे। इन वयस्क साथियों ने सुगमकर्ता की भूमिका अपना रखी थी। इन्हें समस्या का हल बताने में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि समस्या की जटिलता को सीखने का माध्यम बनाया जा रहा था। इस बीच रसोई से इनके लिए जलपान मुहैया कराया जाता है। वे अपनी सुविधा और गति से लगभग 3 से 4 घंटे कार्य करते हैं। इनका उद्देश्य किसी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि वे जो प्रश्न लेकर चले थे उसके उत्तर की राह को तलाशते रहते हैं। इस दौरान वे विराम लेकर झूला भी झूल सकते हैं, पेंटिंग या कोई और कार्य कर सकते हैं। यह विश्राम सीखने में एकरसता को भंग करता है। विद्यालय के संचालक ने बताया कि उनका अवलोकन रहा है कि विश्राम के क्षणों में कई बार बच्चों को सूझ आई है और उन्होंने समस्या का हल खोजा है। इसी तरह विद्यालय के संचालक का मानना है कि प्रकृति के स्पंदन को महसूस करना भी एक क्षमता है जिसे संवर्धित किया जाना चाहिए। वे मानते हैं कि स्वतंत्र बैठकर प्रकृति और जंगल को भी निहारना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसे वे लिखना, याद करना जैसी परंपरागत गतिविधियों से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।

दोपहर को भोजन करने के लिए पूरा विद्यालय एकत्रित होता है। दोपहर का भोजन बड़े बच्चे, बावर्ची और रसोईघर सहायक की निगरानी में तैयार करते हैं। वे खाने से पहले, खाने के दौरान और बाद में कुछ आवश्यक सवालों पर चर्चा करते हैं, जैसे— भोजन में कौन से पोषक तत्व हैं? उसका उत्पादन कैसे होता है? कीमते क्या हैं? क्या भोजन में सारे पोषक तत्व

सम्मिलित हैं? इसके अलावा जो दायित्व उन्होंने सुबह चुना था, उसके बारे में भी चर्चा होती है। ध्यान देने वाली बात यह रही कि इस चर्चा में वे सफलता और असफलता की बात नहीं करते, बल्कि क्या कर रहे हैं और क्या अनुमान है जैसे सवाल होते हैं। शोध में पाया गया कि विद्यार्थी और शिक्षक एक-दूसरे की बात सुन रहे थे और अधिकांश ने एक-दूसरे को सलाह दी तथा साझा किए गए अनुभवों के आधार पर अपने लिए निहितार्थ निकाले। इस अंतर्क्रिया व भोजन के अंत में विद्यार्थी एवं शिक्षक द्वारा अपने-अपने बरतन स्वयं धोए जाते हैं।

इसके बाद विश्राम का समय शुरू होता है। दो घंटे के बाद अर्थात् दिन के तीसरे पहर में परिसर की देख-रेख का कार्य आरंभ होता है। इस दौरान भवन, शौचालय, बगीचा और खेल का मैदान साफ़ करने या अन्य आवश्यक देख-रेख का दायित्व समूह में सौंपा जाता है। उस दौरान (लेखक को) एक पाँच वर्ष की लड़की के साथ शौचालय साफ़ करने का दायित्व मिला। इस लड़की के अभिभावक सॉफ़्टवेयर इंजीनियर हैं। वह कन्नड़ भाषी परिवार से आती है। वह हम लोगों से अंग्रेज़ी में संवाद कर रही थी। शौचालय को साफ़ करने की उसकी तत्परता लेखक के साथ उपस्थित साथी को भी गांधीजी की याद दिला रही थी। गांधी से अपरिचित यह बालिका अपने विद्यालय के परिचारक को इस गूढ़ ज्ञान का प्रणेता मान रही थी। उसके साथ कार्य करने का अनुभव चमत्कृत करने वाला था। उसने लेखक और उसके साथी को तन्मयता से 2×3 के शौचालय के कोने-कोने से परिचित कराया। एक विशेषज्ञ की

तरह बताया कि किस कोने में कैसे और कितना रीठा (शौचालय साफ़ करने के लिए प्रयुक्त प्राकृतिक सामग्री) फैलानी है? ब्रश कैसे घुमाना है? पानी का सदुपयोग कैसे करना है? इन सारे पक्षों को विस्तार से समझाने के दौरान उसका कर्ता-भाव देखने लायक था। उसने विशेष निर्देश दिया कि कोई कोना ना छूटे और ना ही कोई धब्बा दिखे। एक निपुण प्रशिक्षक की तरह एक शौचालय साफ़ करके दिखाया और शेष दो शौचालयों को उसकी निगरानी में लेखक और उसके एक साथी ने साफ़ किया।

इस दौरान एक खास व्यवस्था देखने को मिली। शौचालय की बाहरी दीवार जो खुले मैदान की ओर थी, उधर 'सुसु पार्क' (टॉयलेट) बना हुआ था। इससे निकलने वाले पानी से पौधों को सींचा जाता था। इस पार्क की दीवार पर अंकित था कि मूत्र विसर्जन के बाद 'एक बकेट पानी' डाला जाए। यह भी लिखा था कि कोई व्यक्ति एलोपैथिक दवाएँ ले रहा हो तो वह इसका प्रयोग न करे। इस तरह की व्यवस्था और निर्देश प्रबंधन में नौकर नामक व्यवस्था के बदले खुद से कार्य करने के मूल्य को पोषित करते हैं और हर तरह के श्रम को प्रतिष्ठित मानते हैं। कुल मिलाकर इस कार्य में अद्भुत अनुशासन और सौंदर्य का मिलन था जिसके मूल में एक छोटी बच्ची के कार्य निष्पादन की ऊर्जा निहित थी।

दोपहर के भोजन से पहले एक विद्यार्थी सलाद काटने में मग्न था। उसके लिए यह कोई रोज़ाना का अभ्यास या यांत्रिक कार्य नहीं था। वह गणितीय आकृतियों में फल और सब्जियों को काटने का आनंद ले रहा था। अपने साथ बैठे दूसरे विद्यार्थी को वह इन आकृतियों की बारीकियों से परिचित करा

रहा था। मज़ेदार बात यह थी कि दूसरा विद्यार्थी किस फल में कौन-सा पोषक तत्व मिलता है और कितनी मात्रा में उसे लेना चाहिए जैसे सवालों का हिसाब लगा रहा था। इस तरह से ये विद्यार्थी भी ज्ञान की परिधि के बाहर एक ऐसा परिवेश बना रहे थे जहाँ सीखने का उद्देश्य जीवन और प्रकृति को समझना था न कि विषय की भाषा शैली को संज्ञान में दर्ज करना। इनके लिए सृजनात्मकता स्वाभाविक और व्यक्तिनिष्ठ ढंग से साकार हो रही थी और वह इनके अधिगम को क्रमशः नया आयाम दे रही थी।

परिसर की सफ़ाई करने के बाद विद्यालय परिसर के सभी सदस्य एक साथ खेलते हैं। खेल क्या होगा? उसके नियम क्या हैं? कैसे खेलना है? की योजना विद्यार्थी खुद बनाते हैं। कुछ अवसरों पर संचालक सदस्य किसी नए खेल को बच्चों के साथ क्रियान्वित करते हैं। संचालकों ने बताया कि इस गतिविधि में सामुदायिकता, परस्पर सहयोग और आत्मानुशासन के मूल्य पोषित किए जाते हैं। खेल के उपरांत जलपान होता है और शाम को सभी विद्यार्थी समूह में सामाजिक यथार्थ के किसी पहलू पर चर्चा करते हैं। वे देश-दुनिया की खबरों पर बहस करते हैं। कई बार वे स्थानीय आयोजनों, उत्सवों और व्यवस्था को जानने के लिए समुदाय में जाते हैं। सप्ताहांत पर कुछ विद्यार्थी घर जाते हैं। जो बच्चे परिसर में रहते हैं, वे आस-पास के गाँव, कस्बे या पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के लिए जाते हैं। प्रतिदिन सोने से पहले दिनभर के कार्यों पर मनन करना इनका दैनिक अभ्यास है। कई बार वे इसे लिखते हैं। यही दस्तावेज़ इनका प्रमाणपत्र और अंकपत्र होता है। इसमें ये विशेष रूप से उल्लिखित करते हैं कि इन्होंने क्या सीखा और

कैसे सीखा? भावी योजना क्या है? यह दस्तावेज़ उनके विचारों का संग्रह होता है जिसे वे सीखने का स्रोत बनाते हैं।

इस तरह से एक गाँव में स्थित आरोगी संस्था विद्यार्थियों में खुद से दुनिया को जानने और समझने

की क्षमता विकसित कर रही है। यहाँ के बच्चे और वयस्क किसी भी सवाल को विषय का सवाल मानकर गणित, विज्ञान और भाषा आदि के झंझट में नहीं फँसते, बल्कि उसे जीवन का सवाल मानकर जीने के लिए सीखते हैं।

© NCERT
not to be republished

सर्वकालिक प्रासंगिक श्रीमद्भगवद्गीता का शिक्षा दर्शन

भारती दशोरा*

‘श्रीमद्भगवद्गीता’ का ज्ञान मनुष्य जीवन के लिए ‘जीवन जीने की कला’ दर्शाता है। संपूर्ण जीवन के प्रत्येक पक्ष में ‘गीता’ का भक्तियोग, ज्ञानयोग व कर्मयोग मानव जीवन का पथ-प्रदर्शन करता है। आत्मा की अमरता, मानव को साहस, निर्भीकता, निर्लिप्तता व नैतिकतापूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ‘गीता’ में मानव मात्र को जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। इसे एक सनातन ग्रंथ, ज्ञान ग्रंथ, विजय ग्रंथ एवं जीवन ग्रंथ आदि की संज्ञा दी गई। यह जीवन की समझ और कर्म कौशल सिखाने वाला एक प्रेरक ग्रंथ है। ‘गीता’ में मानव जीवन के विकास क्रम की तीन स्थितियाँ बताई गई हैं। पहला जैविक प्राणी, जो अन्नमय व प्राणमय कोश की मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं भौतिक स्वरूप की रक्षा व पोषक प्रक्रिया तक सीमित है। दूसरा सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया है जिसमें प्राणी स्वहित को त्याग कर मनोमय व विज्ञानमय कोशों के आधार पर सामाजिक धरातल पर चिंतन प्रारंभ करना सीखता है। तीसरा स्तर आध्यात्मिक प्राणी के स्वरूप का है जिसमें प्राणी अपने व्यक्तित्व का चहुँमुखी विकास करता हुआ ‘स्व’ का साक्षात्कार करने की स्थिति में होता है। अतः यह शिक्षा-दर्शन की दृष्टि से अमूल्य निधि है। इस लेख में ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ में मानव विकास व कल्याण हेतु दी गई शिक्षा में शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, गुरु-शिष्य संबंध तथा वर्तमान में ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ में दी गई शिक्षा की प्रासंगिकता का उल्लेख किया गया है।

श्रीमद्भगवद्गीता संसार के साहित्य में से एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसका तत्व ज्ञान निरुपम तथा उच्चतम है और आध्यात्मवाद श्रेष्ठ तथा व्यवहार में अपनाने योग्य है। गीता की कर्मनिष्ठ भक्ति की धारा युग-युगांतरों से मानव मात्र के कल्याणार्थ प्रवाहमान है, जो जीवन के सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। श्रीमद्भगवद्गीता हिन्दू

धर्म के किसी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। गीता में केवल धार्मिक विचार ही नहीं है, अपितु नैतिक नियम, तत्व विचार, ब्रह्म विद्या, ईश्वर और आत्मा के विषय में विविध सिद्धांत, सृष्टि विषयक सिद्धांत एवं योगशास्त्र आदि निहित हैं। बाल गंगाधर तिलक ने गीता का परिचय देते हुए गीता रहस्य में लिखा है कि, “श्रीमद्भगवद्गीता हमारे धर्मग्रंथों

में एक अत्यंत तेजस्वी एवं निर्मल मणि है। इसकी महत्ता एवं श्रेष्ठता केवल भारत में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी स्वीकार की गई है।” थामस मर्टन ने कहा है कि, “गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति तथा भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है।” इसके महात्म्य को बताते हुए गेड्डीज मैकग्रेगर ने आगे कहा है कि, “पाश्चात्य जगत में भारतीय साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना अधिक उद्धृत नहीं होता जितना कि *भगवद्गीता* क्योंकि यही सर्वाधिक प्रिय है।”

गीता नीतिशास्त्र का विश्वविख्यात ग्रंथ है। ऐसी जनश्रुति है कि *गीता* साक्षात् श्रीकृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। इसके संकलनकर्ता व्यास जी हैं। श्रीकृष्ण ने अपने उपदेश का जितना अंश पद्यों में कहा था उसे व्यास जी ने ज्यों का त्यों रख दिया। वे अंश जिन्हें उन्होंने गद्य में कहा था, उसे व्यास जी ने स्वयं श्लोकबद्ध कर दिया। इसके अतिरिक्त व्यास जी ने संजय के साथ ही अर्जुन एवं धृतराष्ट्र के वचनों की भाषा को भी अपने शब्दों में श्लोकबद्ध कर दिया था। इस प्रकार सात सौ श्लोक के पूरे ग्रंथ को अठारह अध्यायों में विभक्त करके व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत में मिला दिया था।

महान पुरुष एवं कविगण समय और स्थान से बंधे नहीं होते हैं। भारत के इन महापुरुषों ने ज्ञान एवं मानवीय कर्मों, गुणों, नियमों को वेदों, पुराणों एवं उपनिषदों जैसे सद्ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है। उन्हीं में से *श्रीमद्भगवद्गीता* मानवीय शिक्षाओं का प्रमुख स्रोत एवं प्रेरणा स्तंभ है। *गीता* व्यावहारिक दर्शन का अनुपम ग्रंथ है, यह केवल सैद्धांतिक विचारों का विवरण मात्र न होकर जीवन जीने की क्रियाओं

में सम्मिलित कर्म का विशेष संदेश देने वाला अभिप्रेरक है।

गीता, भारतीय दर्शन का प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ है जिसके आधार पर विश्व का प्रत्येक मानव अपने भाग्य का निर्माता एवं विधाता स्वयं माना गया है। इतना होने पर भी हम संसार में अपने चारों ओर समस्त मानवों को भीषण दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपत्तियों और अनेक विपत्तियों से घिरा, अपार दुःख व पीड़ा भोगते देख रहे हैं। यदि हम सब इस रहस्यपूर्ण तथ्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर हमें *गीता* में निहित विचारों की गवेषणा करने पर ही उपलब्ध हो सकेगा। *गीता* के अनुसार, संपूर्ण सृष्टि प्रकृति के अधीन कुछ मूलभूत सिद्धांतों एवं नियमों के द्वारा संचालित है। इसे ही कर्म का विधान कह सकते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए कोई परिणाम प्राप्त होता ही नहीं है, इसीलिए कार्य की प्रकृति के अनुरूप ही कार्य का परिणाम होना अनिवार्य है। *श्रीमद्भगवद्गीता* में फल की आसक्ति रखे बिना कर्म करने की संकल्पना दी गई है। मानव जीवन के उत्थान व परम कल्याण के साधक के रूप में *गीता* में कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग का सम्यक रूप में विश्लेषण किया गया है। यदि मनुष्य लाभ-हानि, जय-पराजय अथवा हर्ष-विषाद को छोड़कर संपूर्ण कर्मफल ईश्वर को समर्पित करे तो वह परम शांति को प्राप्त कर सकता है तथा अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। *श्रीमद्भगवद्गीता* के एक भाग में स्थिरप्रज्ञ मनुष्य के लक्षणों का वर्णन किया गया है जो प्रत्येक कार्य क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए स्मरण, धारण एवं आचरण करने योग्य हैं।

गीता का प्रत्येक श्लोक मनुष्य की बुद्धि को नए-नए आयाम देने वाला एवं उसकी सोच, कार्य और विचार को बदलने की क्षमता से युक्त है, इसलिए गीता प्रत्येक व्यक्ति स्वाध्याय के लिए उपयोगी एवं आवश्यक है।

गीता प्रत्यक्ष का अनुभव कराती है। दो विरोधी धर्मों की उलझन में फँस जाने के कारण अर्जुन जिस तरह किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया था, यह कोई अपूर्व घटना नहीं है। समाज में रहकर जो मनुष्य सांसारिक कर्तव्यों का पालन धर्म एवं नीतिपूर्वक करते हैं, उन पर ऐसी आपत्तियाँ अनेक बार आया करती हैं और व्यक्ति कर्तव्य, जिज्ञासा, मोह, भ्रम में अंतर नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में कठिनाई में पड़े हुए लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए एक समर्थ गुरु का होना आवश्यक है। वर्तमान समय में श्रीकृष्ण जैसा मार्गदर्शक, पथ-प्रदर्शक, शिक्षक मिलना अति कठिन है।

महात्मा गांधी का कथन है कि, “शंकाएँ मुझे घेरती हैं, निराशा मेरे सामने होती है, आकाश मंडल पर कोई ज्योति की किरण दृष्टिगोचर नहीं होती। उस समय मैं गीता की ओर ध्यान करता हूँ उसमें कोई न कोई श्लोक मुझे अवश्य मिल जाता है जो मुझे घोर शोकाकुल अवस्था में भी मुस्कुराहट देता है। मेरा जीवन वाह्य दुखों एवं घटनाओं से पूर्ण है और यदि उनके प्रत्यक्ष और अमित कोई चिह्न मुझ पर नहीं रह गए हैं, तो इसका श्रेय श्रीमद्भगवद्गीता के उपदेशों को जाता है।”

इस प्रकार गीता की शिक्षाएँ हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को संस्पर्श ही नहीं करतीं,

बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करती हैं। वर्तमान पीढ़ी के शिक्षाविदों के सम्मुख आज मुख्य कार्य है कि वह इन केंद्राभिमुखी सांस्कृतिक प्रणालियों के विभिन्न दार्शनिक आदर्शों में समन्वय स्थापित करें जिससे कि आपसी संघर्ष के स्थान पर एक-दूसरे को सहारा व संबल प्रदान कर सकें। ऐसी स्थिति में गीता हमें उपदेशित करती है कि इंद्रियों को वश में रखकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मनिष्ठ होता है। शिक्षा सूत्रों के अनुशीलन की दृष्टि से गीता में सुझाए गए सूत्रों को उद्धाटित करने का प्रयास किया गया है।

श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार शिक्षा की अवधारणा

गीता में वर्णित विषय-वस्तु के अध्ययन के आधार पर जीवन संघर्ष के लिए बौद्धिक, शारीरिक एवं आत्मिक रूप से समग्र तैयारी हेतु सक्षमता एवं सशक्तता का विकास करना ही शिक्षा है। श्रीकृष्ण के अनुसार, सच्ची शिक्षा का अर्थ गुणों के ज्ञान का अवबोध है। गुणों का ज्ञान वह है, जिसके द्वारा हम एकता में अनेकता का अनुभव करते हैं। वह हर प्राणी में ईश्वर का आभास मानते हैं। गीतादर्शन के अनुसार हम कह सकते हैं कि, ‘वास्तविक शिक्षा वह है, जो हमें इस योग्य बनाती है कि हम प्राणी की आत्मा में ईश्वर की सत्ता ही देखें।’ आरंभ में जब अर्जुन युद्ध के प्रति भ्रमित था, तब श्रीकृष्ण ने अपने ब्रह्म रूप को दिखाकर (जिसमें सबका वास था) अर्जुन को यह अनुभव कराया कि युद्ध में वह किसी की आत्मा को नहीं मार सकता, क्योंकि आत्मा का वास्तविक वास तो ब्रह्म में है।

श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य आदर्शवाद की उच्चतम सीढ़ी के आधार पर श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं —

जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष— मानव ज्ञान की उस स्थिति को सर्वोपरि माना गया है जब आत्मा, परमात्मा में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। *गीता* में श्रीकृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से शिक्षा के इस पावन एवं उच्चतम उद्देश्य की ओर संकेत किया है। ज्ञान का आदान-प्रदान इस स्तर का हो कि व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य माने तथा उसे प्राप्त करने में अपना सर्वस्व लगा दे।

नैतिकतापूर्ण जीवन— अर्जुन के माध्यम से श्रीकृष्ण द्वारा समझाना कि अनैतिक समाज को उत्साह देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यह अनैतिक पीढ़ी सारे राष्ट्र को खंडित कर देगी। इस प्रकार श्रीकृष्ण नैतिक आचरण करने की प्रेरणा तथा अनैतिकता के प्रति युद्ध लड़ने की सीख देता है कि समाज व राष्ट्र के उत्थान के लिए नैतिकतापूर्ण आचरण ही स्वीकार्य होना चाहिए।

निर्लिप्त भाव से जीवनयापन— प्रत्येक व्यक्ति एक आत्मा है, जो अकेला आया है और अकेला जाएगा। वह परमात्मा का अंश है। उसे मोहमाया में नहीं फँसना चाहिए। स्वयं की सत्ता को जानकर अपने अंतिम लक्ष्य, मोक्ष प्राप्ति के लिए निर्लिप्त भाव से ज्ञानार्जन करना चाहिए।

आत्मा की अमरता के ज्ञान का उद्देश्य— आत्मा अजर-अमर है। उसे न तो शस्त्र भेद सकता है, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, न हवा सोख सकती है, मरता तो केवल शरीर है। अतः शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को प्रत्येक अन्याय व अत्याचार से

निर्भीकतापूर्वक साहस से लड़ने के योग्य बना सके। वह मृत्युभय से मुक्त होकर प्रत्येक अन्याय का सामना कर सके।

आत्मबल बढ़ाने का उद्देश्य— *गीता* की शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति जगत में रहते हुए अपनी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करे कि सज्जनों की रक्षा हो व दुष्टों का नाश हो तथा धर्म की स्थापना हो। अतः *गीता* मनुष्य के वास्तविक विकास के लिए आत्मबल का संचार करती है।

जीवन में पलायन न करके चुनौतियों का सामना करने की भावना का विकास— व्यक्ति को जीवन में न तो दीनता दिखानी है, न किसी परिस्थिति से भागना है, उसे उठकर सामना करना है, क्योंकि जब तक आयु है उसे कोई नहीं मार सकता, वैसे मरता तो केवल शरीर ही है, आत्मा नहीं। इस प्रकार *गीता* शिक्षा के उद्देश्य मानव को कर्म में प्रवृत्त कर उसे आत्म विकास की प्रेरणा देते हुए अनाचार से लड़कर, अपने चारों ओर न्याय व सद्गुण के प्रचार व प्रसार को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों का सुंदर समन्वय है।

श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम

गीता में प्रश्नोत्तरी द्वारा ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, जो परा ज्ञान एवं अपरा ज्ञान से प्राणी को अवगत कराता है। अमूर्त व मूर्त ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिक्षा में साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक व वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन आवश्यक है। भौतिक ज्ञान के साथ-साथ आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी व्यक्ति के नैतिक जीवन जीने हेतु आवश्यक है।

परा विद्या के अंतर्गत आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान आता है जो नित्य व सनातन एवं पूर्ण ज्ञान है, नीतिपूर्ण ज्ञान व आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते समय विद्यार्थी की अपूर्णता व अस्थिरता की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहिए ताकि विद्यार्थी में सद्गुणों का उदय हो। वह सही व गलत में भेद कर सके।

अपरा विद्या के अंतर्गत सभी प्रकार के विज्ञानों का अध्ययन यथा रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, नक्षत्र विद्या, यांत्रिकी, वनस्पतिशास्त्र, जीवशास्त्र, शरीर व स्वास्थ्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, सम्मिलित हैं। मन तथा बुद्धि द्वारा प्राप्त अनुभवात्मक ज्ञान और ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान एवं कौशल, सभी प्रयोगात्मक व अवलोकन की दृष्टि से मान्य हैं। साथ ही सभी भाषाओं, कला व साहित्य के ज्ञान की भी अपेक्षा की गई है।

इन दोनों विद्याओं के अतिरिक्त *गीता* में पुरुषार्थ— धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को भी स्थान दिया गया है। अतः पाठ्यक्रम निर्धारण में विद्यार्थी के उपयुक्त पुरुषार्थों के अनुरूप ध्यान देना आवश्यक है। *गीता* के 18वें अध्याय में चारों वर्णों के कर्मों का विवरण देते हुए, सफल जीवन जीने हेतु उपयुक्त कार्य करने की दिशा मिलती है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी की रुचि, बुद्धि, स्वभाव व वर्ण के अनुकूल शिक्षा देने का प्रावधान बताया गया है।

श्रीमद्भगवद्गीता में शिक्षण विधियाँ

आदर्शवादी विचारधारा के अनुरूप *गीता* में प्रश्नोत्तरी विधि का खुलकर प्रयोग हुआ है। यह विधि अत्यंत प्रभावी विधि मानी गई है। शिष्य अपने मन

के संदेह, प्रश्नों के रूप में प्रकट करता है, गुरु उनके संतोषप्रद उत्तर देता है, जिज्ञासाओं को शांत करता है व जीवन के गूढ़ रहस्यों की परतें खोलकर रख देता है। प्रश्नोत्तरी द्वारा ज्ञान का आदान-प्रदान *गीता* की मूल शिक्षण विधि है।

गीता में वार्तालाप विधि व संवाद विधि का भी विचारों के आदान-प्रदान हेतु प्रयोग हुआ है। कृष्ण द्वारा दिए गए उत्तरों पर अर्जुन के मन में पुनः प्रश्न उठते हैं। अर्जुन भी अपने विचार प्रस्तुत करता है। दोनों अपनी-अपनी बात कहने के लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार तर्क विधि का भी *गीता* में काफ़ी खुलकर प्रयोग हुआ है। जहाँ तक ज्ञान का प्रश्न है यह मौखिक विधि द्वारा श्लोकों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से दिया गया है।

अर्जुन को ज्ञान पाने हेतु पात्रता विकसित करने के लिए श्रीकृष्ण आत्मसमर्पण के लिए भी कहते हैं। यह आदर्शवादी दर्शन की एक महत्वपूर्ण विधि है। शिष्य को गुरु के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी वह सद्ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। इसी आत्मसमर्पण विधि द्वारा अर्जुन ज्ञान पाने में सक्षम होकर कर्म करता हुआ जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सका।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षण हेतु दो तथ्य अनिवार्य माने गए हैं—

- शिक्षण विधि सप्रयोजन होनी चाहिए।
- शिक्षण, विद्यार्थी की मानसिकता के अनुकूल होना चाहिए, उसकी योग्यता के अनुरूप उसे सीखने के लिए उत्प्रेरित करना चाहिए।

एक व्यक्ति के जीवन में विकास की विभिन्न प्रवृत्तियाँ अलग-अलग अवस्थाओं में प्रकट होती

हैं, जैसे— बाल्यावस्था में खेल-खेल में विभिन्न क्रियाओं, अनुभवों व इंद्रिय प्रशिक्षण के द्वारा ज्ञान ग्रहण किया जाता है। यही ज्ञान उत्तर बाल्यावस्था में श्रद्धापूर्वक, बिना शंका किए, शिक्षक को आदर्श मानकर, पूजा, अर्चना, कीर्तन, श्रवण, आत्म निवेदन आदि नवधा भक्ति की विधियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। किशोरावस्था में बालक तर्क विधि द्वारा शंकाओं का विवेचन, विश्लेषण करके, श्रवण, मनन, इंद्रियाध्यान द्वारा ज्ञान को ग्रहण करता है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के तीनों स्तर, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक होते हुए भी एक-दूसरे के पूरक हैं। *गीता* में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए अर्जुन रूपी जीवन को ब्रह्मज्ञान व आत्मज्ञान दिया गया।

श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार गुरु-शिष्य संबंध
गीता में गुरु के प्रति अटल श्रद्धा व अखंड विश्वास दर्शाया गया है। शिष्य को गुरु की सहायता व कृपा से ही जीवन की सही दिशा मिल सकती है। यही भाव सदैव शिष्य के मन में रहता है। शिष्य जब-जब अपनी शंकाएँ गुरु के सामने प्रस्तुत करता है, गुरु उनका बड़े स्नेह व प्यार के साथ अपने विचारों व उपदेशों द्वारा समाधान करता है। हर संकट के समय गुरु शिष्य की सहायता करता है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उन्हें सभी विपत्तियों से बचाते हुए शिक्षित किया है। *गीता* में यह भी ध्यान रखा गया है कि गुरु ने कभी भी अपने विचार शिष्य पर नहीं थोपे, बल्कि अर्जुन को यही कहा है कि, “मैंने तो तुम्हें सारे मार्ग बता दिए हैं, अब यह तुम पर है कि तुम कौन-सा पथ

स्वीकारते हो।” अतः यह संबंध पिता-पुत्र जैसा है, जहाँ गुरु, शिष्य को सही मार्ग पर ले चलना अपना दायित्व समझता है।

शिक्षक को *गीता* में आदर्श माना गया है। बालक को भी अव्यक्त पुरुषोत्तम की सुंदरतम कृति माना गया है, उसमें भी देवत्व विद्यमान है। वह भी ईश्वरीय ज्योति से प्रकाशित है, इसलिए गुरु उसके शारीरिक, मानसिक व आत्मिक विकास के लिए प्रयासरत रहता है। गुरु शिष्य को पुत्र, सखा, भक्त मानकर उसके बहुमुखी विकास हेतु मार्गदर्शन करता है।

गुरु, शिष्य के अज्ञान को निगल जाता है। ऐसा गुरु-शिष्य संबंध *गीता* में श्रीकृष्ण-अर्जुन का दिखाई पड़ता है। अर्जुन युद्ध से पहले अज्ञानी है, पर युद्ध का बिगुल बजने पर श्रीकृष्ण अपने ज्ञान की वर्षा करके उसका अज्ञान मिटा देते हैं। शब्दार्थ करने पर ‘गु’ शब्द का अर्थ है ‘अंधकार’ और ‘रु’ शब्द का अर्थ उसका ‘विरोध या विनाश करने वाला।’ इस प्रकार अंधकार को मिटाने वाला गुरु है। गुरु कर्तव्य व अकर्तव्य में भेद स्पष्ट करता है। कुगति से सुगति का मार्ग दर्शाता है। कुलावर्ण तंत्र के अनुसार गुरु के छह कार्य बताए गए हैं। गुरु को प्रेरक, सूचक, वाचक, दर्शक, शिक्षक और बोधक कहा गया है।

सारांश में, गुरु को सात्विक गुणों के आधार पर भटके हुए शिष्य का उचित मार्गदर्शन करना है, उसे अंधकारमय मार्ग से ज्योतिर्मय मार्ग का दिशाबोध कराना है। उसे अपरा से पराज्ञान की ओर ले जाना है ताकि निष्काम कर्म करता हुआ अंत में स्थिरप्रज्ञा को प्राप्त कर सके। इस प्रकार *गीता* गुरु-शिष्य संबंधों के उच्च स्तर की द्योतक है।

शिक्षा व्यवस्था में श्रीमद्भगवद्गीता में दी गई शिक्षा की प्रासंगिकता

वर्तमान समय में देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति एक संग्राम लड़ रहा है और संघर्ष के क्षेत्र से विचरण करते-करते उसके अंदर भय, उद्वेग, लोभ-लालसा, क्रोध-कामना, बैर-विरोध, स्वार्थ, कायरता और अकर्मण्यता की तरंगें उठने लगी हैं जो न केवल उसकी स्वयं की शांति को भंग कर रही हैं, वरन् उसके आस-पास के वातावरण में भी अशांति फैला रही हैं। पाप कर्मों की प्रवृत्ति, पापवासनाएँ, दुर्गुण तथा दुष्ट-संस्कार पिशाच रूप में मानव को घेरे हुए हैं जो उसे सबल, समर्थ एवं सफल नहीं बनने देते हैं। इन सब परिस्थितियों का सामना बिना स्थिरप्रज्ञ हुए संभव नहीं है।

मानव का जीवन सदैव चुनौतियों से भरा हुआ रहता है और गीता हमें जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए नियमित अभ्यास, दृढ़ इच्छाशक्ति, अथक परिश्रम व चुनौतियों को स्वीकार करने का अदम्य साहस प्रदान करती है जो हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। वर्तमान समय में आधुनिकता की दौड़ में गीता ही हमें शांति का पाठ पढ़ाते हुए अपने कर्म की ओर अग्रसर करती है और भौतिक एवं

आध्यात्मिक जीवन में तालमेल स्थापित करते हुए सच्चे अर्थों में जीवन जीना सिखाती है।

वर्तमान में श्रीमद्भगवद्गीता की प्रासंगिकता सर्वोपरि है, क्योंकि संकटों से घिरा विश्व विनाश की ओर बढ़ रहा है। यहाँ एक बहुआयामी युद्ध नित्यप्रति घटित हो रहा है। यह युद्ध वैचारिक, सामरिक, भौतिक और अभौतिक भी है। यह युद्ध भावनाओं से भी जुड़ा है और भूगोल से भी। अपना-अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए कोई अर्थ को हथियार बना रहा है तो कोई शस्त्र को। विश्व अपनी ही महत्वाकांक्षा से निर्मित मकड़जाल में उलझा हुआ है। वह न मायाजाल को तोड़ता है, न ही जंजाल को छोड़ता है।

अतः सार रूप में कहा जा सकता है कि श्रीमद्भगवद्गीता इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। इसके विचारों, सिद्धांतों व शैक्षिक अवधारणाओं के अवलंबन से इस प्रकार के द्वंद्वरूपी युद्ध से विरत रहकर परम सुख व शांति का वरण किया जा सकता है। श्रीमद्भगवद्गीता संयासियों के लिए ही नहीं, बल्कि गृहस्थों के लिए भी एक आदर्श पथ-प्रदर्शक है। इसके शैक्षिक विचार सुख-शांति के मार्गदर्शक हैं।

संदर्भ

- चट्टोपाध्याय, सतीशचंद्र और धीरेंद्र मोहन दत्त. 1994. *भारतीय दर्शन*. पुस्तक भंडार पब्लिशिंग हाउस, पटना.
- तिलक, बालगंगाधर. 1933. *श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य*. गायकवाड़वाड़ा, पूना सिटी, पूना.
- पांडेय, रामशकल. 2009. *शिक्षादर्शन*. विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.
- राधाकृष्णन्, एस. 2015. *भारतीय दर्शन*. राजपाल एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली.
- सिन्हा, हरेंद्र प्रसाद. 2016. *भारतीय दर्शन की रूपरेखा*. मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स, दिल्ली.

श्रीराम शर्मा आचार्य का शैक्षिक चिंतन एवं उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता

विवेक नाथ त्रिपाठी*

श्रीराम शर्मा जो कि आध्यात्मिकता एवं राष्ट्र निर्माण की प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं, के विचारों में भारतीय संस्कृति, शिक्षा, मूल्य, नैतिकता एवं चारित्रिक निष्ठा की स्पष्ट झलक मिलती है। इस लेख में आचार्य श्रीराम शर्मा के शिक्षा संबंधी विचार, शिक्षकों के लिए संदेश, शिष्य एवं उनका कर्तव्य, व्यक्ति एवं समाज का निर्माण कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वैचारिक एवं तर्कपूर्ण विश्लेषण कर विचार प्रस्तुत किए गए हैं तथा उपरोक्त बिंदुओं पर वर्तमान समकालीन शिक्षा की प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। वर्तमान समय में विभिन्न घटनाओं एवं असामाजिक कृत्यों से प्रतीत होता है कि मानवीय मूल्यों में गिरावट, मनुष्य का पतन एवं मानवता का स्तर गिरता जा रहा है। वर्तमान समकालीन शिक्षा मानवीय मूल्यों के संरक्षण, मानवता की संरक्षक एवं रोजगार के साधनों का सृजन करने में पूर्णतः असफल होती जा रही है। वर्तमान समकालीन शिक्षा में अगर आचार्य श्रीराम शर्मा जी के विचारों का समावेशन किया जाए तो निश्चित रूप से समकालीन शिक्षा अपने पुरातन एवं आध्यात्मिक मूल्यों का सृजन करने में सफल होगी।

भारत की इस गौरवशाली भूमि का यह इतिहास रहा है कि इसने समय-समय पर ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया है जिन्होंने संपूर्ण वसुधा के उद्धार एवं इस संसार के नवनिर्माण के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, चाहे वे विवेकानंद रहे हों या फिर महर्षि अरविंद या श्रीराम शर्मा आचार्य। आचार्य जी का जन्म 20 सितंबर, 1911 में आगरा के अवालखेड़ा गाँव में हुआ था। आचार्य जी पर पंडित मदन मोहन मालवीय, गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर, श्री अरविंद आदि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। स्वालंबन, स्वाभिमान

एवं आत्मावलंबी राष्ट्र हेतु 'ज्ञानपर्व कार्यक्रम' की शुरुआत आचार्य के द्वारा की गई। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद एवं अन्य विषयों पर 3200 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। 1964 में सर्वधर्म सभा द्वारा आचार्य को 'लाइट ऑफ़ इण्डिया पुरस्कार' से पुरस्कृत किया गया। युगदृष्टा, गायत्री के सच्चे उपासक, समाज निर्माण की प्रतिमूर्ति आचार्य 19 सितंबर, 1994 को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। परंतु उनके विचार आज भी समाज में जीवित हैं और युगों-युगों तक रहेंगे।

शिक्षा

भारतीयों का दृष्टिकोण सदैव ही आध्यात्मिक रहा, इसलिए भारतीय संस्कृति इसकी संपोषक रही है, शिक्षा भी धर्म एवं आध्यात्म के प्रभाव से अछूती नहीं रही है। श्रीराम शर्मा आचार्य भी भारतीय दृष्टिकोण से पूर्णतः प्रभावित थे, परंतु अन्य की तुलना में शिक्षा को लेकर उनके विचार थोड़े अलग हैं। हम जानते हैं कि किसी भी देश का विकास मेरुदंड शिक्षा को कहा जाता है, अतः शिक्षा राष्ट्र निर्माण का साधन होती है।

शिक्षा सदा से ही आवश्यक और महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। आज तो यह जीवन का अनिवार्य अंग बन गई है, तभी तो आचार्य कहते हैं कि शिक्षा का सीधा अर्थ 'संस्कारों का प्रशिक्षण है' इसे नैतिकता, सामाजिकता, सज्जनता, प्रमाणिकता आदि किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। आचार्य शिक्षा, विद्या और ज्ञान—तीन बिंदुओं पर चिंतन को स्पष्ट करते हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में उनका शिक्षा से संबंधित यह विचार जो मनुष्यत्व का सृजन करे, स्वार्थ नष्ट करे, न्याय करना सिखाए, शिक्षा कहलाती है।

वे कहते हैं कि शिक्षा वह है जो मानवता का कल्याण करे, जो बुद्धि के विकास में सहायक हो, जिसमें स्वावलंबन की शक्ति मिले, जो मुक्ति के योग्य बनाए, जो मनुष्यत्व का पूर्ण विकास करे, जो सद्गुणों का प्रयोग करना सिखाए, जो प्रेम करना सिखाए, जिससे सद्चरित्र का निर्माण हो, वही वास्तविक शिक्षा है। अगर उपरोक्त वर्णित शैक्षिक चिंतन के एक-एक बिंदु को विश्लेषित करें तो हम पाएँगे कि वर्तमान में आचार्य का शैक्षिक चिंतन प्रासंगिक एवं सार्थक है, क्योंकि वर्तमान में प्रचलित

शिक्षा व्यवस्था न तो आज के युवाओं को मानवता का पाठ पढ़ा पा रही है और न ही उनके चरित्र निर्माण में पूर्णतः सफल है तथा स्वावलंबी न बना पाना भी आज की शिक्षा का एक प्रमुख दोष है। शैक्षिक प्रसार तो हो रहा है, लेकिन नैतिक एवं मानसिक पतन भी होता जा रहा है। युवा विचार करने की क्षमता खोते जा रहे हैं। तभी तो आचार्य ने कहा था कि लिखना-पढ़ना जान लेना शिक्षा नहीं है, शिक्षा तो वह है जो मनुष्य में देवत्व का दर्शन कराए।

अपनी कृति *मेरे सपनों का विश्वविद्यालय* में उन्होंने लिखा है कि आज देश में शिक्षा के अनेक विश्वविद्यालय मौजूद हैं, पर जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक भी नहीं है। राष्ट्र निर्माण के लिए जिस तरह के समाज की परिकल्पना रखी गई है, वह भी नहीं है। वे कहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना ही पढ़ा-लिखा क्यों न हो, यदि उसे सही ढंग से विचार करना, समाज का सुनियोजन करना, प्रतिकूलताओं से मोर्चा लेना, समाज के अन्य घटकों के साथ रहना नहीं आता है, तो फिर उसका पढ़ना-लिखना बेकार है, बल्कि उस पर लगाया गया धन भी राष्ट्रीय अपव्यय के समान है।

उनका मानना है कि शिक्षा से मानव में पूर्णता आती है, जीवन स्तर और बौद्धिक शक्ति का विकास होता है, राष्ट्र का उत्थान अच्छी शिक्षा प्राप्त होने से ही हो सकता है। अतएव शिक्षा के सर्वांगीण विकास के मूल तत्व को विकसित करना नितांत आवश्यक है। शिक्षालयों का वातावरण अच्छा बनाने के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाए। मनुष्य के मस्तिष्क के साथ ही उसके हृदय को विशाल एवं उदार बनाने

वाली शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। उदारता के अभाव में समाज के अंदर विभिन्न वर्ग, समुदाय, जाति आदि की खाई बढ़ती जा रही है और हमारी समकालीन शिक्षा इस बढ़ती खाई को पाटने में पूर्णतः असफल होती जा रही है।

ज्ञान का संप्रत्यय

मनुष्य में देवत्व की अभिलाषा जाग्रत करने वाले, स्वाध्याय को मानसिक शुद्धि का साधन मानने वाले आचार्य कहते हैं कि, 'ज्ञान अनिर्वचनीय है' "ज्ञानवानेव सुखवानज्ञानवाने जीवति। ज्ञानवानेव बलवास्तेस्माज्ज्ञान मयोभवत्।।"

अर्थात् ज्ञान ही सुख है, ज्ञान ही जीवित है, ज्ञान ही बलवान है, इसलिए ज्ञानी ही बनना चाहिए। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई नहीं है। ज्ञान को आत्मा का नेत्र कहा गया है, वे कहते हैं, कि— ज्ञानविहीन व्यक्ति के लिए इस संसार में जो कुछ उत्कृष्ट हो उसको देखना उतना ही कठिन है, जितना दृष्टि के अभाव में एक व्यक्ति का भौतिक संसार को देखना। आचार्य कहते हैं कि भौतिक जीवन की सफलता और आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता के लिए ज्ञान प्रथम सोपान है, जो स्वाध्याय सत्संग, चिंतन, मनन के आधार पर प्राप्त होता है। स्कूली शिक्षा ज्ञान की श्रेणी में नहीं आती है। उनका मानना है कि ज्ञान से अज्ञान का निवारण होता है। *गीता* के 17/15 श्लोक में कहा गया है कि नित्य स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति दुखों से पार हो जाता है। विभिन्न शोध परिणामों से भी यह पता चला है कि आज के विद्यार्थियों में स्वास्थ्य, एकाग्रता एवं ध्यान की कमी होती जा रही है। विद्यार्थी विद्यालय में बैठकर अध्ययन करना नहीं चाहते हैं।

आज स्वाध्याय का प्रचलन लगभग समाप्त होता जा रहा है। इस वर्तमान दशा को देखकर आचार्य के ज्ञान का संप्रत्यय समकालीन शिक्षा में लागू करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

शिक्षार्थियों के लिए संदेश

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वे कहते हैं कि युवाओं को दुष्ट प्रवृत्तियों के दुश्चक्रों से उबरकर स्वयं को समग्र क्रांति के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए, जिसका मूल उद्देश्य सृजन हो। इस प्रकार की स्थिति में युवाओं, शिक्षार्थियों से आशा और बढ़ जाती है कि वे अपने आलस्य, संकीर्णता को त्याग कर सृजन के इस अभियान में स्वयं को जोड़ें व अपने राष्ट्र, समाज एवं विश्व के उज्ज्वल भविष्य को साकार करने में अपनी भूमिका को दर्ज कराएँ। उनका मानना था कि युवाओं को स्वयं को पहचानना होगा, अपने ऊपर भरोसा करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी होगी, बाधाओं को कुचलकर अकेले चलना होगा। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अपनी आशाओं को दूसरों में देखना, अपनी मौलिकता का हास कर अपने साहस को पंगु कर देना है, वे मानते हैं कि युवाओं को सृजनात्मक कार्य करना चाहिए और इसके लिए स्वयं पर विश्वास करना आवश्यक है। इस प्रकार आचार्य आज के युवा विद्यार्थियों को एक संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण हेतु संदेश देते हैं जिसमें स्वयं पर विश्वास, स्वार्थी मानसिकता का त्याग, स्वयं की पहचान प्रमुख हैं। आज कुछ युवा भटक गए हैं, वे दूसरों पर विश्वास और उचित निर्णय न लेने के कारण अपनी पहचान खो बैठे हैं। उनका स्वयं

अपनी क्षमताओं से विश्वास कम हो गया है। इस प्रकार युवाओं को आचार्य के विचारों से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। वर्तमान युवाओं में बढ़ती निराशा, हताशा के भाव को कम करने में आचार्य के विचार अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे।

आचार्य का शिक्षकों के लिए संदेश

आचार्य कहते हैं कि दो तरह के शिक्षक हैं— एक, जो बाहरी ज्ञान का प्रचार-प्रसार एवं शिक्षा प्रदान करते हैं और दूसरा, हम सबके अंदर बैठा हुआ है। वे कहते हैं कि आप बाहरी शिक्षक को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन अपने अंदर बैठे हुए शिक्षक को कैसे धोखा दोगे, जो हर पल तुम्हें उचित और अनुचित का ज्ञान कराता रहता है। शिक्षकों के अंदर भी ऐसा ही एक शिक्षक उनकी आत्मा के रूप में, उनके अंदर बैठा हुआ है। अतः उन शिक्षकों को अपनी उस आत्मा की आवाज़ को सुनना है। उनका मानना है कि शिक्षा एक प्रतिपादन है, उसका मूर्तरूप शिक्षक है, जिसके ऊपर संपूर्ण राष्ट्र और समाज की ज़िम्मेदारी होती है। वर्तमान समकालीन शिक्षक को विद्यार्थियों में शालीनता, सज्जनता, ईमानदारी एवं सत्प्रवृत्तियों का विकास करना होगा तथा अपने चरित्र, व्यवहार एवं गुण कर्म भाव से विद्यार्थियों का आदर्श बनना होगा। शिक्षक को चाहिए कि वह अपने श्रेष्ठ आचरण से श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण करता रहे। वर्तमान शिक्षकों के लिए यही उनका संदेश है।

शिक्षा एवं विद्या

शिक्षा एवं विद्या में अंतर करते हुए आचार्य बताते हैं कि शिक्षा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का

साधन है। वे कहते हैं कि जानकारी का नाम शिक्षा है, दूसरी तरफ़ विद्या को शिक्षा से महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि विद्या वह है जो सद्गुणों का विकास करे, सही रास्ते पर चलना सिखाए, सही और गलत का ज्ञान कराए, उसे विद्या कहते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास करने हेतु शिक्षा में विद्या के अंगों का समावेश कर देना चाहिए, चाहे नाम इसका कुछ भी हो, पर उद्देश्य एक हो जिससे अच्छा नागरिक बन सके, समाज का नेतृत्व किया जा सके और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। उनका मानना है कि शिक्षा और विद्या की उपयोगिता और शिक्षा के स्वरूप के बारे में हर विचारशील आदमी को चिंतन करना चाहिए। राष्ट्र की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के समाधान के लिए ऐसा हल खोजा जाए, जिससे अपना देश शिक्षित बन सके और व्यक्तित्व का विकास करने वाला बन सके और विश्व शांति का आधार बन सके। अगर हम आचार्य के शिक्षा एवं विद्या के संप्रत्यय को समकालीन शिक्षा एवं सामाजिक परिवेश में देखें तो न तो वह शिक्षा है और न ही विद्या। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि समकालीन शिक्षा में विद्या का समावेशन कैसे हो जो समाज को उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी का एहसास कराते हुए आध्यात्मिक मूल्यों को ध्यान में रखकर रोज़गार का सृजन कर सके।

श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रमुख योगदान

‘हम बदलेंगे युग बदलेगा’ इस प्रमुख ध्येय वाक्य के आधार पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में वैचारिक चेतना जाग्रत करने वाले आचार्य

के विचारों को उनके ही शिष्य डा. प्रणव पंड्या द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ध्येय वाक्य में रखा गया और उसको पूर्ण रूप से लागू करने का कार्य किया जा रहा है। 'समकालीन शिक्षा में आध्यात्मिक प्रशिक्षण, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास तथा आध्यात्मिकता का वास्तविक अनुभव से प्रशिक्षण प्राप्त कर समाज के लिए जो उपयोगी हो, उसका हस्तांतरण कर सकें।' ऐसे विद्यार्थियों का सृजन करना देव संस्कृति विश्वविद्यालय का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में निरंतर अग्रसर है। इस प्रकार आचार्य ने मानवता के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का बीजारोपण किया है जो समकालीन शिक्षा व्यवस्था में भारतीयता एवं आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत शैक्षिक परिवेश का निर्माण कर, राष्ट्र कल्याण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि, "ऐसी शैक्षिक संस्थाओं की आवश्यकता है जो विद्यार्थियों को एक प्रज्ञावान, स्वार्थविहीन, नेक हृदय बनाकर एक मानवतावादी मनुष्य का निर्माण कर सकें।" उनके इस विचार को आधार बनाकर प्रखर युवाशक्ति के मार्गांतरण हेतु, सद्भाव, संवेदना को प्रमुखता से शामिल करते हुए समाज की विसंगतियों को दूर करने के लिए अनेक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की गई है जिसमें कुछ प्रमुख संस्थाएँ, यथा— शांति कुंज आश्रम, हरिद्वार, ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, अखंड ज्योति संस्थान, गायत्री शोधपीठ, गायत्री परिवार आदि कुछ प्रमुख शोध एवं शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई है

जो भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग कर, शिक्षा प्रदान करते हुए मानवता के सच्चे सिपाहियों का सृजन कर रही हैं। इनके किए गए प्रमुख कार्यों में अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना (जो वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांतों पर) 1950 के दशक में की गई जो सबसे महत्वपूर्ण एवं सफल रही, इसके अतिरिक्त हिंदू सुधार आंदोलन, विचार क्रांति अभियान, प्रज्ञा अभियान आदि कार्यक्रमों का सफल संचालन किया गया, जिनका प्रमुख उद्देश्य जनमानस में वैचारिक परिवर्तन लाकर समाज का उत्थान करना था।

श्रीराम शर्मा आचार्य के शैक्षिक विचारों का वर्तमान शिक्षा में उपयोग

शिक्षा, किसी भी राष्ट्र के विकास का मूल कारक होती है और राष्ट्र का विकास उस राष्ट्र के नागरिकों के शैक्षिक स्तर से होता है। आचार्य के शैक्षिक विचारों की उपयोगिता का निर्धारण वर्तमान, पूर्व एवं भविष्य— तीन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है अथवा वर्तमान का पूर्व से और भविष्य की वर्तमान से आवश्यकता अनुकूल तुलना की जाती है और मुख्यतः इन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है कि शिक्षा क्या है, क्या होनी चाहिए, और जो है उसका परिणाम क्या होगा? अथवा प्रचलित शिक्षा क्या वर्तमान समाज के लिए उपयोगी एवं उसकी आवश्यकता के अनुकूल है? क्या रोजगार का सृजन करने में सफल है? क्या इस समकालीन शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, नैतिकता का विकास, चारित्रिक विकास आदि संभव हैं। यदि नहीं तो स्पष्टतः समकालीन शिक्षा अपने लक्ष्य से भटक गई है। आज दिन-प्रतिदिन रोजगार के अवसर सृजन करने में समकालीन शिक्षा कुछ हद तक

विफल रही है। विद्यार्थियों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास का अभाव होता जा रहा है। आध्यात्मिकता में वैज्ञानिकता का अभाव होता जा रहा है। इस प्रकार के परिदृश्य में आचार्य के शिक्षा संप्रत्यय, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए संदेश 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना 'एक राष्ट्र एक पाठ्यक्रम की संकल्पना' पर विचार किया जा सकता है।

आचार्य व्यक्ति, परिवार और फिर समाज का निर्माण शिक्षा के माध्यम से करने की बात करते हैं। 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना का जागरण करने वाले आचार्य के विचार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उपयोगी हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति में आचार्य के विचारों को शामिल कर, नए राष्ट्र का निर्माण करना होगा। विद्यार्थियों के बस्ते के बोझ को कम करने का विचार हो या फिर जीविकोपार्जन के लिए एकसमान पाठ्यक्रम की संरचना, संपूर्ण राष्ट्र के लिए हो या फिर शिक्षित लोगों द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए श्रमदान करने की बात हो या फिर परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण का निर्धारण विद्यार्थियों के व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर करने की बात हो या अनुशासन का पालन करने की बात हो, चाहे अध्यापकों के लिए उचित वेतन निर्धारण की या फिर प्राचीन गुरुकुल परंपरा का पुनः जागरण या विद्यारंभ करने से पहले प्रार्थना सभा का आयोजन करने की, उपरोक्त सभी बिंदुओं पर आचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार वर्तमान शिक्षा के लिए उपयोगी हैं। 'बस्ते का बोझ कम' करना आज के शैक्षिक परिदृश्य की एक समस्या बन गई,

अंकों के आधार पर पास करना अवसाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। शिक्षा को सिर्फ रोजगार का साधन माना जा रहा है जबकि आचार्य कहते हैं, शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास, मनुष्य में सभ्यता की स्थापना, मनुष्य को जीविकोपार्जन के लिए जहाँ आवश्यक हो वहाँ स्वावलंबी बनाना है।


इस प्रकार आचार्य के शिक्षा से संबंधित दिए गए विचार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगी हैं, वे कहते हैं कि आवश्यकतानुसार शिक्षा में नामांकन एवं पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव की समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान करना है, स्वास्थ्य से लेकर फ़िज़ियोलोजी तक जीवन में काम आने वाले ज्ञान को सर्वसाधारण के लिए अनिवार्य किया जाए। प्राचीन गुरुकुल परंपरा को जीवित किया जाए, वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाए, भावी पीढ़ी का निर्माण राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर किया जाए, शिक्षा के लिए अधिक धनराशि खर्च की जाए। उपरोक्त शैक्षिक विचार वर्तमान शिक्षा में पूर्णरूपेण उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। दिन-प्रतिदिन आचार्य के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। आज शिक्षा में भारतीय दृष्टिकोण लाना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार, वर्तमान परिदृश्य में आचार्य की शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित विचार बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि उनके विचारों को वर्तमान समकालीन शैक्षिक व्यवस्था में शामिल किया जाए तो भारतीय दृष्टिकोण को संरक्षण मिलेगा।

संदर्भ

- युगनिर्माण योजना संपादन संकलन. 2013. *युगत्रय के संदेश*. युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा.
- शर्मा. 1998. *मनुष्य में देवतत्व का दर्शन*. गायत्री तपोभूमि, मथुरा.
- शर्मा और पंड्या. 2010. *सार्थक एवं समग्र शिक्षा का स्वरूप*. युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा.
- शिक्षकों के लिए संदेश. 2018. *नवभारत टाइम्स*. सितंबर, मथुरा.

© NCERT
not to be republished


एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें




प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) जागरूकता संसाधन पैकेज
₹ 70.00 / पृष्ठ 76
कोड — 13190
ISBN — 978-93-5292-139-3



कला शिक्षा-I
₹ 475.00 / पृष्ठ 172
कोड — 13183
ISBN — 978-93-5292-105-8




कला शिक्षा-II
₹ 475.00 / पृष्ठ 176
कोड — 13183A
ISBN — 978-93-5292-106-5




हिंदी—संताली शब्दकोश
₹ 11.00 / पृष्ठ 230
कोड — 32122
ISBN — 978-93-5295-108-9


एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें



हर बच्चा अहम
₹ 240.00/पृष्ठ 186
कोड — 13180
ISBN — 978-93-5292-092-1



विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन (उच्च प्राथमिक स्तर)
₹ 140.00/पृष्ठ 170
कोड — 32126
ISBN — 978-93-5292-133-1



गणित
₹ 150.00/पृष्ठ 168
कोड — 13179
ISBN — 978-93-5292-088-4



शिक्षण और अधिगम की सृजनात्मक पद्धतियाँ
₹ 75.00/पृष्ठ 130
कोड — 13107
ISBN — 978-93-5007-280-6

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं के संशोधित मूल्य
Rates of National Council of Educational Research and Training Educational Journals

पत्रिका	प्रति कॉपी शुल्क	वार्षिक सदस्यता शुल्क
<i>School Science (Quarterly)</i> A Journal for Secondary Schools स्कूल साइंस (त्रैमासिक) माध्यमिक विद्यालयों के लिए पत्रिका	₹ 55.00	₹ 220.00
<i>Indian Educational Review</i> A Half-yearly Research Journal इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (अर्द्ध वार्षिक शोध पत्रिका)	₹ 50.00	₹ 100.00
<i>Journal of Indian Education (Quarterly)</i> जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन (त्रैमासिक)	₹ 45.00	₹ 180.00
भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक) <i>Bharatiya Aadhunik Shiksha (Quarterly)</i>	₹ 50.00	₹ 200.00
<i>Primary Teacher (Quarterly)</i> प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक)	₹ 65.00	₹ 260.00
प्राथमिक शिक्षक (त्रैमासिक) <i>Prathamik Shikshak (Quarterly)</i>	₹ 65.00	₹ 260.00

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पत्रिकाओं की सदस्यता लेने हेतु शिक्षाविदों, संस्थानों, शोधार्थियों, अध्येषकों और विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें।

मुख्य प्रबंधक अधिकारी, प्रकाशन विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

ई-मेल - gg_cbm@rediffmail.com, फ़ोन - 011-26562708, फैक्स - 011-26851070

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा चार दिशाईं प्रिंटर्स प्रा.लि., जी 40-41, सैक्टर - 3, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।